लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED
TRANSLATED VERSION OF

4th

LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद- विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

2 सितम्बर , 1970 । 11 भाद्र , 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
XX	अंतिम पंक्तियों `अब्दुल गनी डार `के स्थान पर `अब्दुल गनी डार `पढ़िये ।
20	नीचे से पंक्ति 7 , `श्री पीलू मोदी `के स्थान पर `श्री पीलु मोडी `पढ़िये ।
21	पंक्ति 1 , `श्री पीलू मोदी ` के स्थान पर `श्री पीलु मोडी `पढ़िये ।
39	प्रश्न संख्या 4931 में `श्री शारदा नन्दन `के स्थान पर `श्री शारदा नन्द `पढ़िये ।
53	पंक्ति 12 , `नुचर ` के स्थान पर `नजर `पढ़िये ।
61	प्रश्न संख्या 4972 में `शीर्षक तथा भाग (क) में `उत्पादकों ` के स्थान पर `उत्पादों `पढ़िये ।
65	प्रश्न संख्या 4976 `श्री सरदार अमजद अली ` के स्थान पर `श्री सरदार अमजद अली `पढ़िये ।
68	पंक्ति 11 `विकार `के स्थान पर `विकास `पढ़िये ।
74	पंक्ति 8 , `राजजून सागर `के स्थान पर `नागार्जुन सागर `पढ़िये ।
76	प्रश्न संख्या 4997 में `शीर्षक में `बाढ़ वाले क्षेत्रों `में के स्थान पर `विद्युत संगणक तथा रडारों की स्थापना पढ़िये

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
21	पंक्ति 10,12,15 तथा 17 में आए शब्द 'Shanting' को 'Shouting' पढ़िये ।
22	पंक्ति नीचे से 7, आंकड़े '12,793,000' को '12,023,000' पढ़िये तथा पंक्ति नीचे से 5, '2,507,000' को '9,507,000' पढ़िये ।
23	पंक्ति नीचे से 11, 'जलाये' के स्थान पर 'जमाये' पढ़िये ।
162	पंक्ति 11, 'कर' के स्थान पर 'कल' पढ़िये ।
178	पंक्ति 15, 'दर्शकों से' के स्थान पर 'दर्शकों ने' पढ़िये ।
181	पंक्ति नीचे से 3, 'पत्राचार' के स्थान पर 'चमत्कार' पढ़िये ।
190	पंक्ति नीचे से 1 तथा 2 में 'संख्या 2' के स्थान पर 'संख्या 1' पढ़िये ।
191	पंक्ति 10 तथा 12, 'संख्या 3' से पहले 'संख्या 2' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक —27, बुधवार, 2 सितम्बर, 1970/11 भाद्र, 1892 (शक)
No.—27, Wednesday, September 2, 1970/Bhadra 11, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्र० संख्या / Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
751.	हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिए बाजार सर्वेक्षण / Market Survey for Export of Handicrafts	1—3
752.	प्रशुल्क आयोग का रबड़ के संबंध में प्रतिवेदन / Report of the Tariff Commission on Rubber	4—6
753.	रुई के व्यापारियों द्वारा हड़ताल / Hartal by Cotton Traders	6—10
754.	श्री बी० पी० कोयराला के नाम जारी किया गया पारपत्र / Passport to Shri B. P. Koirala	10—13
756.	रूस से प्राप्त प्रतिरक्षा उपकरणों के लिये फालतू कल-पुर्जे / Spares for Defence Equipments received from USSR	13—15
757.	एच० एफ०-24 विमान के इंजिन / Engine of HF-24 Aircraft	15—16
758.	रेतीले तूफानों के कारण राजस्थान में नहरों को क्षति / Damage to Canals in Rajasthan due to Sand-storms	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
759.	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (देसु) द्वारा बिजली के प्रयोग किये जाने के बारे में पंजाब सरकार का अभ्यावेदन Representation by Punjab Government on the use of Power by DESU	17—18
763.	मेडम बिन्ह की भारत यात्रा के विरोध में सैगोन में एक भारतीय युवक को पीटा जाना Beating of an Indian Youth in Saigon as a Protest against Madame Binh's visit to India	18—19
	अल्प-सूचना-प्रश्न SHORT NOTICE QUESTION	
10.	आकाशवाणी द्वारा कलकत्ता में युववाणी केन्द्र खोलना Opening of Yuva Vani Centre by A. I. R. Calcutta	19—22
	प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.		
755.	भूटान में चीन द्वारा अतिक्रमण की संभावना Likely Intrusion by China in Bhutan	22
760.	भारतीय वायु सेना तथा स्थल सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा राशन में अंतर Difference in Pay and Ration drawn by IAF and Army Personnel	22—23
761.	दिल्ली तथा दिल्ली के आस-पास ट्रांसफार्मरों की चोरी Thefts of Transformers in and Around Delhi	23—24
762.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड का नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन के साथ विलय Merger of National Projects Construction Corporation with National Building Organisation	24
764.	दक्षिणी अफ्रीका को हथियारों की बिक्री के बारे में ब्रिटेन का भारत को उत्तर British Reply to India on Arms Sale to South Africa	24—25
765.	देहरादून में तीसरा उपग्रह संचार भू-केन्द्र Third Satellite Communication Earth Station at Dehra Dun	25
766.	पाकिस्तान की यात्रा करने के इच्छुक हिन्दुओं को वीजा देने में पाकिस्तान सरकार द्वारा भेद-भाव किया जाना Hindus wishing to visit Pakistan discriminated against in granting Visas by Pakisatn Government	26
767.	स्टेनलैस स्टील तथा पोलीथीन मोलडिंग पाउडर का अनधिकृत आयात Unauthorised Imports of Stainless Steel and Polythene Moulding Powder	26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
768.	उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऊंची दर पर बिजली की सप्लाई Higher Power Supply Rates Charged by State Electricity Board of Uttar Pradesh	26—27
769.	सिडनी में गांजा के आयात में हांग-कांग में रह रहे एक भारतीय का हाथ होना Involvement of an Indian Living in Hong Kong for Importation of Cannabis in Sydney	27
770.	काबेरी जल विवाद को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति Appointment of Tribunal for resolving Cauvery Water Dispute	27—28
771.	समुद्री संसाधनों के साम्यिक वितरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना Creation of an International Organisation for Equitable Distribution of Oceanic Resources	28
772.	1975 तक टेलीविजन सेटों की मांग Demand of T. V. Sets by 1975	28—29
773.	विदेशी बाजारों को माल भेजने के लिये एक कपड़ा मिल की स्थापना Setting up of a Textile Mill to Cater to markets abroad	29
774.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को हानि Losses in National Project Construction Corporation, Limited	29—30
775.	दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार Trade with South East Asian Countries	30
776.	पूर्व अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीय इस्पात के आयात पर जमा-रोक शुल्क Anti-Dumping Duty on Import of Indian Steel imposed by East African Countries	31
777.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ भारत के वाणिज्य दूतीय संबंधों की स्थापना से पश्चिमी देशों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया Adverse Reaction of Western Countries to Establishment of India's Consular Relations with German Democratic Republic	31—32
778.	लन्दन में आइपैक्स प्रदर्शनी में भारतीय फर्मों द्वारा भाग लेना Participation of Indian Firms in the Ipex Exhibition in London	32
779.	विस्कॉस धागे का निर्यात Export of Viscose Yarn	32—33

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
780.	सहकारी समितियों को अपरिष्कृत कॉफी की सप्लाई	Supply of Raw Coffee to Co-operative Societies 33—34
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
4921.	सिद्धार्थ राजपथ और भारत का पूर्वी पश्चिमी राजपथ में भाग	Siddharta Highway and Indias share in East West Highway 34
4922.	भारतीय वायु सीमा और जल सीमा का चीन द्वारा उल्लंघन	Violations of Indian Air Space Torri tory and Territorial Waters Committed by China 34
4923.	हथकरघा वस्तुओं का संचित भंडार	Accumulation of Handloom Goods 35
4924.	भारत कारपेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences to Bharat Carpets Ltd. 35
4925.	हीरों के व्यापार में भ्रष्टाचार	Malpractice in Diamond Trade 35—36
4926.	कांगों के साथ हीरों के निकालने में असहयोग	Co-operation in Diamond Mining with Congo 36
4927.	अमरीका को हथकरघा वस्तुओं के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Made-up Handloom Goods to the United States of America 37
4928.	हरिद्वार के समीप मायापुर बांध में गाद एकत्रित होना	Silting in the Mayapur Dam Near Hardwar 37
4929.	कानपुर स्थित आयुध कारखाने में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्मिक संघ, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में प्रतिनिधित्व	Representation to Class IV Employees of the National Defence Workers Union in the Ordinance Factory at Kanpur in Joint Consultative Machinery 38—39
4930.	ब्रिटेन सरकार द्वारा सैनिकों को दी गई युद्ध जागीरें	War Jagirs Awarded to Army Personnel by British Government 39
4931.	प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामग्री) कानपुर में अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये समय निर्धारण	Time limit fixed for Transfer of Officers of Defence Research Laboratory (Material) Kanpur 39—40
4932.	कानपुर की प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (एम) में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corrupt practices in Defence Research Laboratory (M) Kanpur 40—41

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4933. विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशों में बसे भारतीयों का भारत में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission of Foreign Nationals and Indian Settled abroad to Medical Colleges in India	41
4934. बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली में सड़क पर प्रकाश व्यवस्था	Provision of Street Lights in Badli Industrial Estates, Delhi	41
4935. हैवी मेलटिंग स्टील स्क्रेप के आयात के लिये लाइसेंस देना	Grant of Licences for Import of Heavy Melting steel scrap	42
4936. लौह कारन निर्यात नीति	Ferrous Scrap Export Policy	42—43
4937. योग्यता के आधार पर रद्दी (स्क्रैप) लोहे का निर्यात	Export of Scrap 'on Merit'	43
4938. रद्दी इस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on the Export of Scraps	43—44
4939. मैसर्स पूर्ण वलकेनाईजिंग वर्क्स, गौतम नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, को मशीनों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licence to M/s Purna Vulcanizing works, Gautam Nagar, Bhubaneshwar Orissa for Import of Machinery	44—45
4940. संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना	Taking over of Sick Textile Mills	45—46
4941. उत्तराखण्ड लोक कल्याण परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास की मांग	Demand by Uttarakhand Lok Kalyan Parishad for Development of Hilly Districts of U. P.	46
4942. पश्चिमी बंगाल में, बमों के निर्माण के लिये विस्फोटक पदार्थों को चोरी छिपे जाना	Smuggling of Explosives into West Bengal for the Manufacture of Bombs	46—47
4943. अलाभप्रद वैज्ञानिक अनुसंधान पर धन की कथित बरबादी	Alleged Wastage of Funds on Uneconomic Scientific Research	47
4944. बेल्लारी और हासपेट क्षेत्रों में अयस्क का उत्पादन	Ore Production in Bellary and Hospet Regions	47—48
4945. वियतनाम में अमरीकी सेना का प्रवेश	Entry of U. S. Troops in Vietnam	48
4946. बागान उद्योगों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण	Concentration of Economic Power in Plantation Industries	48

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4947. ग्राम विकास वित्त निगम स्थापित किया जाना	Setting up of a Village Development Finance Corporation	48—49
4948. लेह जाते हुये भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा	Compensation to the Dependents of the Victims who died in I. A. F. Aircrash on way to Leh in 1968	49—50
4949. चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिए नीति	Policy for Stoppage of brain drain during Fourth Five Year Plan	50
4950. इन्टरनेशन बिजनेस मशीन्स द्वारा कम्प्यूटरों तथा मशीनों का आयात	Import of Computers and Machines by International Business Machines	50—51
4951. केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास	Development of Coir Industry in Kerala	51
4952. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा निर्यात और आयात	Exports and Imports by Public and Private Sectors	52
4953. कुछ सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	Departmental Proceedings against some army Officers	52
4954. टेलीविज़न सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V, Sets	52—53
4955. इथोपिया में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध	Ban on Indian Film in Ethiopia	53
4956. भारतीय फिल्मों की तस्करी	Smuggling of Indian Films	53—54
4957. रबड़ की आवश्यकता तथा उत्पादन	Requirement and Production of Rubber	54—55
4958. हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के विस्थापितों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to the Pong Dam Oustees in Himachal Pradesh	55
4959. बम्बई में रूसी दूतावास की इमारत	Soviet Embassy Building at Bombay	55—56
4960. केन्द्रीय मन्त्रियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच पड़ताल किया जाना	C. B. I. Enquiry into Property possessed by Union Ministers	56

अता०प्र० संख्या U, S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4961. केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा उन का व्यापार करने वाली फर्म को दिये गये लाइसेंसों के बारे में जांच	C. B. I. Enquiry into the issue of licences to Firms dealing in wool	56
4962. दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना	Delhi as a Dry Port	57
4963. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ के निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Investigation against the Director of Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh	57
4964. विदेशों में मुस्लिम संगठनों द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध प्रचार	Propaganda against Hindus by Muslim Organisations in Foreign Countries	57—58
4965. मिजो तथा कुकी सशस्त्र छापामार	Mizo and Kuki armed Guerillas	58
4966. मोटरगाड़ियों के मुख्य निरीक्षणालय का अहमदनगर से अवाड़ को स्थानान्तरण	Shifting of Chief Inspectorate of Vehicles from Ahmednagar to Avadi	58—59
4967. प्रति व्यक्ति आय	Per-Capita Income	59
4968. विकास कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Development Works	59—60
4969. गोल्डन तम्बाकू कम्पनी द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent by Golden Tobacco Company	60
4970. प्रधान मंत्री के सचिवालय पर व्यय	Expenditure incurred on Prime Minister's Secretariat	60
4971. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अयस्क का निर्यात	Export of Ore by M.M.T.C.	60—61
4972. दिल्ली हथकरघा कपड़ा उत्पादकों का निर्यात	Export of Handloom cloth Products from Delhi	61—62
4973. विदेशी चाय बागान का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Tea Estates	62
4974. वर्ष 1968-69 के लिये राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन	Estimates of National Income for 1968-69	62—65

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4975. इण्डियन रेयर अर्थस के कर्मचारियों की मांगे	Demands of Indian Rare earths Employees	55
4976. राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की परिलब्धियों में वृद्धि	Increase in the Emoluments of the Chairman of the State Trading Corporation	65—66
4977. राज्य व्यापार निगम में भर्ती नियमों का पालन किया जाना	Adherance to Recruitment Rules of the State Trading Corporation	66—67
4978. जापान से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्मि लाना	Bringing Back Ashes of Netaji Shubhash Chandra Bose from Japan	67
4979. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सलाहकार की समिति की बैठक	Meeting of Advisory Committee of C. S. I. R.	67—68
4980. सरकारी क्षेत्र में टेलिविजन का शीशा बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of a Television Glass Plant in Public Sector	68
4981. विदेशों को जूतों तथा चप्पलों का निर्यात	Export of Shoes and Chappals to foreign Countries	68—69
4982. कृत्रिम रेशम उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Manmade Fibre Industry	69
4983. महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों में हुई हानि	Loss Incurred in the Textile Mills in Maharashtra	69—70
4984. केवल पटसन उद्योग के लिए पंचवर्षीय नीति का बनाया जाना	Formulation of a Five Year Policy exclusively for Jute Industry	70
4985. इथोपिया में लवण (ब्राइन) से पोटाश बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a Factory in Ethiopia to manufacture Potash from Brine	70—71
4986. वर्षा में क्षतिग्रस्त रूई की गांठें	Bales of Cotton Damaged in Rain	71
4987. विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिये कोयले का आयात	Import of coal for proposed Steel plant at Vishakhapatnam	71
4988. नेफा में पन-बिजली परियोजन	Hydro-Electric Project in NEFA	71—72
4989. विद्युत के समान वितरण के लिये राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना	National power Grid for Equitable Distribution of Power	72

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4990. सिक्किम की स्वतंत्रता की हिमायत	Plea for Sikkim's Independence	72
4991. स्वर्गीय महाराज त्रैलोक नाथ चक्रवर्ती द्वारा पाकिस्तान शत्रु सम्पति अधिनियम को वापिस लेने के लिये अनुरोध	Request by Late Maharaj Trailokya Nath Chakravarty for withdrawal of Pakistan Enemy Properties Act	72—73
4992. गन्डक सिंचित क्षेत्रों में बिकास के लिये योजना	Scheme for Development of Gandak Command Areas	73—74
4993. प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोग-शाला (मैटीरियल) तथा कानपुर स्थित अन्य कार्यालयों में चोरी	Thefts in Defence Research Laboratory (Material) and other Offices at Kanpur.	74—75
4994. प्रतिरक्षा विभाग, पठानकोट के ए० पी० सी० के सालवेज यूनिट के लिए माल की खरीद	Purchase of Goods for Salvage Unit of A. P. C. of Defence Department Pathankot	7
4995. मुख्य निरीक्षणालयों, जनरल स्टोर्स तथा अन्य सम्बन्ध निरीक्षणालयों में कार्य कर रहे अधिकारी	Officials working in Chief Inspectorate. General Stores and other Allied Inspectorates	75—76
4996. पठानकोट स्थित प्रतिरक्षा कम्पनी संख्या 1 ए०सी०सी० के कर्मचारी	Employees in Defence Compay A. C. C. at Pathankot	76
4997. बाढ़ग्रस्त की आशंका क्षेत्रों में विद्युत संगणक तथा राडारों की स्थापना	Setting up of Electronic Computers and Radars in Areas Vulnerable to Floods	76
4998. उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच बुन्देल खण्ड क्षेत्र में सिंचाई विद्युत सुविधाएं	Irrigation/Power facilities in Bundel Khand area lying between U.P. and Madhya Pradesh	77
4999. यादव रेजीमेंट का बनाया जाना	Formation of Yadav Regiment	77
5000. भारत-नेपाल व्यापार वार्ता	Indo. Nepal Trade Talks	77
5001. छुपे नागाओं के छिपने के स्थानों से शस्त्रों और गोला बारूद का बरामद किया जाना	Seizing of Arms and Ammunition from Hide-outs of Underground Nagas	78

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5002. प्रधान मंत्री के साथ गये व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी यात्रा	Unofficial Journeys by Persons accompanying Prime Minister	78
5003. पीतल की वस्तुओं और बर्तनों के लिए दिये गये आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences for Brass Articles and Uttensils	79
5004. श्री नगर की भारतीय सेना के क्षेत्राधिकार से बाहर निकालना	Exclusion of Srinagar City from the Jurisdiction of the Indian Army	79
5005. लुधियाना के श्री आर० के० सोनी द्वारा 'क्लच फेसिज़' तथा 'ब्रेड लाइनिंग' का आयात	Import of Clutch Faces and Break Linings by Shri R. K. Soni of Ludhiana	79—80
5006. आर० के० मशीन टूल्स लुधियाना द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Licences by R. K. Machine Tools, Ludhiana	80
5007. बिजली जनन हेतु अलकनन्दा घाटी का सर्वेक्षण	Survey of Alaknanda Valley for generation of Power	80—81
5008. प्रतिरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सैनिक फार्म	Military Farms run by Defence Department	81
5009. निर्यात के लिये रखे गये घटिया किस्म के तम्बाकू के स्टाक में कमी	Deterioration of Stock of Low Grade Tobacco kept for Export	81—82
5010. तांबा तथा जस्ते का खनन के बारे में कांगों के साथ सहयोग	Collaboration with Congo in Copper and Zinc Mining	82
5011. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में भारतीय सांख्यिकीय संस्था के कर्मचारियों का काम पर लगाया जाना	Absorption of Employees of Indian Statistical Institute Calcutta in National Sample Survey Organisation	82—83
5012. तेल समृद्ध क्षेत्रों में तेल निकालने के लिए भूमिगत परीक्षण	Underground Tests for striking Oil in the Oil Rich Regions	83
5013. पाकिस्तान नागरिक सेना	Pak Citizens Army	83

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5014. चम्बल परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं	Amenities to the Displaced Persons of Chambal Project	83—84
5015. चित्तूर जिले में रावत भाटा कस्बे और भैंसुरों गढ़ के बीच चम्बल नदी पर उपरिपुल का निर्माण	Construction of an overbridge at chambal River between Bhainsro Gar and Rawatbhata town, Distt. Chittoor	84
5016. राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये किये गये उपाय	Measures taken for Completion of Rajasthan Canal	84
5017. नलकूपों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to the West Bengal Government for sinking of Tubewells	85
5018. हिन्द-चीन में संकट के समाधान के लिये भारत द्वारा शान्ति प्रयास	Peace Efforts by India to solve Crisis in Indo-China	85
5019. चण्डीगढ़ में जासूसी	Espiortage in Chandigarh	85—86
5020. भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के कर्मचारियों के आवास का किराया	Rent of Residental accommodation occupied by Employees of Bhakra Management Board	86
5021. अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रेस सम्मेलन में दिये गये भाषण में प्रेस संवाद दाताओं को निमंत्रण	Invitation to Press Correspondents at the Press Conference Addressed by Chairman, Atomic Energy Commission	86—87
5022. प्रदर्शन के लिए भारतीय चलचित्रों का विदेशों को निर्यात	Export of Indian Films for Exhibition Abroad	87
5023. मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा ऋण का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Loans by Madhya Pradesh Electricity Board	88
5024. मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Madhya Pradesh	88
5025. बुरहानपुर ताप्ती मिल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना	Taking over of Burhanpur Tapti Mills (M. P.)	88—89

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5026. मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry in M. P.	89
5027. सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को सैनिक कैन्टीनों के माध्यम से जवानों को बेचा जाना	Sale of Articles Seized by customs to Indian Jawans through Military Canteens	89
5028. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के लिए तकनीकी सलाहकार बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Board of Technical Consultants for Brahmaputra Flood Control Board	89
5029. कूच बिहार तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई	Power Supply in Cooch Behar and Neighbouring Areas	90
5030. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उत्तरी बंगाल में विस्तार	Extension of Rural Electrification Scheme to North Bengal	90—91
5031. उत्तरी बंगाल में तापीय परियोजना	Thermal Project in North Bengal	91
5032. विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को दी गई सहायता	Assistance given to Indian Nationals by Indian Embassies in Foreign Countries	91—92
5033. नेपाल, सिक्किम और भूटान में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशिक सूचना बुलेटिन	Information bulletins brought out by Indian Embassy/Mission in Nepal, Sikkim and Bhutan	92—93
5034. उत्तर-पश्चिम जोन चण्डीगढ़ के चीफ इंजीनियर द्वारा बंगलों को किराये पर लिया जाना	Hiring of Bungalows by Chief Engineer, North Western Zone Chandigarh	93—94
5035. जल विद्युत सम्बन्धी सम्भावनाओं के सर्वेक्षण के लिये उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा एक समिति नियुक्त किया जाना	Setting up of a Committee by Northern Regional Electricity Board to Survey Hydel Potentialities	94
5036. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की शोचनीय दशा	Deplorable Condition of National Science Library Housed in National Physical Laboratory Delhi	

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5037.	अल्पसंख्यकों के लिए एक विभाग की स्थापना	Setting up of Department of Minorities	95
5038.	सेनाध्यक्ष के निवास स्थान पर संसद् सदस्यों तथा जवानों द्वारा किया गया प्रदर्शन	Demonstration staged by MPS and Jawans at residence of Chief of Army Staff	95
5039.	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी जानने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी	Officers and employees knowing Hindi in the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad	95—96
5040.	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रतिरक्षा के बारे में नियुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations of Working Group on Defence appointed by A.R.C.	96
5041.	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम द्वारा दिल्ली नगर में भूमि के अन्दर लाइनों का बिछाया जाना	Laying down of underground Electric lines in Delhi city by DESU	96
5042.	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक बोर्ड बनाना	Making all India Handloom Board as a Statutory Board	97
5043.	रुई का आयात	Import of Cotton	97
5044.	तकनीकी सेवा के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम की योजना	Scheme of Export Credit and Guarantee Corporation to encourage Export of Technical Services	97—98
5045.	फरक्का बांध के अंतर्गत जंगीपुर बांध के निर्माण के लिये टेण्डर का मंजूर किया जाना	Acceptence of tender for the Construction of Jangipur Barrage under Farakka Barrage	98—99
5046.	फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत बागमारी साइफन के निर्माण के लिये टेण्डर का स्वीकार किया जाना	Acceptence of Tender for Construction of Bagmari Syphon Under Farakka Barrage Project	99—100

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5047. भारत द्वारा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने के लिये अनुमानित समय	Estimated time for India to reach the Take off stage	100
5048. चौथी पंचवर्षीय योजना की भूमिका (ग्रीफेस टू दी फोर्थ फाइव इयर प्लान) में योजना का वैज्ञानिक दर्शन	Scientific Philosophy of Planning in the Preface to the Fourth Five Year Plan	101
5049. चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये मंजूरशुदा सिंचाई योजनाएं	Sanctioned Schemes of Irrigation for Himachal Pradesh during Fourth Plan	101—102
5050. सैनिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in Pay of Army Personnel	102—103
5051. चाय बोर्ड के कर्मचारियों की शर्तें	Service Conditions of the Tea Board Employees	103
5052. इम्फाल के लिये डीजल के बिजली उत्पादन सेट	Diesel Generating sets for Imphal	103—104
5053. स्वर्गीय आर० के० इबोचाओबी सिंह के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देना	Payment of Compensation to the Dependent of the Late Shri R. K. Ibochaobi Singh	104
5054. मनीपुर के विद्युत तथा परियोजना डिवीजनों के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Electricity and Project Divisions of Manipur	104
5055. मनीपुर के लिए राज्य योजना बोर्ड	State Planning Board for Manipur	104—105
5056. पूर्वी जर्मनी के साथ वाणिज्य दूतावास स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में पश्चिम जर्मनी का भारत को विरोध पत्र	West German Protest note to India regarding Diplomatic ties with East Germany at Consulate Level	105
5057. दानापुर छावनी क्षेत्र में दनैया नाला	Danaiya Drain in Danapur Cantonment Area	105
5058. मुबारकपुर गांव (दानापुर छावनी) के किसानों से अधिगृहीत भूमि का मुआवजा	Compensation for Land Acquired from Mubarakpur (Danapur Cantonment) Village Farmers	106—106

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5059. सूडान में भारतीय पूंजी-निवेश	Indian Capital Investment in Sudan	106
5060. काफी बागानों के लिए सुविधा में सुधार	Improvement of amenities for Coffee Plantations	107
5061. बागानों के लिए कीटनाशी दवाइयों की उपलब्धता	Availability of Insecticides to Plantations	107—108
5062. नायलन का तस्कर व्यापार	Smuggling of Nylon	108
5063. सालवेज यूनिट (ए०ओ०सी०) पठानकोट से माल की चोरी	Stealing of Goods from Salvage Unit (A.O.C.) Pathankot	108—109
5064. उत्तरी बंगाल के लिए दीर्घावधि बाढ़ नियंत्रण योजना	Long-term Flood Control Schemes for North Bengal	109—110
5065. नेपाल के साथ निर्यात/आयात व्यापार	Export/Import Trade with Nepal	110
5066. नई दिल्ली तथा पालमपुर में टी बोर्ड के कार्यालय	Office of the Tea Board at New Delhi and Palampur	110—111
5067. बेरोजगार की समस्या को हल करने के लिए योजना आयोग द्वारा अध्ययन	Study by Planning Commission on ways to Tackle Unemployment Problem	1111—112
5068. भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं में वेतन-मान	Pay Scale in Different Branches of I. A. F.	112
5069. चौथी योजना प्रवधि में देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Regions in the Country during 4th Plan Period	112—113
5070. उत्तर प्रदेश प्रसार लाइनों में उपयोग के लिए बिजली के तारों और खम्भों की कमी	Shortage of Electric wires and Poles for use in Transmission Lines in U.P.	113
5071. गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा बनाये गये ड्रेजर	Dredger made by Garden Reach Workshop	113—114
5072. पाकिस्तान के लिए फ्रेंच मिरेज-5 जेट विमान	French Mirage-5 Jet Aircraft for Pakistan	114
5073. जापान में भारतीय व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Indian Businessmen in Japan	114
5074. अणु शक्ति आयोग का पुनर्गठन	Re-Organisation of Atomic Energy Commission	115

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5075. प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम निर्धारित करना	Fixing of minimum Price of natural Ruber on the Recommendations of Tariff Commission	115
5076. भारत के लिए रूसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	Soviet fast breeder reactor for India	115
5077. तामिलनाडु के काबेरी डेल्टा में जल के विकास का रुक जाना	Drainage congestion in the Cauvery Delta in Tamil Nadu	116
5078. उत्तर बंगाल की नदियों में प्रवाह को नियंत्रित करना	Taming of North Bengal Rivers	116—117
5079. भारत-पश्चिम जर्मनी व्यापार वार्ता	Indo-West German trade talks	117
5080. सोयाबीन तेल का आयात	Import of Soyabean Oil	117
5081. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा योजना आयोग के अन्वेषकों के वेतन-मानों में विषमता	Disparity in the Scales of Pay of Investigators in the National Sample Survey and Planning Commission	118
5082. फ्रांस के टैंकभेदी प्रक्षेपणास्त्र	French Anti Tank Missiles	118
5083. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सैनिक समाचार में काम करने वाले अधिसंख्यक अनुवादक	Supernumarary Translators Working in Sanik Samachar published by Ministry of Defence	118—119
5084. चाय बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength of Tea Board	119—120
5085. चाय बोर्ड में परिचरों से प्रदर्शकों का काम लिया जाना	Attendents Working as Demonstrators in the Tea Board	120
5086. भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु के पश्चात् मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं तथा आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन में भेदभाव	Discrimination in Pension to Widows and Dependents of Ex-Service Personnel who Die after Attaining the Age of 50 years	120

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5087.	संयुक्त राष्ट्र के व्यापार तथा विकास सम्मेलन की प्रदर्शिनी हेतु चाय बोर्ड को स्वीकृत धन राशि	Amount Sanctioned to Tea Board for UNCTAD exhibition	121
5088.	चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को दिया गया यात्रा भत्ता	Travelling Allowance Paid to Chairman and Dy. Chairman of the Tea Board	121—122
5089.	चाय बोर्ड के टी-बारों को बन्द करना	Closure of Tea Board of the Tea Board	122
5090.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चाय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए क्वाटर देने का प्रस्ताव	Tenaments Offered by the D. D. A. for the Staff Quarters of Tea Board	122
5091.	'ओल्ड ग्रांट' स्थानों पर निर्मित किराये पर दी गई इमारतों को खाली कराना	Dehiring of buildings on old Grant sites	122—123
5092.	सैनिकों के मनोबल को बनाये रखने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines on measures for maintaining Morale of Members of Armed Forces	123
5093.	सैनिकों की सम्पत्ति के बारे में निर्णय	Decisions regarding properties owned by Members of Armed Forces	123—124
5094.	सशस्त्र सेना के सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired officers of Armed Forces	124
5095.	डी० एल० डब्ल्यू० रेल इंजनों का निर्यात	Export of DLW Locomotives	124
5096.	प्राकृतिक रबड़ के अपेक्षाकृत अच्छे उपयोग के लिए किया गया अनुसन्धान	Research done for the better use of Natural Rubber	124—125
5097.	बिजली घरों के निर्माण कार्य के लिये विशेषज्ञ फर्मों की सूची	List of Specialised Firms for Erection of Power Houses	125

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5098. जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी नीति	Policy for meeting the basic needs of the People	126
5099. रेडियो के निर्माण में लघु क्षेत्र के निर्माताओं और बड़े पैमाने के निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा	Competition between small scale sector and large scale manufacturers in the production of radios	126
5100. विश्व न्यायालय शान्ति दल का तैयार किया जाना	Creation of World Court Peace Force	126—127
5101. सीरिया में सीमेंट के कारखाने	Cement Plants in Syria	127
5102. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की केन्द्रीय वर्कशाप का स्थानान्तरण	Shifting of the Central Workshop of National Projects Construction Corporation	127—128
5103. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्मिक संघ तथा बांध (मध्यप्रदेश), की मांगे	Demands of National Projects Construction Corporation Workers Union Tawa Dam (M.P.)	128
5104. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को बन्द करना	Closing down of the National Project Construction Corporation	128—129
5105. बाढ़ रोकने के लिये कोसी नदी पर बांध	Embankments on Kosi river to Check Floods	129
5106. भारत और अमरीका के बीच सूती कपड़े के बारे में करार	Indo-Us Textile Agreement	129—130
5107. प्रतिरक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Expert Committees Recommendations on Library in Ministry of Defence	130
5108. बिहार में पटसन की खरीद	Purchase of Jute in Bihar	130
5109. नागा विद्रोहियों को चीन के शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Chinese Arms to Naga Hostiles	130
5110. पश्चिम कोसी नहर का निर्माण	Construction of Western Kosi Canal	131
5111. राजस्थान अणुशक्ति परियोजना के निर्माण में प्रगति	Progress made in the construction of Rajasthan Atomic Power Project	131—132
5112. वर्ष 1970 के दौरान भारत में आने वाले तथा भारत से बाहर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल	Delegations to and from India during 1970	132

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5113.	बिहार में पटराटू तापीय बिजली परियोजना	Patratu Thermal Power Project in Bihar	132
5114.	तापीय बिजली घरों के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी	Technical know how for construction of Thermal Power Houses	133—134
5115.	बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for setting up Thermal Power Houses in the States of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	134—135
5116.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तापीय बिजली घर एककों की स्थापना पर लगने वाले समय पर निर्धारण	Standardization of time for Erection of Thermal Power Units by Central Electricity Authority	135—136
5117.	बरेली में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के चिकित्सा निदेशालय के तृतीय क्षेणी के असैनिक कर्मचारी	Class III Civil Employees of Medical Director U.P. area at Bareilly	136
5118.	असैनिक विमानों का गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरना	Landing of Civilian Planes at Gorakhpur Airport	136
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attentation to Matter of Urgent Public Importance	136—142
	गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ और उसके फलस्वरूप हुई जन धन की हानि	Reported heavy rains and floods in Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh and the resultant loss of life and property	136
	श्री देवराव पाटिल	Shri Deoras Patil	136—138
	डा० कु०ल० राव	Dr. K. L. Rao	138—142
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	142—144
	प्राक्कलन समिति सम्बन्धी पत्र	Papers relating to Estimates Committee	144
	प्राक्कलन समिति कार्यवाही सारांश	Estimates Committee Minutes	144
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	144—145
	सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	Arrest and Release of Member	145
	(श्री एस० के० सम्बन्धन)	(Shri S. K. Sambandhan)	145

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पटसन के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 214 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to supplementary Question in connection with S. Q. No. 214 re. Export of Jute to European Economic Community	145
सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक प्रवर समिति में नियुक्ति	Customs Tariff Bill Appointment of Select Committee	146
संविधान (24वां संशोधन) विधेयक- विचार करने का प्रस्ताव	Constitution (Twenty-Fourth Amendment) Bill . Motion to consider	146
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	146—150
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	150—151
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	152
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	153—154
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	154—156
डा० कर्णीसिंह	Dr. Karani Singh	156—161
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	161—162
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	162—167
खंड 2, 3, और 1	Clause 2, 3 and 1	167—171
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	167
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	170
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	170

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 सितम्बर, 1970/11 भाद्र, 1892 (शक)
Wednesday, September 2, 1970/Bhadra 11, 1892 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिये बाजार-सर्वेक्षण

+

*751. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों से हस्तशिल्प की वस्तुओं के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए क्या गत वर्ष के दौरान भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये विदेशों में कोई बिक्री सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या कुछ अध्ययन-व-विक्रय दल भी विदेशों को भेजे गये; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने दल विदेश भेजे गये हैं और उनसे क्या लाभ हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) समुद्र पार के देशों में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रतियोगिता स्थिति का लगातार अध्ययन किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) गत एक वर्ष में तीन अध्ययन-व-विक्रय दल विदेशों को भेजे गये थे और उल्लेखनीय क्यादेश प्राप्त हुए ।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रतिवेदन में बताई गई इस वर्ष में हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि उत्साहजनक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वे कौन-कौन से देश हैं जिनका इन अध्ययन दलों ने दौरा किया अथवा जिनके बारे में विचार किया और वे देश कौन-कौन से हैं जहां यदि आप पूर्ण प्रयास करेंगे तो हमारा निर्यात बढ़ सकता है ?

श्री राम सेवक : हम अमरीका, बेल्जियम, इंगलैंड, स्विटजरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हांग-कांग, कनाड़ा, मलयेशिया, अदन, सऊदी अरबिया, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, रूस को अपना माल निर्यात करते हैं। बेल्जियम और अमरीका को सबसे अधिक निर्यात किया जाता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : जैसा उन्होंने कहा है कि अमरीका और बेल्जियम हमारे लिए ऐसे देश हैं जहां कि निर्यात काफी सीमा तक बढ़ सकता है। अध्ययन दल ने विदेशों द्वारा नमूने स्वीकार किये जाने के उपरान्त निर्यातकों द्वारा बड़ी मात्रा में सप्लाई किये जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं और यदि यह कहा है कि माल खराब पाया गया है और आगे बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं दिये गये नमूने से भिन्न थी, तो सरकार निर्यात के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ताकि हमारी आगे की जाने वाली सप्लाई को रद्द न किया जाये ?

श्री राम सेवक : जहां तक प्रतिवेदन के देने की बात है, इन तीन अध्ययन दलों में से केवल एक ने ही प्रतिवेदन दिया है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that they are exploring world market for boosting the export. But in fact export commodities are not manufactured by large scale industries but by the poor people and those belonging to Schedule Castes. The rich people purchase these commodities at very cheap rates and export them and thus earn a huge profit. In view of this may I know whether Government is making an effort to give more incentives to the real manufacturers of export items and thus be encouraged ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : So far as the prices of these items are concerned, besides their sale with the country they are exported also and evidently if we charge high prices, then our exports would be reduced. So taking into consideration the cost of production, a reasonable profit is allowed to them. It is true that poor people are engaged in the manufacture of these items but besides them artisans also come in the picture As I have stated earlier we should keep in mind that we should refrain from charging a price which will hamper our export effort. As my colleague has stated, our exports are increasing and if we increase the prices, it will result in setback to our export which will not be desirable. I would like to request the hon. Member to keep this in mind.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question was different. This rich people stock the-export items by purchasing these from poor people and earn huge profit by exporting them whereas actually the makers of these items are given less profit because substantial profits are taken away by these big people. I wanted to know whether the Government are thinking to impose restrictions on their excessive profits so that they may not be able to earn so much profits and the poor people, who are the actual manufacturers, may get profits on them.

Shri L. N. Mishra : The best remedy for this is to form Co-operative Societies for these people and sell the goods through them.

श्री रा० बरुआ : वे कौन कौन-से देश हैं जहां हमारी वस्तुओं के सम्भावित बाजार हो सकते हैं और वे कौन कौन से देश हैं जो हस्तशिल्प वस्तुओं के क्षेत्र में हमारे संभावित प्रतिस्पर्द्धा हो सकते हैं ?

श्री रामसेवक : हमारा मुख्य प्रतिस्पर्द्धी पाकिस्तान है। जिन देशों को हमारा निर्यात होता है, उनके बारे में मैंने पहले ही सूचना दे दी है।

श्री रा० की० अमीन : जब हमारा प्रतिनिधिमण्डल पूर्वी अफ्रीका के देशों के दौरे पर गया था तो हमें यह स्पष्ट मालूम हुआ कि वहां हमारे हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग है परन्तु हमने केन्या, दारे-स्सलाम आदि देशों में पर्याप्त संख्या में बिक्री केन्द्र नहीं खोले हैं। क्या कोई ऐसा मांग सर्वेक्षण कराया गया है जिससे इस प्रकार का निष्कर्ष निकला है और यदि हां तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ? कनाडा में भी मुझे पता चला कि वहां हमारे हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी मांग है, उस बारे में भी क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ल० न० मिश्र : बाजार सर्वेक्षण में मूल्य, संगठन, डिजाइन आदि बहुत सी बातें होती हैं। डिजाइन भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि फैशन में इतनी तेजी के साथ परिवर्तन आ रहे हैं कि इसके साथ चलना कठिन हो गया है। हम कनाडा में भी बाजार बना रहे हैं। प्रश्न गुण वाली वस्तुओं और वह भी पर्याप्त मात्रा में होने का है क्योंकि आवश्यकताएँ बड़े पैमाने पर हैं। अतएव इन सब बातों को देखते हुए बाजार का विस्तार करना बहुत आसान नहीं है। जैसे कि मेरे साथी ने बताया है हम इसका विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और यह तेजी के साथ हो रहा है।

श्री फ० गो० सेन : क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे भारतीय खिलौनों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कहां तक स्थान मिला है ?

श्री राम सेवक : हमारे पास प्रत्येक वस्तुओं के आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या खिलौने हस्तशिल्प की श्रेणी में आते हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, हम खिलौनों का निर्यात करते हैं परन्तु मैं इस समय उनका मूल्य नहीं दे सकता हूँ, इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इस तथ्य को देखते हुए कि भारत को अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है तो सरकार ने हमारे हस्तशिल्प वस्तुओं के गुण को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने का विचार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे पास चार डिजाइन केन्द्र हैं। एक केन्द्र मुख्यालय में है और शेष तीन अन्य स्थानों पर हैं और हम यह देखते हैं कि हमारी वस्तुओं का निर्यात होने से पूर्व उनका परीक्षण हो सके। यह भी सत्य हैं कि हमें कुछ मामलों में यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सप्लाई किया गया माल दिखाये गये नमूनों के गुण के समान नहीं है और इससे हमारी बदनामी

होती है, हम गुण पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चय ही हम हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहते हैं।

प्रशुल्क आयोग का रबड़ के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

* 752. **श्री के० रमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त रबड़ के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के संशोधन के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार हो रहा है। सरकार इस पर निकट भविष्य से ही निर्णय करेगी।

श्री के० रमानी : इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने और उसको क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है। इस कारण से केरल के तथा अन्य स्थानों के छोटे रबड़ उत्पादकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि विशेषकर निम्नतम मूल्य के संबंध में प्रशुल्क आयोग की क्या सिफारिशें हैं और क्या यह सच है कि उन्होंने 100 किलोग्राम का मूल्य 525 रुपये निर्धारित किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें अति गोपनीय है और मैं उनके द्वारा सिफारिश किये हुए आंकड़ों को जनहित में नहीं बता सकता हूँ। परन्तु हम शीघ्र ही निर्णय ले रहे हैं।

श्री के० रमानी : मैं नहीं जानता कि इसको गोपनीय रखने में क्या औचित्य है। यह वास्तव में ही जनहित के लिये हानिकर है। रबड उत्पादकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मूल्यों में तेजी के साथ गिरावट आई है। इसका कारण यह है कि इस देश में बड़े टायर निर्माता और विदेशी एकाधिकार गृह करार का उल्लंघन कर रहे हैं। वे अपेक्षित मासिक भंडार के अलावा भंडार जो तीन या चार महीने जमा रखने के लिये तैयार हैं और वे भारतीय उत्पादकों से रबड़ का भंडार नहीं उठा रहे हैं। अतएव मूल्यों में गिरावट आई है। सरकार उनके हितों को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें किसानों अर्थात बागानियों ने यह कहा है कि रबड़ के आर्थिक मूल्य को सुनिश्चित किया जाये। न्यूनतम मूल्य 415 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया था और आज चालू मूल्य 440 रुपये है। परन्तु उनकी शिकायत यह है कि यह आर्थिक अथवा लाभप्रद मूल्य नहीं है। हमें इस बारे में पता है और इस बात को देखते हुए प्रशुल्क आयोग ने सिफारिशें की हैं जो कि सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि जब कच्चे रबड़ का मूल्य कम हो गया है तो टायर का मूल्य कम नहीं हुआ हैं जबकि एक टायर में 18 प्रतिशत रबड़ होता है ? इसके क्या कारण हैं ? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि कच्चे रबड़ और टायरों का मूल्य साथ-साथ बढ़े न कि एक दूसरे से अलग-अलग बढ़े ।

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे विचार से माननीय सदस्य सही कहते हैं कि रबड़ से निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है । इसी बात को हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं। कच्चे रबड़ और रबड़ से निर्मित वस्तुओं के बीच सम्बन्ध होना चाहिये । जब हम निर्णय लेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे । संभवतः जब इस पर निर्णय लिया जायेगा तब यह असंगति हट जायेगी ।

श्री के० एम० अब्राहम : इस तथ्य को देखते हुए कि कच्चे रबड़ का मूल्य कम हो गया है तो क्या सरकार विदेशों से कच्चे रबड़ का निर्यात बन्द कर देगी ताकि भारतीय उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस समय हम मुख्यतः मलयेशिया से लगभग 17,000 मैट्रिक टन रबड़ का आयात कर रहे हैं । हमारा इरादा इस वर्ष के अन्त तक रबड़ के मामले में आत्मनिर्भर होने का है ।

श्री इ० के० नायनार : भारत में रबड़ के कारोबार पर चार बड़ी एकाधिकारी कम्पनियों का नियन्त्रण है यथा डनलप, गुड ईयर, फायरस्टोन और पश्चिमी जर्मनी के साथ सहयोग से चल रही मद्रास रबड़ फैक्ट्री । रबड़ उत्पादन का 95 प्रतिशत केरल से आता है । इसमें 76 हजार छोटे उत्पादक, 3 लाख कर्मचारी और 25 लाख आश्रित हैं । गत तीन वर्षों से रबड़ के किसान अपने उत्पादन का उचित न्यूनतम मूल्य पाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं । मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन गोपनीय है । यह विदेशी एकाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए है । वे दबाव डाल रहे हैं और वे संश्लिष्ट रबड़ का आयात कर रहे हैं । केरल में रबड़ का भंडार जमा हो रहा है । 1965-66 में जब मूल्य प्रति किलोग्राम 6-1/2 रुपये था तो केरल ने 50,830 मैट्रिक टन रबड़ दिया जिससे राज्य के कोष को 36.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ । यदि सरकार का उद्देश्य केरल के रबड़ उत्पादकों को सहायता पहुंचाना है, यहां तक कि केरल में वे आन्दोलन कर रहे हैं और 1967 में हमने लोकसभा में इस मामले पर चर्चा की थी.....

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे प्रस्तावना भाग छोड़कर सीधे प्रश्न करने के लिए अनुरोध कर सकता हूँ ।

श्री इ० के० नायनार : मंत्री महोदय प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन को गोपनीय क्यों रख रहे हैं जो कि पहले ही प्रकाशित हो गई है । प्रशुल्क आयोग ने प्रति किलोग्राम 525 रुपये रखा है । सरकार इसको गोपनीय रख रही है । यह एकाधिकारियों को सहायता पहुंचाने के लिए है । मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार केरल के रबड़ के किसानों को सहायता देने तथा प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश की हुई दर को स्वीकार करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि हम बागान-मालिकों को सहायता तथा उनको लाभप्रद मूल्य देना चाहते हैं। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें इसी पर आधारित हैं। इस समय मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें घोषित हो जायेंगी तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सरकार के निर्णय से संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : गत ढाई वर्षों से रबड़ निर्माता प्रशुल्क आयोग की संभावित सिफारिश पर मूल्य वसूल कर रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि छोटे किसानों को रबड़ निम्नतम मूल्य से भी कम दर पर बेचने के लिये विवश होना पड़ा है अर्थात बिक्री में परेशानी उठानी पड़ रही है और इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पादकों, छोटे किसानों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का गत सप्ताह सम्मेलन हुआ था और यह आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह में मूल्यों को निर्धारित तथा घोषित किया जायेगा तो मैं जान सकता हूँ कि क्या इस व्यापार से सम्बन्धित पक्षों को दिये गये आश्वासनों को अविलम्ब पूरा किया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं कह रहा हूँ कि सरकार का निर्णय बहुत शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

Shri Shiv Charan Lal : The Prices of tyres and tubes have registered a sharp rise and the hon. Minister says that the report has not been published. May I know whether it is a fact that the report is not being published because the quota and licences are given to big capitalists and they have asked you not to publish the report? I want to know whether the Government would grant licences to people belonging to backward classes and the Harijans so that they may lead a better life ?

Mr. Speaker : How does this question arises from this ?

रुई के व्यापारियों द्वारा हड़ताल

\+

*753. **श्री सीताराम केसरी :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में रुई के व्यापारियों ने अगस्त में रुई निगम बनाने के निर्णय के विरोध में 15 दिन की हड़ताल की थी।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सूती कपड़ा सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार के उक्त निर्णय से कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री श्री ल० ना० मिश्र : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड से परामर्श करना आवश्यक नहीं था। परन्तु सरकार ने, कई सम्बन्धित हितों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये बहुत से अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया।

(ग) कपास निगम की रोजगार सम्भाव्यता को देखते हुए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने की सम्भावना नहीं है।

Shri Sita Ram Kesri : I had asked the hon. Minister about the number of persons who would be rendered unemployed due to the setting up of this Corporation. The number of traders in the country is about three lakhs. The setting up of corporation will offect three lakhs traders. I want to know whether Government have any scheme of rahabilitating the affected traders.

Shri L. N. Mishra : The hon. Member has some suggestions. At the moument we are taking up only import Trade. About 7500 persons are engaged in this trade. We will have to utilize their services through this Corporation. We are not employing new hands because work cannot be done by them. So the work will be allotted to those persons who are already engaged in the import trade.

I do not agree with the hon. Member that three lakhs people are engaged in cotton trade. Nor is it correct to say that all of them will be thrown out of employment. At the moment we are only taking over the import trade. About internal trade, it has been stated in the Rajya Sabha and here that at the moment we are not going to take it over. When the time comes, we will do it. We will also see that the experienced hands are not be rendered unemployed.

Shri Sita Ram Kesri : Had the textile mills and big industries been taken over that would have opened up new vistas as of Socialism. Was it toso much to expect from the Government to spare the middle class people, *i. e.*, businessmen and shopkeepers ? Here we talk about the Labour, the workers, the industrialists and the farmers. We should also be watchful of the interest of middle class who are in preponderance. I want to know whether you will give place to their representatives in the corporation being formed or not.

Shri L. N. Mishra : The hon. Member has not kept one or two things in mind. He might have attended the Congress Session in Bombay. He might have noticed that the same point was raised and it was stated that cotton growers are exploited and the buyers do not give them reasonable prices and for this we should end. This exploitation of the farmers and producers should be saved. We want to do the same thing.

The hon. Member has mentioned that there are about three lakhs persons Cotton Trade. Their number is at the most one and a half lakhs or two lakhs. The hon. Member has asked to keep the interests of these people in mind. But will also have to look to the interests of Growers, farmers or the producers. As far as the representation is concerned, we are including the representatives of cotton growers and district associations of cotton in it.

Shri Yashpal Singh : We talk of Cotton Growers but they are not given any powers. Why not the Grower has been appointed Chairman of Cotton Corporation ? What is the reason that non-grower has been appointed Chairman ?

Shri L. N. Mishra : The representatives of Growers have been included in it and the representatives of Haryana are and also there. So far as the question of Chairman is concerned, it has been seen that persons having experience of administration are appointed Chairman. The Managing Director belongs to Maharashtra who had experience in this field. The representatives of Growers will also have place in this Corporation.

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास उन व्यापारियों अथवा बिचौलियों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है जो कि बेरोजगार हो जाएंगे और संभवतः उन्होंने यह नहीं सोचा है कि यह उनका कर्त्तव्य है कि वे इस निगम में नए व्यक्तियों को रखते समय उनका ध्यान रखें। मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि किसान का रूई के आयात से सीधा सम्बन्ध नहीं है और रुई का आयात तथा उसका व्यापार एक विशिष्ट कार्य है और हर व्यक्ति उसे नहीं कर सकता चाहे वह एम० ए० या बी०ए० या बी० काम० या एम० काम० ही क्यों न हो। मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार सर्वप्रथम उन व्यक्तियों को इस नियम के रोजगार में प्राथमिकता देगी जो इस व्यापार कार्य में लगे हुए हैं न कि उनको मनमाने ढंग से बाहर से लेगीं और क्या सरकार उन व्यक्तियों को न केवल इस रोजगार में अपितु निगम के प्रबन्ध कार्य में प्रतिनिधित्व देगी ताकि वे उनके अनुभव से और इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में उनसे लाभ उठा सकें ?

श्री ल०ना० मिश्र : व्यापारियों को रोजगार दिलाने के बारे में मैं प्रोफेसर रंगा को विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा उद्देश्य इस व्यापार से सम्बन्धित व्यापारियों को यथासंभव इसमें शामिल करना हैं, माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि यह तकनीकी कार्य है और उसके लिए अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती। हम पुराने आयातकों को नहीं निकाल रहे हैं, हम उनको अपना साथी बना रहे हैं और हम उनको निगम के नाम पर आयात लाइसेंस दिये जायेंगे और इसको उन पक्षों तथा व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे जो अब तक कपास का आयात कर रहे हैं। जब और ज्योंहि हमें अपना अनुभव प्राप्त हो जाएगा, हम अपने लोग कार्य पर रखेंगे और उसमें भी हम उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का प्रयत्न करेंगे जो कि इस कार्य से सम्बन्धित हैं।

इसी प्रकार आन्तरिक व्यापार के मामले में मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि हम इस आन्तरिक व्यापार को सीधे नहीं ले रहे हैं, हम स्वयं अपना अनुभव अर्जित करने में समय लेंगे, तब निश्चय ही हम व्यापार कार्य को हाथ में लेंगे, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो रुई की खरीद आदि का कार्य कर रही हैं, मैंने सम्बन्धित मंत्रियों के साथ बात-चीत की है, उन्होंने मुझे कहा है कि व्यापारी रुई खरीदने के मामले में रुई उत्पादकों का शोषण करते हैं और किसान राज्य द्वारा क्रय करने का समर्थन करते हैं, तिस पर भी इन व्यापारियों का हमारी योजना में स्थान है।

श्री मनुभाई पटेल : रुई के आयात के विरुद्ध कोई नहीं है परन्तु आन्तरिक व्यापार के बारे में आशंका है, मंत्री महोदय इस कथन में स्पष्ट नहीं है कि आन्तरिक व्यापार नहीं लिया जायेगा, यदि इस वर्ष नहीं तो समय पर इसको ले लिया जायेगा, इसको निगम ले लेगी। उससे भी कोई विरोध नहीं कर सकता है। परन्तु मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट उत्तर देंगे कि आन्तरिक व्यापार में लगे हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह व्यापारी हो या अन्य कार्य में लगा हुआ हो, रोजगार से नहीं निकाला जायेगा और प्रत्येक को निगम के कार्य में खपा दिया जायेगा?

श्री ल०ना० मिश्र : ऐसा कोई आश्वासन देना संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। यह संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जायें। ऐसे

भी कई व्यक्ति हैं जो हमारे साथ शामिल होना नहीं चाहते हैं। अतएव वह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

मैं आन्तरिक व्यापार ले लेने के बारे में उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हम इसे तुरन्त ही नहीं ले रहे हैं। आन्तरिक व्यापार में (एक) हम किसानों को मूल्य समर्थन देने जा रहे हैं, (दो) हम यदि चाहें तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ओर से क्रय करेंगे : और (तीन) यदि गैर सरकारी कपड़ा मिलें उनकी ओर से हमारे द्वारा क्रय कराना चाहें तो हम ऐसा करेंगे। हम केवल इन कार्यों को करने जा रहे हैं। अतएव हम रुई उत्पादन क्षेत्र की वर्तमान व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने नहीं जा रहे हैं।

भविष्य में उनके रोजगार के बारे में मैं यह कोई आश्वासन नही दे सकता हूँ कि किसी को बेरोजगार नहीं किया जायेगा।

Shri D. N. Tiwary : We have had a sad experience of employment policies pursued by this corporations constituted so far. Those person, who are pitch for had in high positions employ their own will and this in an arbitrary manner wirhout taking into consideration their competence for the job. Tnis is a new corporation. It has considerable employment potential. I want to know what their policy will be regarding employment and what steps taken to remove irregularities which were in vogue in old corporations ?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member had been the President of Public Undertaking.

Shri D. N. Tiwary : So I have got experience.

Shri L. N. Mishra : At present I cannot say anything about it. We will convey their view to the Chairman and Managing Director so that they may keep this in mind and ensure to remove such grievances.

Shri Om Prakash Tyagi : The Textile Mills were running smoothly and Government was also earning considerable foreign exchange by the export of textiles what were the circumstances which compelled the Government to take over the internal trade in this way ? What irregularities compelled them to take this drastic decision.

How far this news is correct that mills of Ahmedabad and other places did not contribute their share to the fund and so the Government put up this strict?

Shri L. N. Mishra : I strongly repudiate the allegation of the hon. Member. At the Bombay Session of our party, it was decided that import of main items should be carried through State Trading Corporation and the Government. That is the policy of our Party and the Government. So far as the Growers are concerned, the hon. Member has no knowledge about them. He does not know how happy they are to see the end of their exploitation and the begining of an ara of property. Such talks are false, wrong and irresponsible.

श्री शं० शिवाजीराव देशमुख : मंत्री महोदय ने इस सभा में रुई निगम के बारे में दो विशिष्ट वचन दिये हैं, पहला यह था कि रुई व्यापारियों ने अपना आन्दोलन बिना शर्त वापिस ले लिया है, दूसरा, यदि आन्तरिक व्यापार को अपने अधिकार में लेने का अवसर आ जायेगा तो सरकार इसको ले लेगी। परन्तु मंत्री महोदय को इस सभा में यह वक्तव्य दे देना चाहिए था कि रुई व्यापारियों ने बिना शर्त अपना आन्दोलन ले लिया है और दूसरा कि इन्दिरा की सरकार

के रहने तक आंतरिक व्यापार को अपने अधिकार में नहीं लिया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय सर्वप्रथम यह स्पष्टीकरण दें कि वे कब आन्तरिक व्यापार को अपने अधिकार में ले रहे हैं और वे कब तक रुई के व्यापार बंद करने के लिये कहते रहेंगे।

श्री ल० ना० मिश्र : पहली बात पर मैं यह कहूँगा कि मैंने यह कहा था कि हमने हड़ताल करने वाले रुई व्यापारियों को कोई आश्वासन नहीं दिया था। आज भी मेरा यह कहना है कि मैंने हड़ताल करने वाले रुई के व्यापारियों को कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने स्वेच्छा से हड़ताल की थी और उसको समाप्त किया था। मैंने उन्हें हड़ताल समाप्त करने के लिए नहीं कहा था तथा मैंने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया था।

दूसरा, मैंने कहा है कि अन्त में आन्तरिक रुई व्यापार को अपने अधिकार में ले लिया जायेगा और इसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता है और जब हमें इसका अवसर मिलेगा तो फिर हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री स० कुण्डू : मैं विशिष्ट प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि आरम्भ में इसका उद्देश्य यह था कि रुई निगम स्वयं सम्पूर्ण रुई का आयात करेगा और बाद में इस निर्णय को कुछ बड़े रुई व्यापारियों के दबाव और धमकी के कारण परिवर्तित किया गया तथा समूची व्यवस्था को बदलना पड़ा और औद्योगिक लाइसेंस रुई व्यापारियों में वितरित करना पड़ा था, और यदि हां, तो सही वस्तु-स्थिति क्या है ? मैं जान सकता हूँ कि क्या इस रुई निगम के द्वारा रुई का सीधे आयात किया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मूल निर्यात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु अपेक्षा-कृत यह निर्णय कुछ देरी में किया गया है। मुझे कहा गया है कि रुई का सीजन आज से यथा 2 सितम्बर आरम्भ होता है और हम निर्णय पहले नहीं ले सके हैं। यदि हमने सीधे आयात करने का प्रयत्न किया होता तो हमसे बाजार अस्त व्यस्त हो जाता। जैसा आप जानते हैं कि सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य के बाज़ार वर्ष के इस समय में खुलते हैं अतएव इस वर्ष सीधा व्यापार करना व्यवहार्य तथा सम्भाव्य न था। मुझे आशा है कि निगम अगले वर्ष से सीधा आयात भी करने लग जायेगा, इस वर्ष हम सीधे आयात नहीं कर रहे हैं परन्तु मेरे विचार में आगामी वर्ष से सीधा व्यापार किया जायेगा। परन्तु मैं फ़िर से दोबारा कहूँगा कि मूल निर्णय अथवा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री बी० पी० कोयराला के नाम जारी किया गया पारपत्र

+

*** 754. श्री बलराज मधोक**

श्री रवि राय :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से पूछा है कि नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बी० पी० कोयराला के नाम किस प्रकार का पारपत्र जारी किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में नेपाल सरकार को क्या उत्तर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने श्री बी० पी० कोइराला को डाक्टरी सलाह पर विदेश में इलाज कराने के लिए मानवीय आधारों पर पहचान-प्रमाणपत्र जारी किया था, न कि पासपोर्ट। तदनुसार नेपाल सरकार को सूचना दे दी गई है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि श्री बी० पी० कोइराला नेपाल के नागरिक हैं, उनके पास नेपाल का पार-पत्र है और कुछ समय पूर्व भारत के कुछ दलों और व्यक्तियों द्वारा कोइराला बन्धुओं को अनुचित सहायता देने के कारण भारत और नेपाल के आपसी सम्बन्ध और तनावपूर्ण हो गए हैं ? क्या यह भी सच है कि भारत सरकार द्वारा श्री बी० पी० कोइराला को पहचान-प्रमाणपत्र जारी किये जाने के कारण दो मित्र देशों में तनाव और बढ़ गया है ? क्या सरकार ने ऐसा करके भारतीय राष्ट्रीय हितों को, जिसके अनुसार हमें नेपाल सरकार से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए, हानि नहीं पहुँचाई है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ हर संभव तरीके से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सचेत है। लेकिन इस मामले में, जैसा कि मैंने कहा, इलाज कराने के लिए तथा मानवीय आधारों पर उन्हें पहचान-प्रमाण-पत्र दिया गया था। यह सच है कि श्री कोइराला नेपाल राष्ट्रिक हैं परन्तु यह सच नहीं है कि उनके पास नेपाल का पार-पत्र है। नेपाल जेल से रिहा होने के तुरन्त बाद उन्होंने विदेशों में इलाज करवाने के लिए एक प्रार्थना-पत्र दिया। यह प्रार्थना-पत्र 18 महीनों या इससे अधिक समय के लिए विचाराधीन पड़ा रहा। अंत में उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें पार-पत्र नहीं मिल सकता। सरकार जानती है कि उसे ऐसे सारे मामलों में नेपाल सरकार के विचारों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इस विशेष मामले में सरकार ने यह अनुभव किया कि यह उसके लिए अच्छा होगा यदि वह श्री कोइराला को चिकित्सा कराने हेतु विदेशों में जाने के लिए एक पहचान-प्रमाण-पत्र जारी करे नहीं तो श्री कोइराला का जीवन संकट में पड़ जाएगा।

मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सारे तथ्यों से अवगत करा दिया था, उसे अन्धेरे में नहीं रखा था। सरकार ने नेपाल के विदेश-मन्त्री को जो हाल ही में भारत आए थे, सारी स्थिति स्पष्ट करदी थी और ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि वे सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। जहां तक मुझे ज्ञात है, वे सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे और मामला यहीं समाप्त हो गया।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि नेपाल के समाचार पत्रों और कुछ प्रवक्ताओं ने भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना की है ? क्या यह भी सच है कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत के हाल के दौरे के दौरान यह मामला भारत-सरकार के साथ उठाया था और व्यक्त किया था कि नेपाल सरकार ने भारत द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर रोष प्रकट किया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : स्थानीय समाचार पत्रों ने कुछ आलोचना की है । नेपाल सरकार ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दो देशों की मित्रता के अनुकूल नहीं है । जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार ने नेपाल के विदेश-मन्त्री से, जो भारत के दौरे पर आये थे, इस मामले पर बातचीत की थी और स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट हो गए ।

श्री हेम बरुआ : मेरे विचार में भारत सरकार ने मानवीय आधारों पर नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को पहचान-प्रमाण पत्र जारी करके कोई गलती नहीं की है । नेपाल सरकार ने क्या विरोध पत्र में रोष के कारणों का उल्लेख किया है अथवा क्या नेपाल सरकार ने चीन के प्रभाव में आकर विरोध-पत्र भेजा है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : नेपाल सरकार ने ऐसा कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा है । जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से बातचीत की थी और कहा कि वह नहीं चाहती कि श्री कोइराला को पार-पत्र अथवा यात्रा-सुविधाएं प्रदान की जाएं । लेकिन जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि वे रोगी थे और उन्हें विदेशों में चिकित्सा करवाने के लिये डाक्टरी सलाह दी गई थी । इन्हीं कारणों से उन्हें पहचान-प्रमाणपत्र जारी किया गया और मैं नहीं समझता कि सरकार इस पर अपना खेद व्यक्त करे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मन्त्री ने अच्छा कार्य किया है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : चूंकि सरकार को यह अच्छी तरह से पता था कि यह एक राजनीतिक मामला है और सरकार को यह भी पता था कि नेपाल सरकार नहीं चाहती कि श्री कोइराला को आवश्यक पार-पत्र जारी किया जाए तो क्या सरकार ने श्री कोइराला को पहचान-प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व नेपाल सरकार से यह जान लिया था कि श्री कोइराला के रोगी होने के बावजूद भी किन कारणों से श्री कोइराला को पार-पत्र जारी किये जाने के लिये अनिच्छुक है ?

श्री स्वर्णसिंह : ऐसा करना हमारे लिये आवश्यक नहीं था । श्री कोइराला भारत में थे और जब उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें चिकित्सा के लिये विदेश में जाना पड़ेगा तो सरकार ने उन्हें पहचान-प्रमाण-पत्र जारी करना संगत समझा । यह कहना ठीक नहीं है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, कि भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ काफी पत्र-व्यवहार किया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री कोइराला की चिकित्सा हेतु विदेश जाने के लिये प्रार्थना-पत्र 18 मास तक नेपाल सरकार के पास विचाराधीन पड़ा रहा । न तो उन्हें उत्तर दिया गया और न ही पार-पत्र । अतः भारत सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह नेपाल सरकार द्वारा श्री कोइराला को पार-पत्र न दिये जाने के कारण पूछे ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने माननीय सदस्य के विचार जान लिए हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या भारत सरकार ने कारणों को सुनिश्चित करने के लिए श्री कोइराला को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने में विलम्ब किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार ने श्री कोइराला के प्रार्थना-पत्र के बारे में नेपाल सरकार को यह आशा रखते हुए सूचित कर दिया था कि संभवतः वह ही पार-पत्र जारी कर दें। अन्ततः हमने माननीय आधारों पर पहचान प्रमाण-पत्र जारी कर दिया।

रूस से प्राप्त प्रतिरक्षा उपकरणों के लिये फालतू कल-पुर्जे

+

* 756. **श्री समर गुह :**

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से भारत को प्राप्त शस्त्रों, विमानों तथा अन्य सैनिक उपकरणों के लिये रूस अपेक्षित मात्रा में तथा नियमित रूप से फालतू कल-पुर्जे सप्लाई कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) और (ख) यू० एस० एस० आर० से फालतू पुर्जों की सप्लाई और उनकी भारत में प्राप्यता असंतोषजनक नहीं है। कुछ विलम्ब हुए हैं; परन्तु वह उनसे अधिक नहीं जो दूसरे साधनों से फालतू पुर्जों की प्राप्ति में होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फालतू पुर्जों की अधिक सप्लाइयें उपयुक्त ढग से प्रगतिशील बनाई जा रही है। अधिक आयात साजसामानों के लिए फालतू पुर्जों का देशीय उत्पादन रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा हस्तगत किया गया है, और कुछ मदें उत्पादित की भी जा चुकी हैं।

श्री समर गुह : क्या रूस द्वारा भारत को फालतू पुर्जों की सप्लाई उस समझौते का एक अंग है जिसके अन्तर्गत रूस भारत को हथियारों की सप्लाई करता है, यदि हाँ, तो क्या फालतू पुर्जों की मात्रा और अवधि जिसके भीतर वे पुर्जे सप्लाई किए जाने हैं, रूस द्वारा निर्धारित की जाती है अथवा भारत द्वारा और क्या सरकार के पास उस अवधि तक के लिये पर्याप्त स्टाक जमा है जिस अवधि तक रूस भारत को फालतू पुर्जे सप्लाई नहीं करता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सामान्यतः हथियारों अथवा उपकरणों की सप्लाई के साथ विशिष्ट समय के लिए रख-रखाव हेतु विशिष्ट फालतू पुर्जों की सप्लाई की जाती है। परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए और वह यह कि जब ये वस्तुए उष्ण कटिबंध देशों में आती है तो कुछ विशिष्ट प्रकार से ऐसे फालतू पुर्जे होते हैं जिनकी अधिक आवश्यकता होती है और कुछ पुर्जों की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती। अतः अनुभव के आधार पर यह प्रलेखन तैयार करना पड़ता है कि कौन से पुर्जों तथा फालतू पुर्जों की आवश्यकता है। इसी आधार पर हम रूस को अपनी मांगें भेजते रहे हैं और हमें उनसे पूरा सहयोग और सप्लाई प्राप्त हो रही है यद्यपि प्रारम्भ में कुछ कारणों से, जो मैं पहले बता चुका हूँ, सप्लाई में विलम्ब हुआ है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि रूस द्वारा सप्लाई किए गए कुछ वायुयान तथा लोहे का सामान भारत में अप्रचलित हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या रूस भारत को सप्लाई

किए गए अप्रचलित वायुयानों तथा सेना में काम आने वाले लोहे के सामान के फालतू पुर्जे तैयार कर रहा है ? रूस द्वारा ऐसा रवैया अपनाने पर जो कि हमारे लिए सहायक न हो क्या सरकार रूस द्वारा सप्लाई किए गए हथियार और वायुयानों के लिए स्वदेशी फालतू पुर्जे बनाने की तैयारियां कर रही हैं ?

श्री जगजीवन राम : मूल प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा जा चुका है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए, जैसा कि सदन को ज्ञात है, अविराम प्रयत्न किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कई वस्तुओं में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। रूस तथा विश्व के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाले हथियार और गोला बारूद के सम्बन्ध में हम प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जहाँ तक संभव हो सके हम फालतू पुर्जों की आवश्यकता और उन्हें जमा करने में आत्म-निर्भर हो सकें। परन्तु विशिष्ट प्रकार के फालतू पुर्जे बनाने तथा उन्हें जमा करने में थोड़ा समय लगता है।

श्री रंगा : हमें केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

श्री जगजीवन राम : यही तो मैंने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी अन्य किसी दिन यह कहा था कि हम एक देश पर निर्भर नहीं कर रहे। हम स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के पहले भाग का क्या हुआ ?

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा था कि रूस भारत को फालतू पुर्जे सप्लाई करने का प्रयत्न कर रहा है और हम स्वयं भी फालतू पुर्जे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कार्तिक उरांव : पुर्जों का अभाव हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। गम्भीर अन्वीक्षण करने वाले यह अनुभव करेंगे कि रूस से आयातित मशीनरी की अन्य देशों से आयातित मशीनरी की अपेक्षा जल्दी जल्दी मरम्मत करनी पड़ती है मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने हमारे वायुयानों तथा सैनिक उपकरणों के लिए आवश्यक पूर्जों के लिए विश्वव्यापी निविदा अथवा सीमित निविदा आमंत्रित किए थे। यदि नहीं तो प्रतिरक्षा संगठन, जो कि किसी भी देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, के लिए आयात किए जा रहे पुर्जों की तुलनात्मक दृष्टि से मंहगी दरों एवं नकम्मे पुर्जों की जाँच कर सकें ?

श्री जगजीवन राम : पहले तो यह प्रस्तावना कि रूसी उपकरणों की मरम्मत अधिक जल्दी जल्दी करानी पड़ती है, ठीक नहीं। माननीय सदस्य स्वयं तकनीकी व्यक्ति है। उन्होंने किसी विशेष देश में निर्मित विशेष मशीनों के लिए विश्वव्यापी निविदाएँ आमंत्रित करने का सुझाव किस आधार पर दिया, मैं समझ नहीं सका। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो सके, परन्तु यह सम्भव नहीं है।

श्री कार्तिक उरांव : यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ?

श्री जगजीवन राम : वास्तविक स्थिति यह है कि यह बात सम्भव नहीं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हम अपनी आवश्यकताओं को विश्व के विभिन्न देशों से जुटाना चाहते हैं।

श्री स०मो० बनर्जी : इस सभा में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया गया था कि नई आयुध कारखानों के चालू हो जाने पर युद्ध सामग्री, जिसमें आयात किए जाने वाले पुर्जे भी सम्मिलित हैं, के बारे में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या भारत चौथी योजनावधि में शस्त्रास्त्र एवं पुर्जों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा ?

श्री जगजीवन राम : इस कार्य में लगे हमारे आयुध कारखाने एवं अन्य प्रतिष्ठान प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कुशल कार्यकर्त्ता एवं डिजाइनरस् हैं और हम कई प्रकार के शस्त्रास्त्रों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। परन्तु इस समय विश्व में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में जो अभूत-पूर्व प्रगति हो रही है, हमें नवीनतम हथियारों की आवश्यकता पड़ सकती...मैं यह नहीं कह सकता कि हम नए तकनीकी शस्त्रों का भी आयात नहीं करेंगे।

एच० एफ०-24 विमान के इंजिन

*757. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के कुछ विशेषज्ञों के विचार में एच०एफ०-24 विमान का इंजिन त्रुटिपूर्ण है और सैनिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन विमानों के इंजिनों में सुधार करने अथवा इनके 'माडल' को बदलने के लिये क्या उपचारी कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) इशारा शायद, रीहीट सहित आर्फिथस 703 इंजन की ओर है कि जो एच०एफ०-24 आई०आर० के प्रारूप को शक्ति सम्पन्न किए था कि जो 10 जनवरी 1970 को विध्वस्त हो गया था। यदि ऐसा है तो उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : इस बारे में एक समाचार सम्भवतः "मार्च आफ दी नेशन" में छपा था कि यह वायुयान तो काफी अच्छा है परन्तु इंजन बेकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बात कहाँ तक सच है।

श्री प्र०चं० सेठी : माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया समाचार सही नहीं है। समिति ने राय दी है कि मशीन भी बिल्कुल ठीक है और उसमें कुछ खराबी नहीं।

श्री रणजीत सिंह : एच० एफ०-24 का विकास और आयोजन मैच-2 की क्षमता के लिये किया गया था। जिस इन्जन का इसके लिए उपयोग किया गया वह उस क्षमता को सहन न कर सका। जो इन्जन आपके अब उपयोग में लाए हैं उसके फलस्वरूप दो भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं। पहली दुर्घटना पर आपने कहा था कि कनैपी के न खुलने के कारण घटी थी परन्तु बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि दुर्घटना उसके कारण नहीं अपितु इन्जन के फेल होने से हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि इंजन के बारे में उद्यतन क्या खोज की गई है। इन वायुयानों के साथ मैच अथवा कौन से नए इन्जन उपयोग में लाए गये थे।

श्री प्र०चं० सेठी : जहां तक इंजन को पुनः गरम करने की प्रणाली का सम्बन्ध है इसका प्रयोग डिजाइन के स्तर पर हमारी प्रयोगशालाओं में किया गया था और इसके फलस्वरूप पता चला कि 1.4 से 1.7 की मैच (Mach) का यह काम दे सकता है। यह सच है कि मैच (Mach) 2 के लिए अभी तक उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रयोगशाला में इंजन के परीक्षण से इसे 1.4 से 1.7 तक उपयुक्त पाया गया न कि मैच (Mach) तक।

रेतीले तूफानों के कारण राजस्थान में नहरों को क्षति

*758. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रेतीले तूफान ने, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में एक सप्ताह तक रहा, नहरों तथा उनसे निकलने वाली छोटी नहरों को क्षति पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इन नहरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) कितनी धनराशि मांगी गई है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मई-जुलाई 1970 के दौरान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अनुभूत अभूतपूर्व रेतीले तूफानों से श्री गंगानगर जिले में भाखड़ा प्रणाली और गंग नहर की बहुत सी सिंचाई नालियों को क्षति पहुंची। इस क्षति में ये चीजें शामिल थी। नालियों का बन्द होना, नहर के किनारों और पटरियों पर रेत का जमा हो जाना, अपक्षरण के कारण तट सामग्री का उड़ जाना। मरम्मत आदि की अनुमानित लागत 26.5 लाख रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राजस्थान सरकार ने यह राशि स्वीकार की है और कार्य चल रहा है।

श्री वी०नरसिम्हा राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि भविष्य में रेतीले तूफान को रोकने के लिए सरकार ने उपयुक्त उपाय करने का संकल्प कर लिया है और यदि हां तो वे कौन से उपाय हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : ऐसे रेतीले तूफान पिछले 25 वर्ष में कभी नहीं आए। उनको रोकने के लिये ही हम भारी संख्या में पेड़ लगाते हैं जो कि रेत के उड़ने से रोकते हैं। गंग नहर में कुछ पेड़ लगाए गये हैं। परन्तु तब भी वहाँ रेतीला तूफान आया है। उस नगर के क्षेत्र में रेतीले तूफान के मामले पर हम आगे विचार करेंगे।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (देसु) द्वारा बिजली के प्रयोग किये जाने के बारे में पंजाब सरकार का अभ्यावेदन

+

*759. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि इस सयय जबकि पंजाब में बिजली की अत्यधिक कमी है दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (देसु) दिल्ली में बिजली की खपत को कम नहीं कर रहा है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय ने सहयोग नहीं दिया तो पंजाब दिल्ली को बिजली की सप्लाई पूर्णतया बन्द कर देगा; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) . एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि दिल्ली, भाखड़ा नांगल कांप्लेक्स से, जो कि पंजाब में बिजली की सप्लाई का मुख्य स्रोत है, बिजली लेना कम कर दे । भाखड़ा प्रणाली का परिचालन पंजाब सरकार के नियंत्रण में नहीं है और न ही पंजाब सरकार ने इस बात का कोई जिक्र किया था कि दिल्ली को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई बिल्कुल काट दी जागगी । भाखड़ा जलाशय में पानी के कम अन्त: प्रवाह और जल-क्षीयता की आगामी अवधि के दौरान सिंचाई और विद्युत के हित में जल के संचित रखने की आवश्यकता के कारण दिल्ली और भाखड़ा सेवा-क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं से की जाने ऊर्जा की सप्लाई को कम कर दिया गया है । भाखड़ा प्रणाली को और राहत देने के लिये, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने निर्व्यस्त घंटो के दौरान ऊर्जा के वापसी प्रेषण के लिये प्रबंध कर लिये हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को पढा है परन्तु मुझे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि दिल्ली में सजावट कार्यों के लिये विद्युत का उपयोग किया जा रहा है जबकि पजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में औद्योगिक उद्देश्यों के लिये भी उसके उपयोग पर भारी कटौती की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के क्षेत्र में कितने प्रतिशत कटौती विशेषत: सजावट तथा अन्य कम आवश्यक उद्देश्यों के लिए की गई है ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : दिल्ली भाखड़ा से 10 लाख यूनिट बिजली लेती है और भाखड़ा को 11 लाख यूनिट वापिस करती है । वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली नगर भाखड़ा की अधिक बिजली का उपभोग नहीं करता अपितु बिजली का बहुत भारी अंश भाखड़ा का वापिस पम्प कर देता है ।

यहां तक दिल्ली की बिजली में कटौती का प्रश्न है आपने देखा होगा कि सभी फव्वारे आदि बन्द कर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसमें इस समय और कटौती सम्भव नहीं। भाखड़ा में जल की आमद बढ़ रही है परन्तु वह अभी भी संतोषजनक नहीं।

श्री श्रीचन्द गोयल : भाखड़ा जलाशय में जल की आमद पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। इस समय भी जल-स्तर 100 फुट नीचे है। ऐसी आशंका है कि उसे सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल सकेगा। भाखड़ा प्रणाली पर पड़ रहे भारी दबाव को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया इस वर्ष भाखड़ा में जल कम आया है परन्तु इन दिनों अच्छी वर्षा हुई हैं और जल स्तर 20 फुट बढ़ गया है। पिछले वर्ष के जल स्तर की तुलना में इस वर्ष का जल-स्तर केवल 80 फुट ही कम है। फिर भी सिंचाई के लिए जल अभाव की आशंका है। मैं नहीं जानता कि सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले पानी को 75 प्रतिशत करना पड़ेगा परन्तु बिजली की कमी हम पूरी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कमी को दिल्ली से पूरा किया जा सकेगा। हम जनरेटर की मरम्मत करवा रहे हैं। सतपुरा से भी ऐसा ही सम्भव है। इस प्रकार बिजली की पूर्ति कर सकते हैं। परन्तु यदि सितम्बर में पानी का आगमन बढ़ता नहीं तो हमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दिये जाने वाले सिंचाई के लिए जल में कटौती करनी पड़ेगी।

मैडम बिह्न की भारत यात्रा के विरोध में सैगौन में एक भारतीय युवक का पीटा जाना

* 763. **श्री अब्दुलगनी डार :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1970 के दैनिक "स्टेट्समैन" के प्रथम पृष्ठ पर छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सैगौन से 130 किलो मीटर दूर मीकाँग डेल्टा स्थित केन्थौ टाउन में मैडम बिह्न की भारत यात्रा के विरोध में एक भारतीय युवक को पीटा गया था

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में दक्षिण वियतनाम की सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ग) दक्षिण वियतनाम में रहने वाले भारतीयों के जान-माल की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस घटना की सूचना सैगौन में अपने कौंसल-जनरल से मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त को एक भारतीय को मामूली हाथापाई में चोट लगी थी जब वह अपनी दुकान के बाहर प्रदर्शकों द्वारा लगाये गए पोस्टर हटा रहा था।

(ख) तत्काल ही इस घटना की सूचना दक्षिण वियतनाम के अधिकारियों को दी गई।

(ग) सरकार को प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार भारतीय नागरिक एवं भारतीय व्यापार-प्रतिष्ठान अपना कार्य सामान्य रूप से कर रहे हैं।

श्री अब्दुलगनी डार : मैं उनकी बात समझ नहीं सका ।

Mr. Speaker : The question hour is over now.

अध्यक्ष महोदय : पिछले दिन जनसंघ के माननीय सदस्य श्री बेरवा ने मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर भी चार मिनट लांघ गये तब उन्होंने कहा था कि मैं मन्त्री महोदय का संरक्षण कर रहा हूँ । उस संदर्भ में मैंने कहा था कि 'आपके पास सिवाय डाउट करने के और कोई क्वालीफिकेशन नहीं है ।" मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ । श्री बेरवा मुझसे मिले नही; मुझे उम्मीद थी कि वे यह नहीं कहेंगे कि मैं मंत्री महोदय को संरक्षण दे रहा हूँ ।

आकाशवाणी द्वारा कलकत्ता में 'युववाणी' केन्द्र खोलना

10. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा कलकत्ता में हाल ही में 'युववाणी' केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी की ऐसी विशेष सेवाओं का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस सेवा के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). "युववाणी" सेवा 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के युवक वर्ग के श्रोताओं की विशेष आवश्यकताओं और रुचि को पूरा करने के लिये है । इस सेवा के अन्तर्गत युवक ग्रुपों द्वारा तैयार या प्रस्तुत या उनके लिये मनोरंजक कार्यक्रम तथा खेलकूद, साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक समस्याओं, रोजगार के अवसरों, शिक्षा, सामाजिक मामलों आदि पर ऐसी वार्ताएं, चर्चाएं और इन्टरव्यू प्रसारित किये जाते हैं जो उनकी विशेष रुचि के होते हैं ।

श्री समर गुह : कलकत्ता में युववाणी केन्द्र खोलने के बारे में सरकारी विनिश्चय का स्वागत करते हुए, मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि दिल्ली केन्द्र से प्राप्त अनुभव से लाभ उठाते हुए हमें युववाणी के कलकत्ता केन्द्र को समय बिताने का भ्रष्ट साधन नहीं बनने देना चाहिये जिससे कि हिप्पियों की उप-संस्कृति का विस्तार होता है और जिनके गानों में नारी का अश्लील चित्रण होता है । बंगाल के युवक सिर तोड़ सकते हैं, बम गिरा सकते हैं परन्तु स्मरण रहे कि वे और ही मिट्टी के बने हुए हैं ।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि कलकत्ता के युववाणी केन्द्र के लिए प्राथमिक कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व क्या आकाशवाणी कलकत्ता की परामर्श समिति से विचार-विमर्श अथवा परामर्श किया गया था । यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की एक विशेष समिति गठित करेगी जो उन कार्यक्रमों के लिए आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित करे और युवकों में से कलाकारों एवं भाग लेने का चयन करें ।

श्री ई० कु० गुजराल : माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के पहले भाग का जहां तक संबन्ध है, कि मुझे युवकों, विशेषतः बंगाल के युवकों पर पूरा पूरा भरोसा है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हमने कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व बंगाल के युवा संगठनों से बातचीत की थी।

श्री हेम बरुआ : आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है कि बंगाल के युवकों पर आपको भरोसा है।

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने कहा था, "विशेषतः"। इसका यह अभिप्राय नहीं कि आसाम के युवकों पर हमारा भरोसा नहीं है।

एक परामर्शदातृ समिति गठित की जा रही है परन्तु उसमें मुख्यतः युवकों के प्रतिनिधि ही होंगे।

श्री समर गुह : आपने युववाणी कार्यक्रमों के बारे में आकाशवाणी कलकत्ता की परामर्श समिति से बातचीत के लिए कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई ?

श्री इ० कु० गुजराल : हमने अपने दिल्ली के अनुभवों के आधार पर अनुभव किया है कि युवकों सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा युवकों के साथ करना अधिक उपयुक्त है—उससे अच्छे परिणाम निकले, उसकी अपेक्षा कि माननीय सदस्य महोदय जैसे बरिष्ट मित्रों से विचार विमर्श से निकलते।

श्री समर गुह : मैं उनका बड़ा तो हूं परन्तु मैं समझता हूं कि उनके समान ही युवा हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या युववाणी केन्द्र ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे नई पीढी को बंगाल के निर्माताओं के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे नई और पुरानी पीढ़ी का अन्तर कम हो। दूसरे क्या युववाणी के कलकत्ता केन्द्र द्वारा ग्रामीण युवकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, युववाणी केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि युवकों की समस्याओं का समाधान तथा उनसे सम्पर्क उन्हें भाषण देने से हल नहीं होंगे। यह केन्द्र उनके भाग लेने के लिए बने हैं और दिल्ली का अनुभव बहुत उत्साह वर्धक है क्योंकि इसमें अच्छा भाग लिया है।

श्री धीलू मोदी : यह युवक कांग्रेस के कारण सम्भव हुआ होगा।

श्री इ० कु० गुजराल : यह स्वतन्त्र दल के युवकों द्वारा संभव हुआ है।

श्री समर गुह : क्या मेरे प्रश्न का सार यही है कि मैं युवकों को केवल भाषण देने का परामर्श देता हूं। युवकों को बंगाल के महापुरुषों से प्रेरणा देने के कई तरीके हैं।

सभापति महोदय : श्री समर गुह कभी बूढ़े नहीं होंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे माननीय सदस्य के सुझावों का ध्यान है। उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिये। युवक युवक ही है भले ही वे किसी भी क्षेत्र में रहें।

श्री पीलू मोदी : जनसंख्या में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भेद नहीं है । यह कैसा उत्तर है । मंत्री महोदय को पाठशाला जाकर आकाशवाणी पर भाषण सुनने चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि युववाणी कार्यक्रम उद्देश्य देश के 15 से 30 वर्ष तक के युवकों को आकर्षित करता है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की तैयारी में इसी वय के लोगों द्वारा किया जाता है अथवा उनसे बड़ी उमर के लोगों द्वारा तैयार होता है ।

श्री इ० कु० गुजराल : युवा वर्ग ही कार्यक्रम तैयार करता है । कलकत्ता में हमने इस कार्यक्रम को 2 सप्ताह से शुरू किया है । दिल्ली में यह कार्यक्रम एक वर्ष से चल रहे हैं । कार्यक्रम सलाहकार समिति में युवा स्त्री पुरुष शामिल हैं ।

दूसरे हमने आकाशवाणी स्टाफ के इसी वर्ग के कर्मचारियों को इस सेवा के लिए नियुक्त किया है । तीसरे इस कार्यक्रम के निर्माता भी इसी वय के व्यक्तियों में से चुने जाते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the special reasons for opening a second centre at Calcutta after Delhi and what was it, criterian and at what other places you propose to open new centres in the comming two years ?

Secondly, are you starting same programmes to infuse spirit of nationalism and democracy among the youth ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस वर्ष हम देश में 6 अन्य केन्द्र खोले जायेंगे । इन केन्द्रों की स्थापना में मुख्य ध्यान उन स्थानों पर दिया जाता है, जहाँ पृथक सरणि उपलब्ध थी । कलकत्ता में ऐसी पृथक सरणि विद्यमान थी दूसरे इस सम्पूर्ण परिस्थिति हमने सोचा कि हमें युवकों के साथ अधिक सम्पर्क रखा जाये । मौलिक जनतान्तरिक भावनाओं एवं राष्ट्रीय मूल्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना हमारा स्वाभाविक उद्देश्य है ।

श्री रंगा : मेरे मित्र युवकों के साथ घनिष्ठता की बात करते हैं और राष्ट्रीय मूल्यों का बखान करते है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कार्यक्रम के निर्माण में इस बात का क्या ध्यान रखा जाता है कि हिंसक उपायों को कोई प्रोत्साहन न मिले जोकि आजकल विभिन्न राजनीतिक कार्यकलापों में अपनाए जा रहे हैं ।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूँ । स्वाभाविक रूप से हिंसक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे ।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether one of the reason for opening Yuvavani Centre at Calcutta is to weave away the youth of Bengal who are at present being attracted by nexelite egitation ?

श्री इ० कु० गुजराल : आकाशवाणी पर अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति रोजगार की प्रतिपूर्ति नहीं करती ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं युवको के लिय इस कार्यक्रम का स्वागत करता हूँ । परन्तु देश के बेरोजगार कार्यक्रमों में नहीं कार्यक्रमों की कार्यन्विति में रुचि रखते हैं । मैं यह जानना

चाहता हूँ कि क्या इस माध्यक से वे क्षुधात्रस्त युवको से कहना चाहते हैं कि उनके लिये कुछ किया जा रहा है। इसमें उन्हें कितनी सफलता हुई है ?

श्री नम्बियार : केवल शब्दों से ही उनका पेट नहीं भरना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

भूटान में चीन द्वारा अतिक्रमण की संभावना

*755. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इन्का (इंडियन न्यूज एन्ड फीचर एजेंसी) द्वारा परिचालित तथा 28 मई, 1970 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन आगामी कुछ सप्ताहों में भूटान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की तैयारी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यदि भारत सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) भारत सरकार ने संदर्भित रिपोर्ट देखी है परन्तु चीन के ऐसे किसी इरादे को जानकारी नहीं है।

(ख) भूटान की सुरक्षा के लिये आवश्यक साधन विद्यमान है।

भारतीय वायुसेना तथा स्थल सेना के कर्मचारियों के वेतन तथा राशन में अन्तर

*760. **श्री नाम्बियार** : क्या **प्रतिरक्षा-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना तथा स्थल सेना की समान श्रेणियों और पदों के कर्मचारियों के वेतन तथा राशन में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थल सेना के कर्मचारियों का वेतन और राशन बढ़ाकर वायुसेना के कर्मचारियों के बराबर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) (क) सेना और वायुसेना के सेविवर्ग के लिए लागू वेतन और राशनमान एक समान नहीं हैं वेतनमान के संबंध में विस्तार सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग और रक्षा संस्थान के असैनिकों के संबंध में सेवा की शर्तें, 1970 पुस्तक में दिए गए हैं, कि जो मंत्रालय के अन्तिम वार्षिक आवेदन के साथ सभी सदस्यों को परिचालित की गई थी।

कुछ गत वर्षों में की गइ कार्यवाही द्वारा काफी समेकता प्राप्त की गई है। तदपि निम्न महत्वपूर्ण मदों में भिन्नताएं अब भी विद्यमान हैं :-

	मद	मान	
		सेना	वायु सेना
(1)	जमा हुआ तेल	70 ग्राम	80 ग्राम
(2)	चीनी	90 ग्राम	70 ग्राम
(3)	मांस	100 ग्राम	180 ग्राम
(4)	दूध	230 मि० ली०	190 मि० ली०
(5)	सब्जियाँ	180 ग्राम	160 ग्राम
(6)	बेसन	15 ग्राम	—

तदपि दोनों मानों का ऊष्मीय मूल्य एक-सा है अर्थात सेना (जवानों)के लिए 3950 और वायुसेना के लिए 3998।

(ख) सेना और वायुसेना के वेतनमानों में भिन्नताओं के कारण है अंशतः स्वतंत्रता से पहले विद्यमान मूल अन्तर परन्तु मुख्यतया विभिन्न वर्गों और पदों में उत्तरदायित्वों की सीमा और कर्तव्य के गुण रूप में भिन्नता। इस प्रकार दोनों सेवाओं में आवश्यक योग्यताए कौशल और अनुभव विभिन्न है। प्रत्येक पद और वर्ग में वेतन की समेकता इसलिए शक्य नहीं है।

जहां तक राशन का संबंध है भिन्नता के कारण हैं मुख्यता परम्परागत और ऐतिहासिक तथा समेकता प्राप्त करने के लिए सेवाओं की कटौतियां स्वीकार करने की अनिच्छा।

(ग) और (घ) : सेविवर्ग की सेवा के शर्तों और स्थितियों का ध्यान करते हुए सशस्त्र सेना के सेविवर्ग को प्राप्त होने वाले नकद तथा द्रव्य में लाभों और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति पर लाभों समेत उपलब्धियों के ढ़ांचे का निरीक्षण तृतीय वेतन आयोग को सौंपा गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों और विचारों को सामने रखते हुए इन मामलों पर सरकार विचार करेगी।

दिल्ली तथा दिल्ली के आस-पास ट्रांसफार्मरों की चोरी

*** 761. श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में तथा उसके आस-पास हुई ट्रांसफार्मरों की चोरियों के कितने मामले पुलिस में दर्ज कराए गए हैं ;

(ख) पुलिस की जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) ऐसी चोरियों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 1968 के आरम्भ से 31 जुलाई, 1970 तक दिल्ली और उसके समीप ट्रांसफार्मरों की चोरी के 61 मामले पुलिस को सूचित किए गए हैं। चोरी के मामले दिल्ली नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं।

(ख) पुलिस की छानबीन से अभी तक न तो चोरी की गई सामग्री बरामद हुई है, और न चोरी करने वालों को ही पकड़ा जा सका है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की संरचनाओं के साथ झाल (वेल्ड) दिया गया है ; पुलिस अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों से अनुरोध किया गया हैं कि वे विशेषकर बाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दें। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने भी ट्रांसफार्मरों की चोरी के सम्बन्ध में पक्की सूचना देने वाले व्यक्ति को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

नेशनल प्रोजेक्ट्स क ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का नेशनल बिल्डिंग आगनाइजेशन के साथ विलय

* 762. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसदीय समिति तथा एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड को लगातार घाटा होने के कारण इसका नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन में विलय कर देना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और इन मामले की वर्तमान स्थिति क्या है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षणी अफ्रीका को हथियारों की बिक्री के बारे में ब्रिटेन का भारत को उत्तर

* 764 **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री शिव चन्द्र झा** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने दक्षिणी अफ्रीका को हथियारों की प्रस्तावित बिक्री के बारे में भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का ध्यान सभी पश्चिमी देशों द्वारा इस निर्णय की निन्दा किये जाने की ओर भी दिलाया है ; और क्या भारत ने ब्रिटेन की सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करने के ब्रिटेन के इरादे के विषय में भारत और ब्रिटिश प्रधान मंत्रियों के बीच पत्राचार हुआ है। चूंकि पत्राचार गोपनीय प्रकृति का है इसलिए इसकी विषय वस्तु को बताया नहीं जा सकता। दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई करने की यू० के० की चेष्टा के भारत सरकार खिलाफ है, यह बात लोकसभा में पहले ही बताई जा चुकी है।

देहरादून में तीसरा उपग्रह संचार भू-केन्द्र

* 765. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तीसरा उपग्रह संचार भू-केन्द्र के अगले वर्ष देहरादून में स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना धन नियत किया गया है तथा इस परियोजना की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पूना के निकट आर्वी में स्थापित किये जा रहे भूमि-स्थित उपग्रह केन्द्र के अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक और भूमि-स्थित उपग्रह केन्द्र उत्तरी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना में युक्त एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली के समीप दूसरा भूमि-स्थित केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव विदेश संचार सेवा की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। प्रस्तावित द्वितीय भूमि-केन्द्र के स्थान के लिये एक विभागीय तकनीकी समिति ने तकनीकी तथा अन्य विचारों के आधार पर देहरादून के निकट एक स्थान की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

प्रस्तावित द्वितीय भूमि-स्थित केन्द्र प्रायोजना की संभाव्यता रिपोर्ट विदेश संचार सेवा के महानिदेशक द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि-केन्द्र की लागत, जो कि उत्तरी क्षेत्र की विदेश दूर-संचार पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लगभग 609 लाख रुपये रहने का अनुमान है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 190 लाख रुपये होगा। यह भूमि केन्द्र हिन्द महासागर उपग्रह के माध्यम से भी कार्य करेगा। संभाव्यता रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान की यात्रा करने के इच्छुक हिन्दुओं को बीजा देने में पाकिस्तान सरकार द्वारा भेद-भाव किया जाना

*766. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए हिन्दुओं को बीजा देने के सम्बन्ध में पाकिस्तान भेद-भाव बरत रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार या तो बीजा दिया ही नहीं जाता या उसे देने में बहुत देर की जाती है।

(ग) पाकिस्तान के भारत स्थित हाई कमीशन के साथ और इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई जबाब नहीं मिला है।

स्टेनलैस स्टील तथा पोलीथीन मोल्डिंग पाउडर का अनधिकृत आयात

* 767. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने गत तीन वर्षों में स्टेनलैस स्टील तथा पोलीथीन मोल्डिंग पाउडर के बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध आयात का पता लगाया है जो कि कुछ बेईमान आयातकर्ताओं द्वारा लाइसेंसों में हेर-फेर करके किया जाता था ;

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित आयातकर्ताओं तथा इस हेर-फेर के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऊंची दर पर बिजली की सप्लाई

*768. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 'ग्रिड' प्रशुल्क के निर्धारण से पूर्व विनिमय बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड ने व्यापक विनियम बनाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या 'ग्रिड' प्रशुल्क मनमाने तौर पर निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय बिजली बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड के विरुद्ध अनुचित दर लेने के लिये कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा०कु०ल० राव) : (क) से (घ). बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के खण्ड (ज), धारा 79 के अन्तर्गत, राज्य बिजली बोर्ड, लाइसेंसधारियों को विद्युत सप्लाई करने के लिए ग्रिड टेरिफ्स नियत करने हेतु सिद्धांतों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति से, विनियम बना सकता है। बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 46 के अन्तर्गत, इस सम्बन्ध में बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार बोर्ड द्वारा समय-समय पर ग्रिड टैरिफ को नियत करने की आवश्यकता होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि बोर्ड के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह धारा 46 के अन्तर्गत ग्रिड टैरिफ नियत करने से पहले धारा 79 के अन्तर्गत सर्वप्रथम विनियम बनाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला किया है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित ये ग्रिड टैरिफ धारा 46 में बनाई गई संरचना के अनुसार हैं, इसलिए ये स्वेच्छित नहीं हैं। ग्रिड टैरिफ़ दरें अन्य तुलनीय राज्यों में उन टैरिफ दरों के मुकाबले निषेधात्मक नहीं हैं।

सिडनी में गांजा के आयात में हांग कांग में रह रहे एक भारतीय का हाथ होना

*769. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हांग कांग में रह रहे 19 वर्षीय भारतीय के बारे में कोई जानकारी है जिसका एक राजनयिक दूत और दो अन्य व्यक्तियों के साथ सिडनी में गांजा के आयात में हाथ था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया स्थित हमारे हाई कमीशन से हमें रिपोर्ट मिली है कि हांग कांग में रहने वाले एक भारतीय राष्ट्रीक को आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों ने चरस की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मुकदमा चलने वाला है।

कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति

*770. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : तमिलनाडू सरकार के कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की माँग पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु०ल० राव) : कावेरी बेसिन में परियोजनाओं पर

मतभेदों की तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत करके मित्रतापूर्वक हल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अप्रैल और मई, 1970 में मुख्य मंत्रियों के बीच दो बैठक हो चुकी है और निकट भविष्य में एक और बैठक करने का विचार है।

समुद्री संसाधनों के साम्यिक वितरण के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संठगन की स्थापना

*771. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में माल्टा सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुसार कम विशेषाधिकार प्राप्त देशों के हितों की रक्षा करते हुए समुद्री संसाधनों का उचित तथा साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार का मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को वर्तमान राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं से आगे की समुद्र तल के बारे में कुछ बुनियादी सिद्धांत बनाने चाहिए यानी उस का केवल शाँति स्थापना के कार्यों के लिए हस्तेमाल किया जाय। यह राष्ट्रीय अपनत्व की भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए; इसके संसाधनों का सभी देशों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए विशेष रूप से विकासमान देशों के लाभ के लिए और इस की खोज एवं उपयोग के लिए सभी राज्यों की गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में अंतराष्ट्रीय कानून एवं उसके घोषणा पत्र के अनुसार संचालित होनी चाहिए। समुद्र तल के संसाधनों के न्यायोचित वितरण के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

1975 तक टेलीविजन सैटों की मांग

*772. **श्री स० कुण्डू :** क्या प्रधान मंत्री 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए टेलीविज़न सैटों की मांग वाले स्थानों के बारे में बाज़ार-सर्वेक्षण कार्य करने का आदेश कब दिया गया था और ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाले गये थे;

(ख) प्रतिवर्ष 2 लाख टेलिविजन सैटों के निर्माण में कितना व्यय आयेगा; और

(ग) क्या इलैक्ट्रानिक्स विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग ने 1975 तक टेलिविजन सैटों को संभावित मांग का पता लगाने के लिए बाज़ार सर्वेक्षण कार्य पर आपत्ति की हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) अगस्त 1969। निष्कर्ष टी०वी० और रेडियो परिवार के कीमतों, निपटाने योग्य आय, उपभोक्ता की तरजीह और कार स्वामित्व डाटा के सह-सम्बन्ध विश्लेषण के संदर्भ में, नमूने के अध्ययन पर आधारित थे।

(ख) 2 लाख टी०वी० सैटों का उत्पादन लगभग 30 करोड़ रुपये वार्षिक का होगा। मशीनों और संयन्त्र तथा अन्य नियत संपत्तियों पर इस उत्पादन पर व्यय 2 करोड़ रुपये के स्तर का होना शक्य है।

(ग) जी नहीं।

विदेशी बाजारों को माल भेजने के लिये एक कपड़ा मिल की स्थापना

*773. **श्री रा० क० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट विदेशी मंडियों की बढ़िया किस्म के भारतीय कपड़े की मांग की पूर्ति के लिए एक कपड़ा मिल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में ऐसी विशिष्ट मंडियां कौन-कौन सी है जिनके लिए ऐसी मिल स्थापित करना आवश्यक हो गया है ;

(ग) विदेशों में किस-किस बढ़िया किस्म के कपड़े की भारी माँग है; और

(घ) क्या वर्तमान कपड़ा मिलें उक्त मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) : सरकारी क्षेत्र में एक निर्यात-अभिमुख कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम में एक प्रस्थापना तैयार की जा रही है। मामला अभी प्रारम्भिक स्थिति में है और प्रस्थापना का ब्यौरा निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को हानि

*774. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड गत तीन वर्षों से भारी हानि उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसको आज तक वर्षवार कितनी हानि हुई है;

(ग) इस निगम के कार्यकरण को दोषरहित बनाने तथा उसमें सुधार करने, विशेष रूप से प्रधान कार्यालय में प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम 1966-67 तक लाभ कमा रहा था परन्तु उसने 1967-68 से हानि उठाई है। वर्षवार हानियां नीचे बताई जाती हैं :—

1967-68	29.21 लाख रुपये (हानि)
1968-69	104.99 लाख रुपये (हानि)

वर्ष 1969-70 के लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना अभी शेष रहता है।

(ग) और (घ). निगम के कार्यालय को सुधारने के लिये ये पग उगाए गए हैं- निविदा सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना, मितव्ययिता लाने के लिये समझदारी के साथ विभागीय और उजरती कर्मक प्रणाली के सम्मिश्रण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यों की क्रियान्विति प्रणाली का पुनरवलोकन तथा इस कारण बंधे खर्चों को कम करने के लिये मुख्यालय और क्षेत्रीय यूनिटों में स्टाफ पद्धति का पुनः मूल्यांकन। लागत के सामयिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये प्रोफार्मे भी बनाए गए हैं। यंत्रों और उपस्कर के वर्तमान भंडार का पुनरवलोकन भी किया गया है और लाभदायक मशीनों के अधिकतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने और फालतू बेकार ऐसे गैर-किफायती मरम्मत के उपकरणों को निपटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। प्रोत्साहन की एक स्कीम चलाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रशासनिक और अन्य बंधे खर्चों को कम करने के लिये भी पग उठाये गए हैं। कर्मचारियों की संख्या का पुनरावलोकन करके बहुत से पद समाप्त कर दिये गए हैं और रिक्त हो गए पदों को भरा नहीं गया है। आकस्मिक व्यय में भी काफी मितव्ययिता लाई गई है। इन पगों के फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपये की बचत हुई है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार

*775. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार की क्या स्थिति रही है;

(ख) यदि उक्त देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है तो वे कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें भारत का व्यापार इन वर्षों में स्पष्टतः कम हो गया है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय का आशय किन विशेष देशों से है। यदि समूचे रूप से इकाफे के देशों को लिया जाए तो इस क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ भारतीय व्यापार की मात्रा, जो वर्ष 1967-68 में 560.74 करोड़ रुपये की थी, बढ़कर वर्ष 1969-70 में 639.18 करोड़ रु० की हो गई है और उसी अवधि में हमारे निर्यात 271.91 करोड़ रु० से बढ़कर 379.15 करोड़ रु० के हो गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीय इस्पात के आयात पर जमा-रोक शुल्क

*776. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या तीन पूर्व अफ्रीकी देशों- उगांडा, तनजानियां और कीनिया ने अपने भारतीय इस्पात के अपने आयात पर 30 प्रतिशत जमा-रोक शुल्क लगाया है;

(ख) क्या इससे पूर्व अफ्रीकी देशों को निर्यात किये जाने वाले भारतीय इस्पात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). तंजानिया द्वारा भारतीय लोहे तथा इस्पात की छड़ों तथा शलाकाओं पर 33-1/3 प्र० श० बाजार पाटना निरोधक शुल्क लगाया गया है। कीनिया द्वारा भी गोल तथा वर्गमुखी लोहे की छड़ों पर बाजार पाटना निरोधक शुल्क लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है, परन्तु अभी तक शुल्क की दर का ऐलान नहीं किया गया है। युगांडा ने अभी तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

यदि इस प्रकार का विभेदकारी शुल्क, हटाया नहीं गया तो इससे प्रश्नाधीन वस्तुओं के इन देशों को होने वाले हमारे निर्यातों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने पूर्वी अफ्रीकी देशों की सरकारों से इस शुल्क के लगाए जाने पर कड़ा विरोध प्रकट किया है और इसको तत्काल हटाने की आवश्यकता के बारे में उनसे आग्रह किया है। सरकार इस शुल्क को समाप्त करवाने के लिए सभी उपलब्ध उपायों का आश्रय लेगी।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ भारत के वाणिज्य-दूतीय सम्बन्धों की स्थापना से पश्चिमी देशों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया

*777. **श्री हिम्मतसिंह का** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी के साथ भारत द्वारा वाणिज्य दूतीय सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किये जाने से ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य पश्चिम में भारत के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश में सही सही क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) क्या इस प्रतिक्रिया से चौथी योजना में भारत को विकास योजनाओं हेतु इन देशों से प्राप्त होने वाली सहायता की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य ने कुछ आशंका प्रकट की थी कि हमने जो कदम उठाया है उससे जर्मन संघीय गणराज्य और अन्य पूर्वी युरोपीय देशों के साथ तस्फिया करने के जर्मन संघीय गणराज्य के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होगी। जर्मन संघीय गणराज्य के साथ कोंसली संबन्ध

स्थापित करने के भारत के निर्णय पर यु० के०, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में ऐसी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई है, जिससे सरकार अवगत हो।

(ग) जी नहीं। सरकार ऐसा नहीं समझती कि भारत को इन देशों से सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं पर इस मसले से असर पड़ सकता है या पड़ेगा।

लन्दन में इम्पैक्स प्रदर्शनी में भारतीय फर्मों द्वारा भाग लेना

*778. **श्री जी० वेन्कटस्वामी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में लन्दन में होने वाली इम्पैक्स प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये कुल कितनी भारतीय फर्मों ने अनुमति मांगी है;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त प्रदर्शनी में भाग लेने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ फर्मों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). केवल एक फर्म-- अर्थात मे० इण्डो यूरोपियन मशीनरी कं० प्रा०, बम्बई, ने इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया था और उसे भाग लेने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) पार्टी की व्यावसायिक स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने और निर्यात संवर्धन करने के लिए उसकी योग्यता को देखा गया था।

Export of Viscose Yarn

*779. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of viscose yarn being exported at present ;

(b) whether he is aware that the small factories of Amritsar, Surat, etc., are not working upto their full capacity on account of shortage of viscose yarn ;

(c) if so, whether Government propose to impose a ban on the export of viscose yarn keeping in view the production and interest of the small scale industries ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

During the year 1969-70 about 3 lakhs Kgs. of viscose filament yarn were exported from India while during April-June, 1970 the exports of this yarn are reported to have been about 1.21 lakh Kgs. The export constitutes a very small portion of the production of this yarn, which was about 384 lakh Kgs. during 1969. There have been representations about some capacity in the artsilk weaving industry being idle, particularly in Amritsar,

but it is difficult to say that this is so only because of shortage of viscose filament yarn or because of the export of the small quantity of this yarn. There is no proposal at present to impose a ban on the export of this commodity. Government is not, however, encouraging its export. It has, already, been decided to allow creation of further capacity in the viscose filament yarn industry to the extent necessary to reach the production target for the Fourth Five Year Plan.

सहकारी समितियों को अपरिष्कृत काफ़ी की सप्लाई

*780. **श्र० कु० गोपालन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सहकारी समितियों को अपरिष्कृत काफी के न सप्लाई किये जाने के संबंधी निर्णय के कारण काफी बोर्ड को होने वाली भारी कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार करेगी और सहकारी समितियों को अधिक मात्रा में अपरिष्कृत काफी सामग्री सप्लाई करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अपरिष्कृत काफी की अपेक्षा काफी पाउडर की पूर्ति करने के काफी बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों को हुई कुछ कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

सामान्यतः आंतरिक बाजार के लिये निश्चित की गई संपूर्ण काफी का 75% अंश व्यापार मार्गों के माध्यम से और 15% सहकारी समितियों तथा 10% प्रचार विभाग के माध्यम से दिया जाता है । पिछले वर्ष का 73,000 मे०टन का उत्पादन गिरकर इस वर्ष 62,000 मे० टन रह जाने के कारण निर्यात वचनबद्धताओं को सुनिश्चित करना तथा आंतरिक बाजारों को होने वाली पूर्तियों को विनियमित करना आवश्यक था ताकि जनसाधारण को ऊंचे मूल्य न देने पड़े और साथ साथ मूल्य स्तर को यथापूर्व कायम रखा जा सके ।

इस योजना के अंतर्गत, सहकारी समितियों को बीजों की बजाय काफी के एक भ्रानक लोकप्रिय मिश्रण की पूर्ति बिना किसी सीमा के की जा रही है और सहकारी समितियों को दिये गये काफी पाउडर का मूल्य, नई निलामी मूल्य से 5% कम पर निर्धारित किया जाएगा । इसका उद्देश्य मूल्य स्तर को कायम रखने के उपाय के रूप में काफी उपभोक्ता जनता को, निश्चित किफायती मूल्य पर, जो खुले बाजार में काफी के मूल्य से लगभग 2 रु० प्रति किलो कम हो, एक मानक किस्म के काफी पाउडर का उपलब्ध कराना है । यह परिवर्तन कम फसल को देखते हुए एक अस्थायी उपाय के रूप में किया गया है ताकि उपभोक्ता अपनी सामान्य आवश्यकताओं

से अधिक मात्रा अपने पास जमा न करे। अब चूंकि योजना ठीक रूप में चल रही है और पाउडर की बिक्री बढ़ रही है इसलिये इस योजना पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सिद्धार्थ राजपथ और भारत का पूर्वी-पश्चिमी राजपथ में भाग

4921. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का सिद्धार्थ राजपथ के निर्माण में कुल कितना व्यय होगा;

(ख) पूर्वी-पश्चिमी राजपथ के निर्माण में भारत का कितना भाग होगा;

(ग) पूर्वी-पश्चिमी राजपथ के 270 किलोमीटर मध्य क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य की कितनी लागत आएगी;

(घ) इस राजपथ पर निर्माण कार्य किस तिथि को आरंभ होगा; और

(ड.) किन ठेकेदारों का इस कार्य के लिए चयन किया गया है और इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए सबसे ऊंची दरों के और निम्नतम दरों के टेंडरों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संशोधित प्राक्कलन 14.80 करोड़ रुपये का है।

(ख) पूर्वी सेक्टर के लिए 22 करोड़ रुपए।

(ग) सर्वेक्षण कार्य का अनुमानित खर्च 8.93 लाख रुपये है।

(घ) केन्द्रीय सेक्टर के समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

(ड.) इस काम के लिए अभी तक ठेकेदारों का चयन नहीं हुआ है।

Violations of Indian Air Space Torritory and Territorial waters committed by China

4922. **Shri Hukam Chand Kachiwai** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the total number of violations of Indian air space territory and territorial waters committed by China since 1st January, 1969 ;

(b) the action taken by Government against the persons involved in the said violations and the number of Chinese nationals arrested in this regard ; and

(c) the action Government to check border violations in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Since 1st January, 1969, there have been 13 violations of Indian air space by Chinese aircraft and 5 land violatitons by Chinese personnel. There has been no violation of Indian territorial waters.

(b) NO Chhinese nationals were arrested. The intruding Chinese personnel withdrew from Indian territory after a short while on each occasion.

(c) Government is taking necessary security precautions and measures.

हथकरघा वस्तुओं का संचित भंडार

4923. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों के गोदामों में हथकरघा वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार जमा है;

(ख) यदि हां, तो इस भंडार की कुल मात्रा, किस्म तथा मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मद्रास में हथकरघा बुनकरों के प्रतिनिधियों ने 10 जुलाई 1970 को केन्द्रीय सरकार से कहा था कि वह संचित भंडार की समूची बिक्री के लिये तुरन्त ही सहकारी समितियों द्वारा समूची फुटकर बिक्री पर कम से कम 45 दिन के लिये प्रति रुपये पर 10 पैसे की विशेष उपभोक्ता छूट दे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हाँ।

(घ) मामला विचाराधीन है।

भारत कारपेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस देना

4924. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों का मूल्य क्या है तथा उन देशों के क्या नाम है जहां से आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इस देश में मशीनों के वास्तविक आयात का मूल्य कितना है और क्या इस बीच इन को फरीदाबाद में उनके कारखाने में लगा दिया गया है;

(ग) क्या इस में अनुचित प्रभाव का उपयोग किया गया था और क्या इस कम्पनी ने विदेशी सहयोग के बिना और अपनी आवश्यकता से अधिक आयात लाइसेंस प्राप्त किये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हीरों के व्यापार में भ्रष्टाचार

4925. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीरों के कुछ गैर-सरकारी व्यापारी कम बीजक बनाने तथा विदेशी मुद्रा को काले बाजार में पुनः बेचने जैसे भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये थे जिससे कि हीरों के औसत सरकारी मूल्य में एक डालर प्रति कैरट की कमी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों के नाम क्या हैं तथा उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इस कारण सरकार को गत दो वर्षों में हीरों के निर्यात में कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ किये गये करारों का स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या है और ये करार कब से लागू होंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये मामले की जांच करने के लिये प्रवर्तन निदेशालय से कहा जा रहा है। ऐसी जानकारी जो उनके पास उपलब्ध हैं तथा जो लोकहित को हानि पहुँचाए बिना प्रकट की जा सकती है, संकलन के पश्चात् लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) हीरे का आयात, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ हुई व्यापार योजना में शामिल है, तथापि सरकार ने इस पद के आयात के लिये न तो जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के साथ और न ही जर्मनी के लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार के साथ कोई औपचारिक करार किया है। तथापि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मै० इन्ट्राक से, जो जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की एक व्यापारिक संस्था है, रुपये में अदायगी के आधार पर हीरे के आयात किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

कांगों के साथ हीरों के निकालने में सहयोग

4926. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त रूप से हीरों के निकालने के बारे में कांगों के साथ बातचीत पूरी की है;

(ख) यदि नहीं, तो इस करार को करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित करार का स्वरूप क्या है तथा उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) भारत में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के हीरों की वार्षिक मांग है और उन का आयात किन देशों से किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). यह जानकारी प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

अमरीका की हथकरघा वस्तुओं में निर्यात पर रोक

4927. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को तैयार हथकरघा वस्तुओं, जैसे कमीजों, कुर्तों आदि को अग्रेतर जहाजों द्वारा भेजने पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस समस्या पर भारत और अमरीका के अधिकारियों के बीच वार्ता का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस रोक से अमरीका में कितने विभागीय भंडार प्रभावित हुए हैं और गत दो वर्षों में उन्होंने प्रतिवर्ष कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सं० रा० अमरीका की तैयार हथकरघा वस्तुओं के निर्यात पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । अमरीका में बहु-विभागीय भंडारों द्वारा आयातित वस्तुओं का मूल्य पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है ।

हरिद्वार के समीप मायापुर बांध में गाद एकत्रित होना

4928. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार के समीप मायापुर बांध में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो जाने की समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारी गाद भरा पानी, जो गंगा में 21 जुलाई से 28 जुलाई तक बह रहा था, नहर में बहता रहा तथा मायापुर में हैड रेगुलेटर से प्रथम सात मील अनुप्रवाह दिशा में गंगा नहर के तल पर 5 फीट से 8 फीट गहरी गाद जमा हो गई । उत्तर प्रदेश सरकार ने गाद को हटाने के लिए प्रबन्ध किये हैं ताकि रबी फसलों को पानी देने के लिए 15 अक्तूबर तक नहर में पानी डाला जा सके ।

24 अगस्त को सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने नहर का निरीक्षण किया था तथा गाद हटाने के कार्य में तेजी लाने के लिए व्यास परियोजना से कुछ मशीनरी स्थानांरित करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

Representation to Class IV. Employees of the National Defence Workers' Union Kanpur in Joint consultative Machinery

4929. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the reasons for not giving representation to Class IV employees of the National Defenc Workers Union Kanpur in the Joint Consultative Committee ;

(b) the rules laid down by Government for granting recognition to the unions of the Defence Department :

(c) whether all the unions falling within the purview of those rules have been granted recognition ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) Representation on the JCM is limited to Unions which are recognised or which fulfil the conditions of recognition. Government are not aware of any Union in the name of National Defence Workers Union, Kanpur.

(b) to (d). Existing guidelines which regulate the recognition of Unions of Defence civilians are summarised in the enclosed statement. The Unions which satisfy the prescribed conditions are normally granted recognition.

STATEMENT

Statement containing the guidelines in regard to grant of recognition to Trade Unions of Defence Civilians

As a general principle it may be mentioned that the grant and continuance of recognition to workers' Unions or Federations rests in the discretion of the Government. Normally a trade union having its membership covering more than one establishment is not recognised by Government except in the MES. Similarly, trade unions in forward areas, special units like training institutions etc. are also not normally granted recognition.

2. A trade union is eligible for recognition provided the following conditions are fulfilled :

(1) Its membership must be confined to workmen employed in the same unit.

(2) It must be representative of all workmen employed in the unit. To establish the representative character of the union, it will be deemed sufficient if not less than 15% of the workmen/Clerks and/or Supervisors whom the union purports to represent are its members.

(3) Its rules must not provide for the exclusion from its membership of any class of workmen referred to above in clause (2).

(4) A suitable provision regarding the procedure for declaring strike, as per the Model Strike Clause, is to be provided for in the Constitution of the Union.

(5) The rules of the Union should also provide for the holding of a meeting of its executive committee at least once in six months.

(6) It must be registered under the Indian Trade Unions Act. 1926.

(7) The Union shall not maintain a political fund, except with the general or special sanction of the Government of India and subject to such conditions as the Government may impose.

ब्रिटेन सरकार द्वारा सैनिकों को दी गई युद्ध जागीरें

4930. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिकों को युद्धकाल में उनकी सराहनीय सेवाओं के बदले ब्रिटेन सरकार उन्हें युद्ध जागीरें पुरस्कार के रूप में देती थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुरस्कार पैतृक रूप से दिया जाता था और परिवार के बड़े पुत्र द्वारा पीढ़ी उसका लाभ उठाया जाता था ;

(ग) ऐसी जागीरें कितने व्यक्तियों को दी गई थीं और इस सम्य कितने व्यक्ति इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं;

(घ) इस समय शेष व्यक्तियों को यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं; और

(ड.) ऐसे कितने मामले सरकार के पास अनिर्णित पड़े हैं, प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है और इन मामलों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) . (क) जी, हां ।

(ख) जागीर भत्ता तीन जीवनों के लिए होता है, और हर उत्तराधिकारी में आधा कम हो जाता है ।

(ख) से (ड.). सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है, और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामग्री) कानपुर में अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए समय निर्धारण

4931. **श्री शारदा नन्दन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामग्री) कानपुर के अधिकारियों को स्थानान्तरित करने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और कुल कितने अधिकारी उस समय-सीमा की समाप्ति के उपरांत भी वहाँ कार्य कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (प्र० चं० सेठी) : गत 12 मास में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (द्रव्य) कानपुर के तीन अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए गए थे । एक अफसर तो शीघ्र ही अन्तरित हो गया दूसरे अफसर का तबादला अफसर से अभिवेदन के कारण करुणाकारणों वश 6 मास के लिए सक्षम अधिकरण द्वारा निलम्बित कर दिया गया । अब तक दिसम्बर 1970 में अन्तरित होगा । तीसरे अफसर का तबादला दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो अन्य अफसरों के तबादले से अंतसंबद्ध था । कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण उन दोनों अफसरों का तबादला निरस्त कर दिया गया था । इसलिए डी० आर० एल० (बम) के अफसर का तबादला निलम्बित कर दिया गया था । तदपि डी० आर० एल० (बम) का अफसर अब शीघ्र ही अन्तरित किया जाएगा ।

इस प्रकार यद्यपि अफसरों के तबादले के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई, परम्परा है कि नियुक्ति के आदेशों की प्राप्ति पर साधारण कार्यग्रहण अवधि के पश्चात अफसर अन्तरित हो जाते हैं ।

कानपुर की प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (एम) में कथित भ्रष्टाचार

4932. **श्री शारदा नन्द :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उन्हें मालूम है कि कानपुर की प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (एम) के अधिकारियों ने सहकारी समिति स्थापित की थी और यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों की यह कार्यवाही नियमों के अनुकूल थी; और यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कानपुर की प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (एम) ने एक जनरेटर खरीदा खा जिसने कभी कार्य नहीं किया, और यदि हां, तो यह किस कम्पनी से खरीदा गया था तथा इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार को प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (एम) के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बारे में कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी हां । 1964 के सी० सी० एस० (कन्डक्ट) रूल के नियम 12 (3) के अनुसार, अपने कर्तव्यों का पालन करने को छोड़कर किसी बैंक या कम्पनी के पंजीयकरण, उसकी उन्नति या प्रबन्ध में, कि जिसका वाणिज्य उद्देश्यों से कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत या समय पर लागू किसी कानून के अन्तर्गत पंजीयकरण आवश्यक है, या किसी सहकारी समिति में भाग लेने के लिए किसी सरकारी सेवक को सरकार की पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है । चूंकि वाणिज्य उद्देश्यों के लिए समिति के पंजीयकरण से पहले सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई थी, इस समिति की बिरचना नियमों के अनुसार नहीं है । मामला जमा सरकार के सामने आया, ऐसी निर्देश जारी किये गये थे कि समिति की गतिविधि फौरन बन्द करदी जाए ।

(ख) जी नहीं । बिजली की खराबी के दौरान माइक्रोव्यालाजिकल फर्मेंटर के लिए आपाती सहायक के तौर पर एक 15 डी० वी० ए० विद्युदुत्पाक खरीदने के लिए आर० एण्ड डी० संगठन द्वारा स्वीकृति दी गई थी । विद्युदुत्पादक निर्देशक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (द्रव्य) कानपुर द्वारा प्रतियोगितात्मक उद्धरणों के आधार पर सर्वश्री लन्दन मशीनरी कम्पनी लटोच कानपुर से 19950 रुपये की लागत पर दिसम्बर 1969 में खरीदा गया था । क्रय रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (द्रव्य) के भवनों में अच्छी तरह परीक्षण के पश्चात प्रयोगशाला द्वारा सम्पन्न किया गया था । विद्युदुत्पादक चालू हालत में है और बिजली की खराबी के दौरान आपाती सहायक के तौर पर काम दे रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) आरोपित भ्रष्टाचरणों के लिए सरकार को प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण किया जा रहा है।

विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशों में बसे भारतीयों का भारत में मेडिकल कालेजों में दाखिला

4933. **श्री बसुमतारी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों से प्री-मेडिकल परीक्षा पास करने के उपरांत 1970 में कितने विदेशी राष्ट्रिकों ने जिनमें, विदेशों में बसे भारतीय भी शामिल हैं, मेडीकल कालेजों में दाखिले के लिये आवेदन किया;

(ख) उनके लिये आरक्षित कोटे के आधार पर भारत में मेडिकल कालेजों में दाखिल किये गए अभ्यर्थियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी ने प्री-मेडिकल परीक्षा में कितने अंक लिये थे; और

(घ) दाखिला किस आधार पर किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1970 में इस वर्ग के 924 ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन भेजे, जो स्वयं अर्थ प्रबन्ध कर सकते हैं।

(ख) और (ग). दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये**। संख्या एल० टी० 4142/70]

(घ) देशवार स्थान निर्धारित किये जाते हैं। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, सरकार देशवार योग्यता क्रम सूची के आधार पर, इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए सिफारिश करती है।

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली में सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

4934. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली में सड़कों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्देश्य के लिये 1964 में खम्बे लगाये गये थे;

(ग) यदि हां, तो बल्ब आदि लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) औद्योगिक बस्ती में प्रकाश की कब तक व्यवस्था करदी जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां,।

(ख) से (घ). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि प्रारम्भ में 6 स्ट्रीट लाइट प्वांइट दिए गए थे परन्तु उनको उर्जित नहीं किया गया था क्योंकि प्रचालन और रखरखाव के व्ययों को पूरा करने के लिये आवश्यक करार नहीं हो पाए थे। 93 स्ट्रीट-लाइट प्वांइट देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किये हैं। आवश्यक अदायगी की प्राप्ति के पश्चात कार्य को हाथ में लिया जायेगा और लगभग 3 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा।

भारी गलन (हैवी मोल्डिंग) के आयात के लिए लाइसेंस देना

4935. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ घरेलू इस्पात भट्टियों के मालिकों को 10,000 से 20,000 मीटरी टन तक के भारी गलन का आयात करने के लिये लाइसेंस दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस आयात के लिये कहां से धन जुटाया जा रहा है तथा उन भट्टियों के मालिकों के क्या नाम हैं जिन्हें ये लाइसेंस दिये जा रहे हैं ; और

(ग) कितने मूल्य के आयात के लिये लाइसेंस देना स्वीकार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोहस कतरण निर्यात नीति

4936. **श्री न० प्र० यादव** : : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि लोहस कतरण निर्यात नीति, जिसकी घोषणा 1 अप्रैल को दी जानी थी, 9 जुलाई, 1970 को घोषित की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्यात नीति के बिलम्ब से घोषित होने के कारण अप्रैल, 1970 में निर्यात बुकिंग की अनुमति नहीं दी गई जब कि उस समय निर्यातों का बहुत ही अच्छा मूल्य मिल सकता था ; तथा तत्पश्चात् मूल्यों में गिरावट आ गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त नीति के घोषित किये जाने के बाद भी "योग्यता के आधार पर" (आन मैरिट) शब्दों के स्पष्टीकरण के अभाव के कारण निर्यात बुकिंग स्वीकार नहीं की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अप्रैल 1970 तथा जुलाई, 1970 में निर्यात बुकिंग के स्वीकार न किये जाने के कारण अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई तथा निर्यात की अविलम्ब अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस्पात की कमी के कारण, भट्टियों में पिघलाने के लिए स्क्रैप की घरेलू मांग एकदम बढ़ गई थी । वर्ष के लिए सम्यक नीति निर्धारित करने के लिए, निर्यातकों तथा भट्टी मालिकों के पारस्परिक विरोधी दावों की जांच की जा रही थी ।

(ख) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ी हुई मांग होने के कारण अप्रैल में निर्यात बुकिंग को बन्द कर देना आवश्यक था । परन्तु जांच करने पर, कुछ श्रेणियों के स्क्रैप के निर्यात हेतु संविदाएं करने की अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) निकासी हेतु देशी माल की जांच की जा रही है ।

(घ) केवल लौह स्क्रैप के निर्यातों के मूल्य के रूप में हानि-लाभ का अनुमान लगाना, उचित आर्थिक मूल्यांकन नहीं होगा। घरेलू भट्टियों में अधिक उपयोग के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था द्वारा आवश्यक इस्पात की प्राप्यता बढ़ जाती है आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 1969 के 48 लाख रुपये मूल्य के निर्यात की तुलना में, अप्रैल 1970 में निर्यात 129 लाख रुपये मूल्य का हुआ था।

योग्यता के आधार पर रद्दी (स्क्रैप) लोहे का निर्यात

4937. **श्री न० प्र० यादव** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान रद्दी लोहा निर्यात नीति के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों के रद्दी लोहे के निर्यात के लिए "योग्यता के आधार पर" अनुमति दी जाती है :

(1) कास्ट आयरन बोरिंग ;

(2) संख्या 2, 2ए तथा 3 किस्म की चादर-कतरनें ;

(3) डीटिंग स्क्रैप ;

(4) आयरन स्केल स्क्रैप ; और

(5) मिल स्केल स्क्रैप ;

के स्वतन्त्र रूप से निर्यात के स्थान पर केवल "योग्यता के आधार पर" निर्यात किये ;

(ख) यदि हां, तो इनके स्वतन्त्र रूप से निर्यात के स्थान पर केवल "योग्यता के आधार पर" निर्यात की जाने की अनुमति देने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) "योग्यता के आधार पर" (आन मैरिट) वाक्यांश का क्या अभिप्राय है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) इन मदों के निर्यात की अनुमति गुणावगुण के आधार पर देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातों की अनुमति देने से पूर्व घरेलू मांग पूरी हो सके।

(ग) लौह स्क्रैप के मामले में गुणावगुण के आधार पर, निर्यात, इन शब्दों से अन्य बातों के साथ, यह अभिप्राय है कि घरेलू मांग पूरी होने के बाद निर्यात के लिये बचे माल की प्राप्यता के अनुमान के आधार पर निर्यात लाइसेंस दिये जायें।

रद्दी इस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4938. **श्री न० प्र० यादव** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 जुलाई 1970 को घोषित रद्दी लोहा निर्यात नीति 1970-71 में नरम स्पात "टर्निंग्स एण्ड बोरिंग्स" तथा संख्या 1 की चादरों की कतरनों और पंचिंग स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1967 से 1970 तक प्रति वर्ष उपरोक्त श्रेणियों की रद्दी कतरनों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा कितनी मात्रा में उन्हें देश में पिघलाने के काम में लाया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि देशीय विद्युत-भट्टियों के मालिक नरम इस्पात की "टर्निंग्स एण्ड बोरिंग्स" तथा संख्या 1 की चादरों की कतरनों और पंचिंग स्क्रैप की सारी एकत्रित मात्रा का जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर, कम से कम गत वर्ष के स्तर पर बीमा करालें ताकि मूल्यों पर दबाव न पड़े और यह अधिकतम मात्रा में एकत्रित होता रहे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) संख्या 1 की चादरों की कतरनों और पंचिंग्स तथा नरम इस्पात "टर्निंग्स एण्ड बोरिंग्स के निर्यात पर रोक यह सुनिश्चित करने के लिये लगानी पड़ी कि विद्युत भट्टियों की घरेलू आवश्यकताओं सो सर्वथा पूरा किया जा सके।

(ख) 1967-68 से 1969-70 तक के वर्षों में उपरोक्त ग्रेडों के स्क्रैप के निम्नलिखित निर्यात किये गये :

नरम इस्पात "टर्निंग्स एण्ड बौरिंग्स"

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(1000 मे० टनों में)	(लाख रुपयों में)
1967-68	126	252
1968-69	112	186
1969-70	116	232
	संख्या 1 कीं चादरों की कतरनें और पंचिंग्स	
1967-68	30	83
1968-69	27	59
1969-70	25	69

स्क्रैप के स्वदेशी प्रयोग से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) इस्पात भट्टियों को सप्लाई किये जाने वाले स्वदेशी माल के मूल्यों का निर्धारण, स्क्रैप व्यापारियों तथा भट्टी मालिकों के बीच तय हुई शर्तों के आधार पर किया जाता है।

मैसर्स पूर्ण वलकेनाइजिंग वर्क्स, गौतम नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, को मशीनों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस देना

4939. **श्री स० कुन्दू** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पूर्ण वलकेनाइजिंग वर्क्स, गौतम नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, को भुवनेश्वर में आधुनिक बलकेनाईजिंग संयंत्र स्थापित करने के लिये पश्चिमी जर्मनी से मशीनों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस फर्म को पश्चिमी जर्मनी में इसके भागीदारों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा में से मशीनों का आयात करने के लिये भी आयात लाइसेंस देने की सिफारिश की है ; यदि हां, तो आयात लाइसेंस देने के कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस नियम को बदलने का है जिसके अन्तर्गत भारत मूलक लोग अपनी बचाई हुई विदेशी मुद्रा का उपयोग अपनी आवश्यकता के उपकरणों को आयात करने में नहीं जा सकते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). इस फर्म को पहले, पश्चिम जर्मन ऋण के आधार पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से उनकी विशेष किराया-खरीद योजना के अंतर्गत पश्चिम जर्मनी से टायर रिट्रीडिंग तथा रिसोलिंग मशीनों के आयात का आफर किया गया था क्योंकि उस समय फर्म के सीधे लाइसेंस देने के लिए कोई पश्चिम जर्मन ऋण प्राप्य नहीं था। यह आफर उन्हें मान्य नहीं था। बाद में फर्म ने पश्चिम जर्मनी में स्थित अपने कुछ साझेदारों द्वारा बचाई गई विदेशी मुद्रा में से आयात करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार की कार्यवाही का उड़ीसा सरकार द्वारा समर्थन किया गया परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि विद्यमान नीति के अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से अपनी बचत की राशि भारत भेजने की उपेक्षा की जाती है। अभी तक इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। अतः फर्म के आवेदन पर अब पुनः विचार किया गया है और पूंजीगत माल हेतु पश्चिम जर्मन ऋण के आधार पर केवल उन्ही अपेक्षित मशीनों का भी आयात करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं है।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना

4940. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति ने कोयम्बतूर स्थित संकटग्रस्त मिलों के कार्य के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का सार क्या है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा तमिलनाडु कपड़ा निगम द्वारा राधिका मिल्स का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लेने की सिफारिश की है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कोयम्बटूर स्थित कमजोर मिलों के कार्य की जांच-पड़ताल के बारे में कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। हां, तमिलनाडु में कुछ सूती कपड़ा मिलों के मामलों की जांच करने के लिए वर्ष 1968 में तीन जांच समितियां नियुक्त की गई थीं।

(ख) और (ग). जिस समिति ने राधिका मिल्स के कार्य की जांच-पड़ताल की थी उसने मिल्स का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने की सिफारिश की थी।

फिर भी, चूंकि यह सीमान्त मिल थी और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इसके समापन के आदेश दिये जा चुके थे, अत: मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना वांछनीय नहीं समझा गया ।

Demand by Uttarakhand Lok Kalyan Parishad for development of Hilly District of U. P.

4941. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Prime Minister be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that she had participated in the function organised by Uttarakhand Lok Kalyan Parishad in Kasturbanagar, New Delhi on 12th May, 1970 ;

(b) if so, whether certain demands were presented on that occasion on behaf of the Parishad for the development of hilly districts of U. P.;

(c) if so, the details thereof and the specific action taken so far to implement them ;

(d) whether Government have also received similar representations from organisations like the Kumaon Bhumiheen Parishad, Uttarakhand Chhatra Parishad, Parvtiya Kala Kendra etc ; and

(e) if so, reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) (a) to (c) . Yes Sir. The Prime Minister addressed a meeting of the Uttarakhand Lok Kalyan Parishad on the 12th May, 1970 when a welcome address containing certain demands was presented to her. The demands were forwarded to the Government of Uttar Pradesh as the State Government is essentially responsible for the development of the hill region of the State.

(d) and (e) . The Prime Minister had received a representation from the Uttarkhand Chhatra Parishad Delhi regarding economic and educational development of the hill districts of U. P. This was also forwarded to the U. P. Government for appropriate action.

It may be added that the hill areas are being given special attention in the Fourth Five Year Plan and the State Government have been requested to make specific provisions for the development of these areas. Attention is invited in this connection to the reply given to Unstarred Question No. 502 on 29.7.1970 in the Lok Sabha.

पश्चिमी बंगाल में बमों के निर्माण के लिये विस्फोटक पदार्थों को चोरी छिपे लाना

4942. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह सभी राज्य सरकारों को बमों के निर्माण तथा पोटाशियम क्लोराइड जैसे सभी रसायनों की चोर बाजारी रोकने के लिए 'समान कार्यवाही" करने को कहें जैसे कि पश्चिमी बंगाल में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि बमों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक पदार्थों को पश्चिमी बंगाल में सीमावर्ती राज्यों से चोरी छिपे लाया जाता है और

(घ) सीमावर्ती राज्यों से विस्फोटक पदार्थों के लाने तथा ऐसे स्थानों पर, जहां तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के लिए बमों का निर्माण किया जाता है, ले जाने पर शीघ्र रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(घ) राज्य प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में विस्फोटक पदार्थों की तस्करी को रोकने, उन स्थानों पर नजर रखने जहां बम बनाये जाने की सम्भावना है और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री व भण्डार के बारे में सम्बन्धित नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

अलाभप्रद वैज्ञानिक अनुसंधान पर धन की कथित बरबादी

4943. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रतिरक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डा० एस० भगवतम के उस भाषण की ओर दिलाया गया है जो कि उन्होंने 27 अप्रैल, 1970 को श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के "विस्थापक व्याख्यान" के अवसर पर दिया था और जिस में उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार उद्देश्यहीन और अलाभप्रद वैज्ञानिक अनुसंधान पर धन बरबाद कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने औद्योगिक अनुसंधान के लिए श्री राम संस्थान द्वारा संगठित 6वें यादगारी समारोह में डा०एस० भगवन्तम द्वारा 22 अप्रैल, 1970 को दिए गए लेक्चर की प्रति देखी है । लगता है लेक्चर में देश की व्यापक वृद्धि के साथ विज्ञान पर व्यय को संबंधित करने के बारे में व्यापक सलाह दी गई है ।

बेल्लारी और हासपेट क्षेत्रों में अयस्क का उत्पादन

4944. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष ने 16 जुलाई, 1970 को मैसूर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बेल्लारी और हासपेट क्षेत्रों में अयस्क का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ाने और अयस्क का पत्तनों पर शीघ्रता से पहुँचाने के बारे में वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इसके लिये इस क्षेत्र के खान मालिकों को क्या सहायया दी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) अयस्क उत्पादन को अधिकतम करने तथा अयस्कों के लाने ले जाने में तेजी लाने के लिये, खनिज तथा धातु व्यापार निगम खान-मालिकों को निम्नोक्त प्रकार से सहायता देता है;

(1) खनिज तथा धातु व्यापार निगम खान मालिकों से लोह-अयस्क, ऐक्स-प्लाट रेल पर्यन्त आधार पर खरीदती है । इससे खान मालिकों को, उनके माल का मूल्य रेल पर्यन्त पहुँचते ही मिल जाता है और उनकी धनराशि अवरुद्ध नहीं होती है ।

(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम खान मालिकों से उनकी खानों के विकास के लिये दीर्घकालीन संविदाएं करता है ।

(3) खनिज तथा धातु व्यापार निगम खनन मशीनरी तथा उपस्कर की खरीद के लिये ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है ।

वियतनाम में अमरीकी सेना का प्रवेश

4945. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व भारत ने वियतनाम के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भागीदार के रूप में भारी विरोध के होते हुए अमरीकी सेना के प्रवेश की अनुमति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बागान उद्योगों में केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया

4946. **श्री शिवचन्द्र झा०** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागान उद्योगों में गत तीन वर्षों में केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया में प्रगति हुई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्राम विकास वित्त निगम स्थापित किया जाना

4947. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की परामर्शदात्री समिति की 25 जुलाई,

1970 को हुई बैठक में संसद सदस्यों ने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम विकास वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण आवास स्कीमों का कार्यक्रम राज्य योजना क्षेत्र में है। राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है कि वे ग्रामीण आवास को पहले की अपेक्षा उच्चत्तर प्राथमिकता प्रदान करें और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत इस के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। ग्राम विकास वित्त निगम गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण आवास में सहायता पहुँचाने के लिए संस्थागत संसाधनों से धन जुटाने की सम्भावना का अध्ययन किया जा रहा है।

लेह जाते हुये भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा

4948. **श्री मु० अ० खां** : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 फरवरी, 1968 को लेह जाता हुआ भारतीय वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह मान लिया था कि उस विमान में यात्रा करने वाले सभी कर्मचारी मर गये हैं और क्या इ० एम० इ० 611 वटालियन के एम० इ० पी०/डी० वी० टी० शरीकुद्दीन खां, नं० 7090013, जो कि ड्यूटी पर थे, मरने वालों में एक थे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सभी मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा दे दिया गया है और स्वर्गीय शरीकुद्दीन खां के पिता को कितनी राशि दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). जी हां, सिवाय इसके कि विमान प्रतिकूल मौसम के कारण चंडीगढ़ लौट रहा था।

(ग) और (घ). 98 व्यक्तियों में से जो दुर्घटना के समय विमान पर सवार थे, 87 सेवाओं के सेविवर्ग थे और 11 असैनिक।

सेवाओं के सेविवर्ग के मामले में देय मुआवजे में शामिल है विशेष कुटुम्ब पेंशन, मृत्यु उपदान और करूणाकारणवश अवार्ड। सेवाओं के 83 सेविवर्ग के आश्रितों के लिए विशेष कुटुम्ब पेन्शन और कुटुम्ब उपदान की स्वीकृति दे दी गई है। अब तक 68 आश्रितों के लिए करुणमूलक अवार्ड स्वीकृत किया जा चुका है। शेष मामलों में दावों को अन्तिम रूपरेखा दे पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि या तो वह प्राप्त ही नहीं हुये या दावों के कई पहलुओं पर निरीक्षण अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ।

11 असैनिकों में से 10 आश्रितों को मुआवजा स्वीकृत किया जा चुका है कि जो वर्कमेन्ज कम्पेंशेसन अधिनियम 1923 के अर्न्तगत मुआवजे के अधिकारी थे। शेष मामले में असैनिक अफसर की विधवा से दावा प्रतिक्षत है।

भूतपूर्व सिपाही सिरूफूद्दीन के पिता को स्वीकृतिएं की गई हैं :-

(1) 250 रुपये का एक कुटुम्ब उपदान।

(2) 8-2.68 से 7-8-68 तक की अवधि के लिये 240 रुपये का एक विशेष-कुटुम्ब भत्ता।

(3) 8-8-68 से जीवन भर के लिये 40 रुपये मासिक की एक विशेष कुटुम्ब पेंशन। उसी तिथि से 7.50 रुपये मासिक की एक तदर्थ वृद्धि भी बढ़ा कर 17.50 रुपये मासिक 1-9-69 से प्रदान की गई थी।

(4) 2640 रुपये का एक अनुग्रहपूर्वक अवार्ड।

चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिये नीति

4949. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारत से 'प्रतिभा पलायन' को रोकने के लिये सरकार ने कोई निश्चित नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). भारत से प्रतिभा पलायन को कम करने के लिये सरकार कई प्रकार की कार्यवाही कर रही है। वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के देश में रहने तथा काम करने और विदेशों में गये व्यक्तियों की वापिसी के लिये सुविधा देने के उपाय संलग्न वक्तव्य में दिये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 4143/70]

यह प्रयत्न जारी रखे जायेगें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्टरनेशन विजनेस मशीन्स द्वारा कम्प्यूटरों तथा मशीनों का आयात

4950. **श्री स० कु० तापड़िया :** क्या **प्रधान मंत्री** इन्टरनेशन विजनैस मशीन्स द्वारा कम्प्यूटरों तथा मशीनों का आयात के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के तरांकित प्रश्न संख्या 1274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि यह फर्म केवल बहुत पुराने कम्प्यूटरों का आयात करती है, उनपर उपभोक्ताओं से बहुत अधिक किराया लिया जाता है और इसमें अन्ततः लागत बढ़ जाती है ?

गृह कार्य मंत्रालत में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) सर्व श्री आई० वी० एम० भारत को 1968 से 3 वर्षों की अवधि में 1401 के 68 कम्प्यूटरों के उत्पादन के लिए लाईसेंस दिया गया था। वह इन मशीनों को 'जैसे है' अवस्था में आयात करते हैं, और उन में कुछ परिवर्तन और आधुनिकीकरण के पश्चात् सप्लाई करते है। इन कम्प्यूटरों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा अनुमोदित ऋणों से जुटाई जाती है, कि जिसे आई० वी० एम० यू० एस० ए० में अपने मुख्यों से प्राप्त करते हैं और अपने निर्यात को कमाई से भी। यह कम्प्यूटर बेचे भी जाते हैं और किराए पर भी दिये जाते हैं।

(ख) 1401 कम्प्यूटर आधुनिकतम किस्म के नहीं हैं और स्थूल आवस्थिक यन्त्रों न कि समग्रीकृत यन्त्रों का प्रयोग करते हुये दूसरी पीढ़ी के हैं। कम्प्यूटरों के लिये भारी किराया वसूल करने संबंधी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

4951. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में 1970-71 में नारियल जटा उद्योग का विकास करने के संबंध में कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले कारखानों की संख्या और उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और उक्त कारखानों के स्थापित किये जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) केरल सरकार ने 1968 में केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की थी, वह केवल वर्ष 1970-71 के लिये ही न थी, अपितु पूरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये थी।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 15.66 करोड़ रु० का पूंजीगत परिव्यय होना था, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना था, जिसमें से कुछ 600 नई प्रारम्भिक समितियां, तथा 4 केन्द्रीय विपणन समितियां, इमारतों, दफ्तरों, गोदाम आदि के साथ, स्थापित करने के लिये अंशतः कर्जे के रूप में दिया जाना था। यद्यपि इशका उद्देश्य पूर्ण रोजगार तथा वर्तमान कर्मचारियों के काम करने की परिस्थितियों में सुधार करना था तथापि इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, इस सम्बन्ध में योजना में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) इसके परिणामस्वरूप, योजना आयोग ने नारियल जटा उद्योग के विकास के व्यापक पुनर्विलोकन और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने हेतु एक अध्ययन दल स्थापित किया। अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया है और यह सरकार के विचाराधीन है।

Exports and Imports by Public and Private Sectors

4952. **Shri P.C. Adichan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the details of the goods proposed to be exported to various countries during the year 1970-71 by Public and Private Sectors and whether these exports would be more than that made during last year; and

(b) the details of the goods proposed to be imported from various foreign countries during the year 1970-71 by public and Private Sectors and whether these imports would be more than that made during last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) While no separate export target have been framed for the public and the private sectors, it is proposed to export all the goods which the country can produce and for which there is demand abroad with certain exceptions. It is hoped to reach in 1970-71 the targetted growth of exports of 7% over the preceding year.

(b) So far as imports through the public sector are concerned, the relevant information is given in part (B) of the Import Trade Control Policy for 1970-71 Vol. I. In addition to these imports, the pnblic sector also traditionally undertakes the imports of some other items, such as, food, fertilizers, etc. On the basis of the rate of import licensing during 1969-70, it is expected that imports in 1970-71 would be higher than in the preceding year.

कुछ सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

4953. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेनाओं के कुछ अधिकारियों जिनमें ब्रिगेडियर होशियार सिंह भी हैं, द्वारा 1962 और 1965 में चीनी/पाकिस्तानी आक्रमण के समय अपने जीवन की आहूति दे देने के बाद भी उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा रैंक क्या हैं और पेंशन और उपदान के लाभ वापिस लेकर अथवा अन्य प्रकार से उन पर क्या जुर्माने किये गये ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। 1962 के चीनी आक्रमण या 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के संबंध में निधनप्राप्त होने के पश्चात् न तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह और न किसी और ही रक्षा सेवाओं के अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

4954. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी देशों से टेलीविजन सेटों के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार का विचार अन्य देशों के सहयोग से देश में ही टेलीविजन सेटों को बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाता है तो एक टेलीविजन सेट का मूल्य अनुमानतः कितना होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) टी० वी० सेटों का वाणिज्य आयात मना है। तदपि, कुछ शर्तों पर चुंगी कर की अदायगी पर नीजी सामान के तौर पर टी०वी० सेटों के आयात की अनुमति है।

(ख) दीशीयतः विकासित टेकनालोजी पर आधारित टी०वी० सेटों का निर्माण देश में पहले से स्थापित हो चुका है और अब तक 4000 सेट मार्केट में आ चुके हैं। इस लिए टी०वी० सेटों के वाणिज्य आयात या उन के निर्माण के लिए विदेशी टेकनालोजी के आयात की अनुमति देना प्रस्तावित नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

इथोपिया में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध

4955. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है अथवा लगाने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क): इथोपिया में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार के पास किसी प्रस्तावित रोक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है :

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय फिल्मों की तस्करी

4956. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**

श्री स० कुण्डू :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि भारतीय फिल्मों की विदेशों में गैर-कानूनी बिक्री से भारत को प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम हुआ है कि प्रायः गैर-कानूनी निर्यात के लिये भारतीय फिल्मों की अतिरिक्त प्रतियां कच्ची फिल्म का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, जिन्हें बेकार हो गई फिल्मों के रूप में दिखाया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार के गैर-कानूनी निर्यात और विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि कतिपय भारतीय चल-चित्र विदेशों में अप्राधिकृत रूप से प्रदर्शित किये जा रहे हैं। इससे होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) सरकार को किसी विशेष मामले की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) सरकार इस क्षेत्र में होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये प्रयत्न कर रही है।

रबड़ की आवश्यकता तथा उत्पादन

4957. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मंगलायुमाडम :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न किस्मों के रबड़—प्राकृतिक तथा कृत्रिम की कितनी मांग है;

(ख) देश में विभिन्न किस्मों के रबड़ का उत्पादन कितना है; और

(ग) यदि इस का आयात किया जा रहा है, तो किन-किन देशों से ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन इस प्रकार रखा:—

	प्राकृतिक रबड़	संश्लिष्ट रबड़
	(मै० टन०)	
1965-66	63765	21553
1966-67	68685	23592
1967-68	74518	23324
1968-69	86615	27238
1969-70	86213	30636

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	प्राकृतिक रबड़	संश्लिष्ट रबड़
	(मै० टन०)	
1965-66	50530	14741
1966-67	54818	22358
1967-68	64468	19942
1968-69	71054	25868
1969-70	81953	28689

(ग) प्राकृतिक रबड़, मलयेशिया, सिंगापुर, श्री लंका, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी (पश्चिम), फ्रांस तथा बेल्जियम से आयात किया जाता है। संश्लिष्ट रबड़, अमरीका, ब्रिटेन, रूमानिया, जर्मनी (पश्चिम) फ्रांस, कनाड़ा, नीदरलैंड तथा बेल्जियम से आयात किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के विस्थापितों को दिया गया मुआवजा

4958. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश ने 1965 में निर्णय किया था कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अर्पित कृषि भूमि आदि को 500 रुपये प्रति बीघा कोमन अदा की जायेगी ।

(ख) यदि हाँ, तो सतलुज-व्यास लिंक अधिकारियों ने भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत पंचाट में पोंग बांध के विस्थापितों को उन की भूमि, मकानों और अन्य वस्तुओं के लिये मुआवजे की कितनी राशि अदा की है और उन पंचाटों पर अधिकारियों ने क्या निर्णय दिये हैं; और

(ग) भूमि अर्जन अधिकारियों के पंचाटों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों ने पोंग बांध के विस्थापितों की अपीलों पर वर्ष 1969 तथा 1970 में मुआवजे की कितनी राशि दी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1966 में अपने राजस्व अधिकारियों को हिदायतें जारी की थीं कि वे अधिग्रहणाधीन जमीनों की बाजारी कीमत घटिया से घटिया दर्जे की जमीन के लिये न्यूनतम 500 रुपये प्रति बीघा की दर से लगाएं ।

(ख) ब्याज सतलुज लिंक परियोजना के लिये अधिगृहीत विभिन्न श्रेणी की भूमियों के लिये प्रति बीघा दी गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०4144/70**]

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने वर्ष 1969 और 1970 में पोंग बांध के निमित्त भूमि के अधिग्रहण के लिये केवल एक अवार्ड घोषित किया था और इस अवार्ड के प्रति विस्थापितों द्वारा दायर किये गए तीन मामले जिला न्यायाधीश के पास निर्णय के लिये पड़े हैं ।

बम्बई में रूसी दूतावास की इमारत

4959. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माउंट प्लेजेंट रोड़, बम्बई स्थित इमारत वास्तव में एक रूसी सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के लिये थी न कि रूसी वाणिज्यिक मिशन के लिये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी नहीं। यह इमारत सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बम्बई-स्थित व्यापार-प्रतिनिधि कार्यालय ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाई है।

C.B.I. Enquiry into Property Possessed by Union Ministers

4960. **Shri Shashi Bhushan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers in regard to whose property an enquiry has been made by the C.B.I. and the Department of Revenue Intelligence so far;

(b) whether while making an enquiry this matter was also enquired into as to how and the extent to which family property of the Ministers during their tenure of Ministership had increased; and

(c) if so, the results of the enquiry made and the action taken by Government thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) (a) and (b). No enquiry has been made into the entire property holdings of any Minister so far, but the C.B.I. have checked some allegations relating to a few specific transactions in properties by three members of the prerent and former Councils of Ministers, keeping in view such points as were considered relevant.

(c) Some of the enquiries have not been completed so far and it would not be in the public interest to disclose the results or the present position.

C.B.I. Enquiry into the issue of licences to Firms dealing in wool

4961. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the C.B.I. during the last three years for making inquiries in regard to the licences given by the Ministry of Foreign Trade for shoddy wool, wool and raw wool;

(b) the names of firms against which inquiries were conducted by the C.B.I. during the said period; and

(c) the names of firms against which the inquiry has been completed and the names of those firms against which the enquiry is yet to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) One (It was a source information)

(b) M/s. Modella Woollen Mills (P) Ltd., Bombay.

(c) The case against M/s. Modella Woollen Mills (P) Ltd. is still under investigation.

दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना

4962. **श्री भारतसिंह चौहान** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाने के बारे में दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). दिल्ली में एक शुष्क बन्दरगाह स्थापित करने के प्रश्न पर विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा नियुक्त अन्त: मंत्रालय कार्यकारी दल ने (जिसमें दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधि भी था) अपना प्रतिवेदन मई, 1970 में दिया। शुष्क बंदरगाह की सम्भाव्यता और अर्थ-क्षमता के अतिरिक्त, वित्तीय कठिनाइयों पर भी सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक था। प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ के निदेशक के विरद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4963. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ के निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के क्या निष्कर्ष हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) यदि जांच अभी चल रही है, तो यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सी० बी० आई० ने अपने स्तर पर निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ के विरुद्ध कुछ विशेष आरोप प्राप्त होने के आधार पर एक मामला दर्ज किया है।

(ख) सी० बी० आई० के अन्तर्गत मामले की अभी जांच चल रही है।

(ग) जांच के अन्तिम स्वरूप को बताने के लिए कोई निश्चित समय इस समय पर नहीं बताया जा सकता।

विदेशों में मुस्लिम संगठनों द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध प्रचार

4964. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ देशों में मुस्लिम संगठन भारत के हिन्दुओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा झूंठा प्रचार किया जा रहा है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने समय समय पर भारत में अल्प संख्यकों के प्रति व्यवहार के बारे में कुछ देशों में राजनीति से अभिप्रेरित प्रचार सामग्री देखी है जिसमें दृष्ट या अदृष्ट रूप से हिन्दुओं पर मिथ्या अपवाद लगाया गया है।

(ख) से (घ). हाल ही में ऐसी सामग्री अमेरिकी, सऊदीअरब, तुनोसिया, मौरक्को और कुबेत में प्रकाशित हुई है।

विदेशों में भारतीय मिशन अपने सामान्य कार्य के अंग के रूप में ऐसे भारत विरोधी प्रचार पर नचर रखते हैं और इसे प्रभावहीन करने के लिए समुचित कदम उठाते हैं।

मिजो तथा कुकी सशस्त्र छापामार

4965. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री नि० र० लास्कर :**

श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 200 विद्रोही मिजो तथा कुकी सशस्त्र छापामार हाल ही में आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में आगे तक घुस आये हैं और मिजो पहाड़ियों में उनकी सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार जून जुलाई 1970 के दौरान मिजो पहाड़ी जिले में 200 भूमिगत मिजो छोटे छोटे दलों में घुस आए थे। इन भूमिगत सेविवर्ग और सुरक्षा सेनाओं में 6 संघर्ष हुए थे, जिनमें 6 विद्रोही मारे गये थे, एक घायल हो गया था कि जो बाद में घावों के कारण मर गया था, और 5 पकड़े गये थे। सुरक्षा सेनाओं ने दो एल० एम० जी०, 2 स्टेन गनों, पिस्तोल और कुछ गोली बारूद समेत 19 आयुध पकड़े गये थे। इन घटनाओं में सुरक्षा सेनाओं के दो अवर श्रेणी घायल हुए थे। इस क्षेत्र में घुस आने वालों को पकड़ने के लिए सुरक्षा सेनाओं ने उचित पग उठाए हैं, जैसे कि अपनी गश्त को सुदृढ़ बनाना।

मोटरगाड़ियों के मुख्य निरीक्षणालय का अहमद नगर से आवड़ी को स्थानान्तरण

4966. **श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटरगाड़ियों के मुख्य निरीक्षणालय को अहमदनगर से आवड़ी स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र०चं० सेठी): चीफ इन्सपेक्टोरेट आफ विह्कल को अहमद नगर से आवड़ी अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रति व्यक्ति आय

4967. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रति व्यक्ति आय को नियत करने के लिए क्या कसौटी है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि क्षेत्रीय असन्तुलन बड़ी शीघ्रता से बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत तथा विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (आय) तथा राज्यों के शुद्ध घरेलू उत्पाद को वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः भारत तथा अलग-अलग राज्यों की अनुमानित जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है।

(ख) और (ग). अन्य तथ्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्यीय असंतुलन का कारण प्राकृतिक-भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक तथा ऐतिहासिक तथ्य है और इसलिये कुछ अंश में इस असंतुलन को बने रहने की संभावना है। इस परिसीमा को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं का उद्देश्य इन क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है। इस सम्बन्ध में "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 1969-74" के पृष्ठ 17 से 19 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों का विकास राज्यों की योजनाओं का अभिन्न अंग है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं एवं संभाव्य क्षमता के अनुकूल विशेष योजनाएं अपनायें।

विकास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

4968. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान-मंत्री** 3 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल को चौथी योजना के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में, राज्य की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर पुनः विचार करने का है ;

(ख) क्या मध्यम तथा लघु उद्योग के विरुद्ध आन्तरिक ढांचे और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य की योजना का पुनर्गठन करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य की बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय, पश्चिम बंगाल की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं सहित सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखा गया है।

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए 6.5 करोड़ रुपये और बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए 9.46 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल किया गया है। संसाधनों की सीमाओं के अन्तर्गत, सड़कें, बिजली की लाइनें इत्यादि बुनियादी आधार सम्बन्धी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी यथोचित व्यवस्था की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर भी 150 करोड़ रुपये के विनियोजन की परिकल्पना की गई है।

गोल्डन तम्बाकू कम्पनी द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा

4969. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक गोल्डन तम्बाकू कम्पनी ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है ;

(ख) इस अवधि में सिगरेटों और तम्बाकू के पत्तों का निर्यात कर के इस फर्म ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त कम्पनी ने आयात लाइसेंस दिये जाने की शर्तों का उल्लंघन किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अभी तक इस फर्म द्वारा आयात लाइसेंसों की मंजूरी की शर्तों का कथित उल्लंघन किये जाने के विषय में सरकार को उसके विरुद्ध कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रधान मंत्री के सचिवालय पर व्यय

4970. **श्री अब्दुलगनी डार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि जून और जुलाई, 1969 में और जून तथा जुलाई 1970 में प्रधान मंत्री के सचिवालय पर कुल कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जून और जुलाई 1969 के महीनों में प्रधान मंत्री सचिवालय पर अर्थात सिब्बंदी प्रभार (इस्टेब्लिशमेंट चार्ज), यात्रा खर्च, अन्य प्रभार और आतिथ्य एवं मनोरंजन पर कुल मिलाकर क्रमशः 1,27,461.75 रुपये और 1,20,350.86 रुपये खर्च हुए। जून और जुलाई 1970 में इन्ही मदों पर कुल मिलाकर क्रमशः 1,55,420.72 रुपये और 1,31,342.58 रुपये खर्च हुए।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अयस्क का निर्यात

4971. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम 120 करोड़ रुपये के अयस्क के निर्यात की आशा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यात की मात्रा का निर्णय करने से पहले देश में अयस्क की क्षमता तथा उपलब्धता और देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अनुमान है कि वर्ष 1970-71 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 125 करोड़ रुपये के अयस्क का निर्यात किया जायेगा। इन अयस्कों के उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी योजनाएं, रक्षित भंडारों का ध्यानपूर्वक अनुमान लगाकर तैयार की जाती हैं ताकि ये न केवल अपने देश में उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा कर सके बल्कि इससे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके जोकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। देश में इस्पात तैयार करने और लौह पिण्ड का उत्पादन करने के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता को देखते हुए उस के निर्यात को समन्वित करने के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई है।

दिल्ली से हथकरघा कपड़ा उत्पादकों का निर्यात

4972. **श्री लताफत अली खाँ** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली से हथकरघा कपड़ा उत्पादकों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और किन देशों को इन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूती हथकरघा वस्त्रों तथा तैयारशुदा माल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। सूती सिलेसिलाये हथकरघा वस्त्रों तथा रेशमी हथकरघा कपड़े के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र के हथकरघा वस्त्रों/तैयारशुदा माल के निर्यातकर्ताओं के नाम :

(1) मल्लिक ब्रादर्स नई दिल्ली (2) मै० नाथ ब्रादर्स, नई दिल्ली (3) रितुराज टेक्सटाइल्स एंड जनरल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली (4) मै० आसु ट्रेडर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली (5) मै० फबिन्दिया इंक, नई दिल्ली (6) मै० डी.सी.एम.इंटरनेशनल लि०, दिल्ली (7) मै० वैविंग एंड बैल्डिंग फैक्ट्री लि०, दिल्ली (8) मै० सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, नई दिल्ली, (9) मै० फैबरोन इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली/दिल्ली (10) मै० साउथ इंडियन एक्सपोर्ट, दिल्ली (11) मै० दी स्टारलिंग ओवरसीज़ कारपोरेशन, दिल्ली (12) मै० डेलफाईन एजेन्सीज़, नई दिल्ली (13) मै० बनारस आर्ट हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली (14) मै० इंडेक्सपोर्ट, नई दिल्ली (15) मै० ऐमके एक्सपोर्टर्स नई दिल्ली (16) मै० श्रीनाथ दिल्ली (17) मै० रंगियोत ओवरसीज़, नई दिल्ली (18) मै० जे०जे० हेन्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली (19) मै० सिल्क एम्पोरियम एक्सपोर्ट, नई दिल्ली (20) मै० सेवन सीज़ एक्सपोर्टर्स, दिल्ली (21) मै० जगदीश प्रेम एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली (22) मै० सरदार सिल्क हाउस दिल्ली (23) मै० मुकेश एन्टरप्राइजेज़, नई दिल्ली (24) मै० सिकन्द एक्सपोर्ट ऐन्टरप्राइजेज़,

नई दिल्ली (25) मैं० ऐसोसियेटिड इंडियन एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली (26) मैं० प्रेम ब्रदर्स (रजिस्टर्ड) दिल्ली (27) मैं० हैन्डीक्राफ्ट्स ऐक्सपोर्ट कोरपोरेशन, नई दिल्ली (28) मैं० जाक ट्रेडिंग कारपोरेशन नई दिल्ली (29) मैं० लेपाक्षी आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट्स ऐम्पोरियम नई दिल्ली (30) मैं० बटिक इंटरनेशनल, नई दिल्ली (31) मैं० केपिटल एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली (32) मैं० कनोडिया कमर्शियल कारपोरेशन, दिल्ली तथा (33) मैं० कन्टीनेन्टल मार्केटिंग (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।

सूती हथकरघा वस्त्र तथा तैयारशुदा माल दिल्ली/नई दिल्ली से अधिकांशत: निम्नलिखित देशों को भेजा जाता है :—

(1) अमरीकी महाद्वीप के देश (2) नार्डिक देश

(3) योरोपीय साझा बाजार वाले देश (4) आस्ट्रेलिया

(5) न्यूजीलैंड (6) ब्रिटेन

(7) हांगकांग (8) भूमध्यसागरीय खंड के देश

(9) तंज़ानिया (10) जापान

(11) वेस्ट इंडीज तथा (12) स्विटज़रलैंड ।

विदेशी चाय बगान का राष्ट्रीयकरण

4973. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशी चाय बगानों का राष्ट्रीयकरण करने को वांछनीय नहीं समझती; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). विदेशी स्वामित्व वाले चाय बगानों के राष्ट्रीयकरण के लिये कई बार सुझाव दिये गये हैं । परन्तु, सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझा है ।

वर्ष 1968-69 के लिए राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन

4974. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के लिये राष्ट्रीय आय के अन्तिम प्राक्कलन अब उपलब्ध हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे पहले के वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1968-69 के लिये राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन अब उपलब्ध हैं। फिर भी आंकड़े अस्थाई हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण 1 में दिये गए हैं।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1968-69 की कुल राष्ट्रीय आय में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) ब्यौरे विवरण 2 में दिये गए है।

विवरण 1

1963-69 में मूल उद्योग से होने वाले मुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्राक्कलन

(रु० करोड़)

उद्योग		प्रचलित भावों पर	(1960-61) के भावों पर
1.	कृषि	13916	7150
2.	वन रोपण तथा लट्ठे बनाना	449	257
3.	मत्स्य-पालन	166	104
	अनु-योग	14531	7511
4.	खनन एवं उत्खनन (पत्थर निकालना)	318	231
5.	बड़े पैमाने पर विनिर्माण	2243	1668
6.	छोटे पैमाने पर विनिर्माण	1560	1095
7.	निर्माण-कार्य	1169	722
8.	विद्युत, गैस एवं जलपूर्ती	245	172
	अनु-योग	5535	3888
9.	परिवहन एवं संचार	1323	883
	9.1 रेलवे	469	365
	9.2 संचार	175	113
	9.3 अन्य साधनों द्वारा परिवहन	— 679	— 405
10.	व्यापार संग्रहण, होटल एवं जलपान गृह	— 3122	— 1846
	अनु-योग	4445	2729

1		2	3
11.	बैंक-व्यापार एवं बीमा	432	244
12.	स्थवर सम्पदा एवं निवास स्थानों का स्वामित्व	671	487
13.	सर्वजनिक प्रशासन एवं रक्षा	1367	1038
14.	अन्य सेवाएं	1860	1222
	अनु-योग	4330	2991
15.	शुद्ध घरेलू उत्पाद	28841	17119
16.	विदेशों से साधन लागत पर होने वाली शुद्ध आय	-(258)	-(176)
17.	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	28583	16943

*अस्थायी

पिछले वर्ष की तुलना में (1960-61) के स्थिर भावों के आधार पर मूल उद्योग से होने वाली 1968-69 के दौरान शुद्ध राष्ट्री। उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि

	उद्योग	1967-68 से परे 1968-69 में प्रतिशत वृद्धि
1.	कृषि	-1.0
2.	वन-रोपण एवं लट्ठे बनाना	0.4
3.	मत्स्य-पालन	10.6
	अनुयोग	-0.8
4.	खनन एवं उत्खनन (पत्थर निकालना)	4.1
5.	बड़े पैमाने पर विनिर्माण	5.8
6.	छोटे पैमाने पर विनिमार्ण	4.3
7.	निर्माण-कार्य	1.3
8.	विद्युत, गैस एवं जलपूर्ती	12.4
	अनुयोग	4.7
9.	परिवहन एवं संचार	6.3
	9.1 रेलवे	8.0
	9.2 संचार	5.6
	9.3 अन्य साधनों द्वारा परिवहन	4.9
10.	व्यापार संग्रहण, होटल एवं जलपान गृह	1.3
	अनुयोग	2.8

1	2
11. बैंक-व्यापार एवं बीमा	11.4
12. स्थावर संपदा एवं निवास स्थानों का स्वामित्व	3.0
13. सार्वजनिक प्रशासन एवं रक्षा	8.6
14. अन्य सेवाएं	3.6
अनुयोग	5.8
15. योग-शुद्ध घरेलू उत्पाद	2.1
16. विदेशों से साधन लागत पर होने वाली शुद्ध आय	3.3
17. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	2.2

इण्डियन रेयर अर्थस के कर्मचारियों की मांगे

4975. **श्री अ० कु० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चवरा, जिला क्विलोन में इण्डियन रेयर अर्थ मिनरल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के बारे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारों, क्विलोन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है;

(ग) क्या उन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : इन्डियन रेयर अर्थस मिनरल्ज एम्पलाईज यूनियन ने कुछ मांगों से युक्त एक ज्ञापन जुलाई 1970 के अन्त में इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड, क्विलोन के मुख्य प्रशासन अधिकारी को दिया था। ज्ञापन में सम्मिलित मुख्य माँगें थी-वेतन मानों में परिवर्तन, मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों में वृद्धि, बोनस की अदायगी, काम करने के समय मे कमी और नियुक्ति तथा पदोन्नति के नियमों में परिवर्तन।

(ग) क्योंकि चावरा में ऐसे अनेक कर्मचारी संघ है, अतः यह निश्चित करने के लिये कि उपरोक्त यूनियन तथा अन्य यूनियनों में से कौन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, निर्धारित विधि के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही को पूरा होने पर विभिन्न मांगों पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की परिलब्धियों में वृद्धि

4976. **श्री सदरार अजमद अली :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष लगभग 4000 रुपये बोनस के लाभों तथा 6000

रुपये मनोरंजन राशि मिलने के परिणामस्वरूप भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के वास्तविक वेतन तथा भत्तों में 10,000 रुपये वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ये उनकी नियुक्ति की मौलिक शर्तों में शामिल किये गये थे; और

(ग) इन अतिरिक्त लाभों के लिये अध्यक्ष द्वारा कितना आय कर दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जून, 1970 में वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यमों के ब्यूरो) द्वारा जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष 3840 रु० के अनुग्रहपूर्वक बोनस के अधिकारी बन गये। अक्तूबर, 1968 में निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा अध्यक्ष को 6000 रु० वार्षिक तक आतिथ्य व्यय करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया था। यह राशि वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति है तथा यह अध्यक्ष के वेतन अथवा भत्ते में शामिल नहीं होती है।

(ग) अध्यक्ष द्वारा आयकर कानून के अनुसार आयकर दिया जाता है।

राज्य व्यापार निगम में भर्ती नियमों का पालन किया जाना

4977. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1968 से प्रत्येक ग्रेड में कुल कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और प्रत्येक ग्रेड में कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि राज्य व्यापार निगम को प्रबन्धक उन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें जिनको सरकार ने पहले ही स्वीकार किया हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

15 जुलाई, 1968 से भरती और पदोन्नतियां।

ग्रेड	बाहर से भरती किये गये	निगम में से ही पदोन्नतियां
(1) 2000-2500 रु०	..	4
(2) 1600-2000 रु०	4	5
(3) 1300-1600 रु०		
1100-1400 रु०		
1100-1600 रु०	18	18

1	2	3
(4) 700-1250 रु०		
740-1250 रु०	18	18
(5) 350-950 रु०		
400-950 रु०		
590-900 रु०	8	28
(6) 350-575 रु०		
400-720 रु०	17	25
(7) 210-530 रु०		
130-280 रु०		
205-622 रु०	11	106
(8) 110-180 रु०		
170-266 रु०	29	9
	105	211

भरती और पदोन्नतियां भरती नियमों के उपाबन्धों के अनुसार की जाती है।

उपरोक्त (1) से (6) के सम्बन्ध में बाहर से की गई भरती, इंजीनियरी, अर्थशास्त्र और अंक संकलन, विपणन तथा परिचालन गवेषणा, चमड़ा प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, वित्त और लेखाओं के विभिन्न शिक्षणों जैसे विशेषीकृत विषयों में, की गई है।

(ख) निगम द्वारा की गई नियुक्तियां और पदोन्नतियां, भरती नियमों के अनुसार हैं।

जापान से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्मि वापस लेना

4978. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री चेंगलराय नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्मि वापस लाने के लिए जापान की एक विशिष्ट मिशन भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भष्मि को कब तक भारत लाया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सलाहकार की समिति की बैठक

4979. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सलाहकार समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं!

(ख) समिति की पिछली बैठक कब हुई थी; और

(ग) किन विषयों पर चर्चा की गई थी तथा क्या विचार व्यक्त किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोर्ड (बी० एस० आई० आर०) जो कि इस संस्था की प्रधान सलाहकार निकाय है, उसकी एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिये, इस संबंध में सी०एस०आई०आर० के नियम तथा उप-नियमों में कोई निर्धारित उल्लेख नहीं है। साधारणतया बी० एस० आई० आर० की वर्ष में दो बार बैठक होती है ।

(ख) बी०एस०आई०आर० की पिछली बैठक दिनांक 23.7.70 को हुई थी ।

(ग) मोटे तौर से बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:—

(i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों के नवीन अनुसंधान तथा विकास प्रस्ताव ।

(ii) सी०एस०आई०आर० चतुर्थ पंच वर्षीय प्रस्ताव का प्रारूप

(iii) 1970-71 वर्ष के लिये नवीन अनुसंधान योजनायें ।

दिनांक 24 जुलाई 1970 को हुई सी०एस०आई०आर० की शासी सभा की बैठक में बी० एस० आई० आर० द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया था। शासी सभा की बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि संसदीय पुस्तकालय को अंतिम स्वरूप से तैयार होने पर और छपजाने के बाद तुरन्त भेज दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र में टेलिविजन का शीशा बनाने वाले कारखाने की स्थापना

4980. **श्री जी० वेंटकस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन का शीशा बनाने वाले एक कारखाने की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना कौन से स्थान पर की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

Export of Shoes and Chappals to Foreign Countries

4981. **Shri P.L. Barupal** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Indian Chappals and shoes are in great demand in foreign countries;

(b) if so, the names of the traders and the firms exporting these chappals and shoes together with the names of the countries to which those are exported; and

(c) whether Government propose to make arrangements to enable the shoe-makers to export shoes and chappals to foreign countries directly and if so, the time by which this arrangement is likely to be made and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes Sir.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library*. See No. LT—4145/70]

(c) Any manufacturer small or big can export shoes and Chappals to foreign countries excluding East European countries. Exports of shoes and Chappals to East European countries are canalised through State Trading Corporation. Export orders secured by S.T.C.'s among others. are distributed to a Consortium of small fabricators of shoes. Thus suitable arrangements already exist for all categories of shoe-makers to participate in the export trade.

कृत्रिम रेशम उद्योग में कच्चे माल की कमी

4982. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के अत्यधिक अभाव के कारण कृत्रिम रेशम उद्योग संकट का सामना करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को सहायता देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों में हुई हानि

4983. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई 18 में से 16 कपड़ा मिलें घाटे पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या घाटे का मिलों की पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मालिकों से परामर्श किया है कि क्या वे मिलों को दूसरे प्रयोजनों के लिए बेचना चाहेंगे; और

(ङ) यदि रोजगार प्रदान करने के लिये मिल चलाये जा रहे हैं तो क्या सरकार घाटा सहन करने के लिये तैयार हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) महाराष्ट्र में उन 18 मिलों में से, जो अधिकार में ली गई बताई जाती है, केवल 6 मिलों का प्रबन्ध, उद्योग (विकास

तथा विनियम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन है। अन्तिम लेखाओं के अनुसार इन 6 मिलों में से 1 में तीन को लाभ (सकल) और तीन को हानि हुई। हांलाकि, चालू वर्ष के दौरान, रुई के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, जोकि मोटे तौर पर कपड़े की लागत का 50 प्रतिशत बैठता है, इन मिलों के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) और (ग). घाटामिल समवायों द्वारा उठाया जाएगा, सरकार ने तो केवल मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लिया है।

(घ) जी नहीं। मिलों को बेचने के सम्बन्ध में मिल मालिकों से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुती वस्त्र समवाय (उप-क्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन या पुनर्निर्माण) अधिनियम, 1967 में उन मिलों के दीर्घावधि भविष्य के लिये निर्णय करने की कार्यविधि दी गई है जिन्हें, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया है और वही कार्यविधि महाराष्ट्र में मिलों के सम्बन्ध में अपनाई जाएगी।

(ङ.) जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि घाटा मिलों द्वारा उठाया जाएगा।

केवल पटसन उद्योग के लिए पंचवर्षीय नीति का बनाया जाना

4984. **श्री क०प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने केवल पटसन उद्योग के लिए एक पंचवर्षीय नीति बनाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पटसन मिल संघ द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय पटसन मिल संघ की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

इथोपिया में लवण (ब्राइन) से पोटाश बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना

4985. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार लवण (ब्राइन) से पोटाश का निर्माण करने के लिये इथोपिया में एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) सरकार ने लवण से पोटाश का निर्माण करने के लिये इथोपिया में कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किन कारणों से किया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा में क्षतिग्रस्त रुई की गांठें

4986. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून-जुलाई, 1970 में बढ़िया किस्म की रुई की 80,000 गांठें सूरत और भडौंच के बीच कुछ स्टेशनों पर वर्षा में पड़ी रही और अनुपयोगी हो गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये गांठे किनको बेची गई थीं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भविष्य में इस प्रकार की क्षति न हो ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विशाखापतनम में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए कोयले का आयात

4987. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापतनम में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए कोयले का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पहले तीन वर्षों के लिये क्या अनुमान है और यह आयात सम्भवतः किन देशों से किया जाएगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) (क) यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है कि विशाखापतनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए कोयले का आयात किया जाये अथवा नहीं और यदि आयात किया जाये तो कितने परिमाण में किया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेफा में पन बिजली परियोजना

4988. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी विस्तृत जांच इस बीच पूरी करली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी है और लोगों को लाभ होना कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) अ... प्रोढ़ावस्था में हैं।

(ग) श... ...गों के ब्यौरे का अनुसंधान कार्य पूर्ण होने और परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने प...

वितरण के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना

4989. श्री ... केसरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ... राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने की योजना है जिससे विद्युत का समान वितरण किया जा सके

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विद्युत प्रणालियों को जोड़ देने के सिद्धांत को मान लिया गया है और क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों के समन्वित विकास के लिए अन्तर्राज्यीय लाइनों का निर्माण अन्ततः इस मुख्य उद्देश्य के साथ चल रहा है कि देश में उत्पादन और पारेषण सुविधाओं के इष्टतम समपयोजन के लिये एक अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली बन जाए।

सिक्किम की स्वतन्त्रता की हिमायत

1990. श्री रविराय : क्या वैदेशिक-काय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 जुलाई 1970 के कलकत्ता के हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सिक्किम नामक एक अंग्रेजी पत्रिका सिक्किम की स्वतन्त्रता की हिमायत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सिक्किम सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य जारी करके इन विचारों का खण्डन किया है और कहा है कि वर्तमान भारत सिक्किम मित्रता बिगाड़ने का प्रयत्न करना एक बहुत खटिया बात है। सिक्किम के चोग्याल ने भी, 17 जुलाई 1970 को सिक्किम राज्य परिषद के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि ऐसे प्रयत्न खेदजनक व निन्दनीय हैं।

स्वर्गीय महाराज त्रैलोकनाथ चक्रवर्ती द्वारा पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को वापिस लेने के लिए अनुरोध

4991. श्री समर गुह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय महाराज त्रैलोक नाथ चक्रवर्ती ने पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को तुरन्त वापिस लेने के लिये पाकिस्तान से अनुरोध करने के बारे में 7 मई 1970 को प्रधान मंत्री से विशेष निवेदन किया था;

(ख) क्या उन्होंने उनको यह बताया था कि शत्रु सम्पत्ति अधिनियम अल्प संख्यकों के अपने घर से प्रवजन करने के प्रधान कारणों में से एक है

(ग) क्या उन्होंने उनको यह भी निवेदन किया कि वे अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रश्न को उनको समान नागरिक अधिकारों का आस्वासन देते हुए पाकिस्तान सरकार के साथ उठायें; और

(घ) यदि हां, तो इन निवेदनों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्डक सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

4992. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के चंपारन, सारन और मुजफरपुर जिलों में गंडक से सिंचित क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए केन्द्र को एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) योजना की प्रमुख रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 40.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 'गण्डक क्षेत्र विकास के लिए ऋण स्कीम' नामक एक स्कीम बिहार सरकार से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में इस समय जांच हो रही है। प्रस्तावित स्कीम में लागत की मुख्य मदें ये हैं:—

1. बंजर भूमि उद्धार कार्य	रुपये	53.00	लाख
2. लिफ्ट सिंचाई	रुपये	2164.00	लाख
3. मार्किटें बनाना	रुपये	239.00	लाख
4. संचय स्कीमें	रुपये	146.85	लाख
5. सड़कें	रुपये	428.00	लाख
6. ट्रैक्टर	रुपये	900.00	लाख
7. मत्स्यपालन	रुपये	100.00	लाख
8. बागबानी विकास	रुपये	20.00	लाख
	कुल रुपये	4050.85	लाख

अथवा रुपये 40.51 करोड़

कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए लघु मध्यम और दीर्घकालीन कृषि ऋण की अनुमानित आवश्यकता 1150 लाख रुपये की है जो कि चतुर्थ वर्ष में बढ़कर 3200 लाख रुपये हो जाएगी

किन्तु यह उल्लेखनीय है कि चतुर्थ योजना में आरम्भ किए गए चुने हुए कमान क्षेत्र में समेकित विकास क्षेत्र कार्यक्रम के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारित मंत्रालय के वर्तमान केन्द्रीय सैक्टर कार्यकम में बिहार में गंडक कमान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। कोसी परियोजना इस समय इसमें शामिल है। केन्द्रीय सैक्टर में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में निम्न-लिखित 10 कमान क्षेत्रों में ग्राम संचार और मार्केट सुविधाएं जुटाने के सम्बन्ध में अव-संरचना सुविधाओं को पुष्ट करने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रबन्ध है :

1. कोसी (बिहार)
2. रागर्जुन सागर (आंध्रप्रदेश)
3. तुंगभद्रा (मैसूर और आंध्र प्रदेश)
4. कंसवती (पश्चिम वंगाल)
5. राजस्थान नहर (राजस्थान)
6. माही-कडाना (गुजरात)
7. कावेरी डेल्टा (तमिल नाडु)
8. तवा (मध्य प्रदेश)
9. पोचमपाद (आंध्र प्रदेश)
10. जायकवाडी (महाराष्ट्र)

चतुर्थ योजनावधि के दौरान प्रत्येक कमान क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों और मार्केट कांप्लेक्सों के सुधार के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम के अधीन, इस शर्त पर 1.5 करोड़ रुपये उपलब्ध किये जायेंगे कि राज्य सरकार उचित प्रशासनिक मशीनरी समेत सभी अन्य आवश्यक निवेश और सहायक सेवाएं प्रदान करे जो कि इस प्रकार से हैं : चकबन्दी, भू-समतलीकरण और भू-सुधार, जलमार्गों का प्रबन्ध, भू-सर्वेक्षण और निस्सार प्रणाली, ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियों, कृषि-मशीनरी आदि से सम्बन्धित किसानों की आवश्यकताएं पूरी करना, अनुसंधान सुविधाएं, प्रोसेसिंग और कृषि उद्योग, नगर आयोजन, भूगत जल संसाधनों से अनुपूरक सिंचाई, आदि आदि।

हाल ही में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ने इस सिफारिश की पुष्टि की कि एक परि-योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये, जिसमें कार्यान्वियनार्थ विशिष्ट स्कीमें दी हुई हों, केण्द्रीय और राज्य सरकार के विशेषज्ञों के एक सांझे दल द्वारा वाटर शेड और कमान क्षेत्र की आवश्य-कताओं का गहन अध्ययन करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना हाथ में लेकर इस ओर शुरुआत हो जानी चाहिए। गन्डक कमान क्षेत्र के संबंध में ऐसा अध्ययन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Thefts in Defence Research Laboratory (Material) and Other Offices of Kanpur

4993. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of thefts detected during the last three years in Defence Research Laboratory (Material) Kanpur, Chief Inspectorate of Uniforms. and Cloth, Inspectorate of General Stores and Chief Inspectorate of Materials;

(b) the value of goods seized as a result thereof;

(c) Whether some employees also had a hand in these thefts and if so, the number of employees against whom action had been taken and the number of cases which are at present pending; and

(d) the names of the articles stolen in these thefts and their value separately during each of the last three years ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P.C. Sethi) : (a) One in Defence Research Laboratory (Materials) Kanpur.

(b) and (c). No stores were seized. The theft was reported to local Police. Investigations revealed internal Pilferage. Departmental enquiry held, could not pin point the responsibility on any individual. The loss was held attributable to negligence of two employees from whom recovery of 1/3 of total loss is being made.

(d) Brass and copper-wire valued at Rs. 1973.90 Paise.

Purchase of Goods for Salvage Units of A.P.C. of Defence Department Pathankot

4994. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the quantity of each type of goods purchased for No. 1 Salvage Unit A. P. C. of Defence Department located at Pathankot as also the names of the companies and the places from which the said goods were purchased indicating the value thereof since January, 1968;

(b) whether separate tenders were invited for each type of goods, if so, the number of tenders received, the names of the firms from whom received and their quotations; and

(c) whether it is a fact that some of the goods have been damaged in the store of this Unit, if so, the rates at which the said goods were sold in the market and the description of goods damaged in storage and if it was not sold in the market, how the old stock was utilised ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). It is presumed that the reference is to No. I Sglvage Unit, Pathankot. On this basis the information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Officials Working in Chief Inspectorate General Stores and other Allied Inspectorate

4995. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state : (a) the number of Chief Scientific Officers, Senior Scientific Officers (Grade II) and Junior Scientific Officers in the Chief Inspectorate, General Stores and others Allied Inspectorates at Kanpur, Delhi. Bombay, Madras, Calcutta, Jabalpur and Gauhati at present separately, Inspectorate-wise ;

(b) whether these Officers are selected on the basis of their qualifications and if so, the details of their qualifications officer-wise and when these officers acquired these qualifications and from which institutions ;

(c) the number of such officers who have been appointed to posts for which they do not possess the required qualifications ; and

(d) whether it is also a fact that 90 per cent of the officers have been working in those very organisations for the last 10-20 years and have not been transferred and if so, the main reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Employees in Defence Company No. 1 ACC at Pathankot

4996. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the present number of permanent and temporary employees in the Defence Company No. 1, A. C. C. at Pathankot and also that of those working as casual labourers on contract basis there ;

(b) wheteher it is a fact that employees working in different departments are required to work for more than 42 hours in a week and if so, the amount of overtime allowance paid to them ; and

(c) the number of persons recruited through the Employment Exchange and of those recruited directly by the Commanding Officer of the aforesaid Defence Company ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) to (c) . Government are not aware of any defence installation at Pathankot named Defence Company No. 1, A. C. C.

बाढ़ग्रस्त को आशंका क्षेत्रों में विद्युत संगणक तथा रडारों की स्थापना

4997. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऋतु विज्ञान विभाग के सहयोग से विद्यूत चालित सगंणक तथा रडार स्थापित करके देश में बाढ़ चेतावनी पद्धति चालू करने, जिसका बाढ़ की अधिकांश मुख्य दुर्घटनाओं के दौरान अभाव पाया गया है, के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना गर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1963 में स्थापित वैज्ञानिक बाढ़ पूर्व-सूचना समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा 1959 में दिल्ली में स्थापित प्रयोगात्मक बाढ़ पूर्व-सूचना यूनिट से प्राप्त अनुभव पर विचार करके, बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्र गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के राज्यों में स्थापित किये गए हैं। इन केन्द्रों के कार्यचालन के अनुभव के आधार पर पांचवी योजना में कार्यान्वयन के लिए अन्य यूनिट, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आयोजित किये जायेंगे।

एक चक्रवात-चेतावनी रडार विशाखापटनम में पहले से ही लगा दिया गया है जो कि अप्रैल, 1970 से चल रहा है। चौथी योजनावधि के दौरान तटरेखा के साथ-साथ सात और रडारों का प्रतिष्ठापन करने की संभावना है। बहरहाल, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ें आती हैं उनमें इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर्स स्थापित करके बाढ़ पूर्वसूचना के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है।

Irrigation/Power Facilities in Bundelkhand Area lying between U. P. and Madhya Pradesh.

4998. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Bundelkhand area lying between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh lacks proper irrigation and power facilities ; and

(b) whether Government propose to solve the problems of economic development, irrigation and drinking water, in these backward Districts by expanding power generation capacity in Bundelkhand area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) . The Bundelkhand area is comparatively backward in the matter of irrigation and power facilities as compared to other parts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

(b) The Bundelkhand area in Uttar Pradesh is connected to the main electric grid system of the State and as such, no expansion in the power generation capacity in the area is contemplated at present. As regards Madhya Pradesh, adequate power generating capacity is available in the existing system of the State for development of the backward areas of Bundelkhand.

Formation of Yadav Regiment

4999. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government received any representations in the past regarding the creation of a "Yadav Regiment" in the Indian Army ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) In view of the policy of Government to broadbase recruitment in the army, the creation of a Regiment after the name of any caste or community will not be in keeping with the policy.

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

5000. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री जे० के० चौधरी :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1970 में समाप्त होने वाली व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी वर्तमान संधि के स्थान पर दूसरी संधि की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अगस्त, 1970 में भारत तथा नेपाल के बीच सचिव स्तर पर कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अगस्त 1970 के दौरान दोनों सरकारों के सचिवों के बीच विचारों का अनौपचारिक आदान-प्रदान हुआ था। बात-चीत अनौपचारिक, अन्वेषणात्मक तथा हद से हद प्रारम्भिक थी।

छुपे नागाओं के छिपने के स्थानों से शस्त्रों और गोला बारूद का बरामद किया जाना

5001. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा सेना ने 6 अगस्त 1970 को कोहिमा से 13 किलो-मीटर दूर रूपरूमा गांव के निकट छुपे नागाओं के छुपने के स्थान से भार मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शस्त्र पाकिस्तान द्वारा निर्मित थे अथवा चीन द्वारा ; और

(घ) सुरक्षा सेना के कितने व्यक्ति मारे गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). 6 अगस्त, 1970 को रेक्रोमा गांव के निकट सुरक्षा सेनाओं के गश्ती दस्ते से भूमिगत सेविवर्ग की छोटी सी मुठभेड़ हुई थी। भूमिगत सेविवर्ग भाग खड़े हुए थे। दोनों ओर कोई हताहत नहीं हुआ। क्षेत्र में तलाशी के दौरान सुरक्षा सेनाओं ने 303 राईफलें और 100 गोलियाँ बरामद की थी। इन पर निर्माणकर्ता देश के कोई चिन्ह न थे।

प्रधान मंत्री के साथ गये व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी यात्रा

5002. **श्री ओंकार सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 19 नवम्बर, 1969 के वायुसेना के विमानों में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये दौरों पर किये गये खर्च के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिए 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनसे रुपयों की राशि वसूल न करने के बारे में प्रधान मंत्री ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनका दौरा उन्होंने वायुसेना से किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : नियमों के अनुसार प्रधान मंत्री को सरकारी यात्राओं में आई० ए० एफ० विमान में अपनी यात्रा के उद्देश्य से किसी भी आवश्यक समझे गए व्यक्ति को किसी भी अन्य यात्री को साथ ले जाने का अधिकार है। प्रश्नगत अवधि में सरकारी यात्राओं से संबन्धित सभी मामलों में प्रधान मंत्री ने अपनी इस इच्छा को बरता।

जहां तक आई० ए० एफ० विमानों द्वारा प्रधान मंत्री की यात्राओं का सम्बन्ध है, अपने साथ जाने वाले अनधिकृत व्यक्तियों में किराये की छूट देने का प्रधान मंत्री को अधिकार नहीं। (ऐसी यात्राओं में जो निःशुल्क यात्राओं के नियमों के अनुसार अधिकारी है, वह हैं प्रधान मंत्री का व्यक्तिगत और सुरक्षा कर्मचारीगण और निजी सेवक।) इस अवधि के दौरान ऐसी यात्रा के लिये अनधिकृत व्यक्तियों से और स्वयं प्रधान मंत्री से भी निर्धारित दरों से किराया वसूल किया गया था। कुछ मामलों में अभी अदायगी नहीं हो पाई, और वसूली के लिए कार्यवाही हस्तगत है।

Misuse of Import Licences for Brass Articles and Utensils

5003. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some import-licences for the brass articles and utensils have recently been converted into import licences for wool and synthetic fibres; and

(b) if so, the reasons therefor and the value of those licences and the names of the persons to whom such licences have been issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) (a) and (b) Under the import policy for Registered Exporters, a manufacturer-exporter or a manufacturer nominated by a registered exporter is allowed to import against his replenishment licence the items of raw materials and components appearing in his Actual User licence, even if such items are not used in the manufacture of the exported product. This flexibility has been given so that a manufacturer may be able to plan his production according to his export needs. Under the flexibility, import of raw wool and polyester fibre was also allowed against exports made upto December, 1968 for which applications for licences had been made before 1st February, 1969.

Information in regard to the value of the licences in question and the names of the persons to whom these licences were issued is not readily available and the labour involved in collecting this information may not be commensurate with the results sought to be achieved.

Exclusion of Srinagar City From the Jurisdiction of the Indian Army

5004. **Shri Meetha Lal Meena** ; Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Srinagar city has been excluded from the jurisdiction of the Indian Army; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लुधियाना के श्री आर० के० सोनी द्वारा 'क्लच फेसिज' तथा 'ब्रेक लाइनिंग' का आयात

5005. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना के श्री आर० के० सोनी को उसकी वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत अधिक मात्रा में 'क्लच फेसिज तथा ब्रेक लाइनिंग' का आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या आयात की गई समूची मात्रा का उपयोग मशीनों के वास्तविक उत्पादन, जिनके लिए आयात किया गया था ; के लिए किया गया है ;

(ग) यदि नहीं तो विदेशी मुद्रा के अपव्यय के लिए जिम्मेवार सरकारी अधिकारी तथा आयातकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस पार्टी के साथ विशेष वरीयता का व्यवहार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) लुधियाना के मैसर्स आर० के० मशीन टूल्स को, जिसके साथ श्री आर० के० सोनी सम्बन्धित हैं, वास्तविक उपयोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत तथा साथ ही भूतपूर्व निर्यात संवर्धन योजना की आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल के आयात के लिये कई लाइसेंस दिये गये थे। आयातिक क्लच फेसिंग्ज़ तथा ब्रेक लाइनिंग के उपयोग की जांच हो चुकी है। जांच से पता चला है कि इस फ़र्म ने कुछ क्लच फेसिंग्ज़ तथा ब्रेक लाइनिंग का उपयोग उन मशीनी औजार के बनाने में किया था जिनके लिए वह फर्म तकनीकी विकास के महा-निदेशक के पास पंजीकृत थी। शेष माल का उपयोग विविध प्रकार के उत्पादों के उत्पादन में किया गया बताते हैं।

(ग) से (ङ). विविध प्रकार के उत्पादों में आयातित माल के उपयोग से सम्बन्धित मामले की जांच की जा रही है। इस पार्टी के साथ लाइसेंस देने के मामले में कोई वरीयता का व्यवहार नहीं किया गया है।

Misuse of Licences by R. K. Machine Tools, Ludhiana

5006. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government have been following the policy of making industrial licensing, production oriented during the last five years;

(b) if so, whether the R. K. Machine Tools, Ludhiana did not act according to the aforesaid policy;

(c) the names of the industrialists who have been provided with such facilities of converting licences for import and also of those who applied for such facilities but were refused the same with reasons therefor; and

(d) in case any of the industrial concerns did not follow the relevant rules in this regard, the action taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) Industrial licensing is essentially presumed to be production oriented.

(b) DGTD is examining the installed capacity of the undertaking.

(c) The information is not readily available; as and when it is collected, it would be laid on the Table of the House.

(d) Does not arise at present in view of reply to (c) above.

बिजली जनन हेतु अलकनन्दा घाटी का सर्वेक्षण

5007. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलकनन्दा घाटी की जिसमें बिजली उत्पन्न करने की बहुत क्षमता है, कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किये सर्वेक्षण का ब्यौरावार प्रतिवेदन सरकार सभा पटल पर रखेगी ; और

(ग) पन-विजली उत्पन्न करने के लिये इस अत्यधिक क्षमता का उमयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अलकनंदा बेसिन की विद्युत सम्भाव्यता के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के पश्चात अब विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। उत्तर प्रवेश प्राधिकारियों ने विष्णु प्रयाग स्कीम पर अनुसंधान कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है और परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना के दौरान विष्णु-प्रयाग स्कीम के कार्यान्वियन को शुरू कर दिया जाए। बोवाला-नन्दप्रयाग और नन्दप्रयाग-लंगासु स्कीमों पर अनुसंधान जारी हैं।

प्रतिरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सैनिक फार्म

5008. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे सैनिक फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) ये फार्म किस-किस राज्य में स्थापित हैं।

(ग) प्रत्येक फार्म का क्षेत्रफल कितना है; और

(घ) इनसे होने वाले उत्पादन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा) : (क) देश में पशुपालन के 17 फार्मों, बिना पशु के 15 फार्मों, 23 सैनिक फार्म डिपुओं और 9 सैनिक फार्म वेलिंग डिपुओं पर सम्मिलित 77 सैनिक फार्म संस्थान हैं।

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4146/70]

(घ) सैनिक फार्म भूमिएं मुख्यतः सब्जी-चारा और घास उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो सेना के पशुओं को खिलाया जाता है। जहां भूमि धारण अवसर प्राप्त करें अनाज और सब्जिएं भी उगाई जाती हैं। अनाज प्रायः भारत के खाद्य/बीज निगम को या फार्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं, सब्जिएं अवसर सैनिकों को सप्लाई की जाती हैं। डेरियों के उत्पादन सेवाओं के सविवर्ग और अन्य अधिकृत सेविवर्ग को वितरित किए जाते हैं।

निर्यात के लिये रखे गये घटिया किस्म के तम्बाकू के स्टाक में कमी

5009. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिये जमा किये गये 21.10 लाख किलोग्राम घटिया किस्म के तम्बाकू का लगभग 25 प्रतिशत भाग इतना खराब हो गया है कि वह अब निर्यात योग्य नहीं रहा;

(ख) न्यूनतम मूल्य को हटाये जाने में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ताकि निर्यात योग्य कीमती तम्बाकू के अपव्यय को रोका जा सके; और

(ग) क्या निर्यात के लिये जमा किया गया सारा स्टाक अब समाप्त हो गया है जैसा कि पहले आशा थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). कुछ घटिया किस्म का तम्बाकू जमा हो गया था जो कि अंशतः निर्यात किया जा चुका है। समय के व्यतीत होने और खराब भण्डार व्यवस्था के कारण तम्बाकू की किस्म में खराबी आ जाती है। निम्न ग्रेडों के लिये न्यूनतम मूल्यों को हटाने के विषय में तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दिया गया सुझाव तत्काल स्वीकार कर लिया गया था। तम्बाकू के पुराने स्टाक को निकलने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तांबा तथा जस्ते का खनन के बारे में कांगों के साथ सहयोग

5010. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हीरा-खनन सहयोग के ढांचे पर जस्ता तथा तांबा के बारे में कांगों सरकार के साथ प्रस्तावित सहयोग बढ़ाने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : यह जानकारी प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में भारतीय सांख्यिकीय संस्था के कर्मचारियों का काम पर लगाया जाना

5011. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता के कर्मचारियों को, उनको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के काम पर लगाये जाने से पूर्व पुलिस की रिपोर्टों और अथवा मैडिकल परीक्षा के आधार पर जांच-पड़ताल की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्था के स्थायीं कर्मचारियों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में स्थायी सेवा नहीं दी जा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय सांख्यिकीय संस्था के कर्मचारियों की इन तथा अन्य शिकायतों को दूर करने के लिये कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). नियमों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में नियुक्त के लिए प्रस्तावित प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन और डाक्टरी परीक्षा आवश्यक शर्तें हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कर्मचारी संघ ने सुझाव दिया है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के जो कर्मचारी सरकारी सेवा में समाविष्ट किये जाने वाले है उनके मामले में इन शर्तों में छूट देनी चाहिए। यह सुझाव विचारधीन है।

(ग) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के स्थायी अर्थात् नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं स्थायी सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं से भिन्न हैं। सरकारी सेवा में समाविष्ट होने के बाद भी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के कर्मचारी अपनी वर्तमान सुविधाएं पूर्ववत् पाते रहेंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कर्मचारियों का सरकारी सेवा में विलयन की क्या रूपरेखा होगी इस तथ्य को अभी अन्तिम रूप देना है।

तेल समृद्ध क्षेत्रों में तेल निकालने के लिए भूमिगत परीक्षण

5012. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कृष्ण मेनन ने यह चेतावनी दी है की देश में तेल-समृद्ध क्षेत्र में तेल निकालने के लिए किये जाने वाले भूमिगत परीक्षणों के खतरनाक प्रभाव होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य-मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विषय से सम्बन्धित समाचार देखे हैं।

(ख) शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किये गये भूमिगत परमाणु विस्फोटों के सम्भावित हानिप्रद प्रभावों को सरकार समझती है। ऐसे विस्फोट करने से पहले यह आवश्यक है कि वायुमण्डल में पैदा हो सकने वाले खतरनाक दोषों तथा विस्फोट के बाद रहने वाली रेडियोसक्रियता के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सम्भावित परिवर्तनों के बारे में व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाये।

पाकिस्तान नागरिक सेना

5013. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पाकिस्तान नागरिक सेना के निर्माण के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). दफाए मुजाहिद और अलवर्क जैसी कुछ अनियमि सेनाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में खड़ी की गई हैं। रावलपिंडी में संवाददाताओं के एक सम्मेलन में एयर मार्शल असगर खान (सेवा निवृत्त) ने पाकिस्तान को एक नागरिक सेना खड़ी करने के लिए जोर दिया है।

Amenities to the Displaced persons of Chambal Project

5014. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to provide necessary amenities to the persons displaced as a result of the Chambal Projects; and

(b) the steps taken so far to provide certain concessions in the supply of water and electricity to them ?

The Diputy Minister in Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : (a) Compensation to farmers whose land and property have acquired and rehabilitation grant have already been paid. In addition, developed land has been allotted to them for cultivation on instalment basis. A plot of land for each family for residential purposes has also been allotted free of cost. The new rehabilitated villages have been provided with amenities like school buildings, dispensaries, chaupals, wells and approach roads built at the cost of Government.

(b) Except for the concessions allowed in the rates for power put to agricultural use, there is no proposal to provide power or water at concessional rates.

Construction of an Overbridge at Chambal River Between Bhainsro Garh and Rawatbhata Town, District Chittoor

5015. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress made so for in regard to the construction of an overbridge at Chambal river between the Bhainsro Garh and Rawatbhata town, District Chittoor for smooth flow of traffic there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : The contract for the work on the main bridge across the river Chambal near Bhainsro Garh has already been awarded and the work thereon is expected to commence immediately after the monsoon. Work on the approaches on both sides has already been taken in hand. The bridge is expected to be ready for use in early 1972.

Measures Taken for completion of Rajasthan Canal

5016. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any initiative has been taken by the Government to expedite completion of the Rajasthan Canal ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether the Central Government propose to complete the construction of Rajasthan Canal expeditiously by taking it over and treating it as a National Canal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) . All efforts are being made to provide optimum funds for the speedy completion of the Rajasthan Canal Project consistent with the available resources. During 1968-69 an additional assistance of Rs. 3.5 crores was given to Rajasthan for the Project outside the State Plan ceiling. During 1969-70 also an additional assistance of Rs. 3.20 crores was arranged for the Project. The original outlay of Rs. 27 crores for the Rajasthan Canal Project provided in the draft Fourth Plan is being increased to a likely amount of Rs. 40 crores in consultation with the Planning Commission, which would enable the completion of Stage-I of the Project substantially by the end of Fourth Plan.

(c) . The question of taking over major irrigation Projects by the Centre had been examined by the National Development Council and taking into consideration all the relevant factors, it decided that these projects should continue to form part of the State Plans. The admsnistrative and technical machinery of the State Government is adequate for the construction of the Rajasthan Canal Project but it is only the constraint of resources which come in the way.

नलकूपों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता

5017. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान सिंचाई की सुविधा के लिये 20,000 नलकूपों के निर्माण की पश्चिम बंगाल सरकार की योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पायेगी; और

(ख) यदि हां, तो योजना की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को विशेष सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार ने चालू वर्ष के लिये 20000 कम गहरे नलकूपों का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में 126 लाख रुपये का प्रबन्ध किया है जिससे केवल 6000 कम गहरे नलकूप लगाए जा सकते हैं। इन नलकूपों को ऊर्जित करने के लिये लगभग 180 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। शेष 14000 कम गहरे नलकूपों को पूरा करने के लिये 770 लाख रुपये की और आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से केवल नाममात्र सहायता मिलने की संभावना है।

20000 कम गहरे नलकूपों के लगने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी विशेष सहायता का प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से कम गहरे नलकूपों के लिये राज्य योजना से बाहर 300 लाख रुपये की अतिरिक्त आवंटन के लिये प्रार्थना की है— (6000 कम गहरे नलकूप चलाने के लिए पंप खरीदने के वास्ते 180 लाख रुपये तथा 2400 और कम गहरे नलकूप लगाने और चलाने के लिये 120 लाख रुपये)।

हिन्द-चीन में संकट के समाधान के लिये भारत द्वारा शांति प्रयास

5018. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार हिन्द-चीन में संकट का समाधान करने के बारे में कोई पहल कदमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार, हिन्द-चीन संघर्ष से सम्बन्धित सभी दलों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि पुनः शांति कायम करने के संबंध में मदद मिल सके। इन सम्पर्कों की मूल बातें और ब्यौरे गोपनीय हैं। हमारी राय में पैरिस वार्ता में पर्याप्त प्रगति और लाओस के दलों के बीच बातचीत से, फिलहाल हिन्द-चीन में शांति स्थापना की प्रगति की दिशा में पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं।

चण्डीगढ में जासूसी

5019. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 22 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7036 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ में जासूसी के सम्बन्ध में जांच-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं, प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या आरोप है तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उनमें से वायु सेना के कितने व्यक्ति थे; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि हमारी सैनिक गोपनीयता प्रकट न हो जाए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आफीशल सीक्रेट एक्ट के अनुभा 3/9/10 के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों को चार्जशीट दिया गया है। उनमें से 3 वायु सेना के हैं। कार्यवाही गुप्त रूप से चलाई जाएगी। अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा।

(घ) सुरक्षा प्रबन्धों को और कड़ा कर दिया गया है।

भांखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के कर्मचारियों के आवास का किराया

5020. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन ने भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड से कर्मचारियों के वेतन के 10 प्रतिशत तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस के कर्मचारियों को दिये गये रिहायशी आवास के बारे में वसूल किये जा रहे मानक किराये के बीच किराये के अन्तर को अदा करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि बोर्ड को चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा दिये गये रिहायशी आवास के कब्जे के सम्बन्ध में हरियाणा और पंजाब राज्यों के समान समझा जाए और इसी प्रकार उनसे किफायती किराये से अधिक न लिया जाए और किफायती किराये तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के 10% वेतन में जो अन्तर है उसकी अदायगी फिलहाल स्थगित की जाए। भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड ने चण्डीगढ़ में अब अपनी कालोनी बनाली है और चंडीगढ़ प्रशासन के क्वार्टरों में रहने वाले इसके कर्मचारियों को शीघ्र ही नई कालोनी में चले जाने की संभावना है।

अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रेस सम्मेलन में दिये गये भाषण में प्रेस संवाददाताओं को निमंत्रण

5021. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में ही अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रेस सम्मेलन में भाषण दिया;

(ख) अंग्रेजी हिन्दी और दूसरी भाषाओं के दैनिक पत्रों तथा उन अधिकृत संवाददाताओं

के नाम क्या हैं जो इस सरकारी प्रेस सम्मेलन में निमन्त्रित किये गये तथा इस सम्मेलन में कौनसे संवाददाता उपस्थित हुए;

(ग) क्या सभी अधिकृत संवाददाता और स्थानीय संपादक प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रधान मंत्री के प्रेस सम्मेलनों में आमंत्रित किये जाते हैं; और

(घ) प्रधानमंत्री के सचिवालय के सूचना कक्ष द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो की तरह भेदभाव रहित नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सभी संवाददाताओं को, जिनकी संख्या लगभग 330 है, सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। 100 से अधिक संवाददाता इस सम्मेलन में उपस्थित थे। ऐसे सम्मेलनों में शामिल होने वाले संवाददाताओं के नाम आमतौर से नोट नहीं किये जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस सम्मेलन के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो ने भी आमंत्रण-पत्र भेजे थे। क्योंकि सभी अधिकृत संवाददाताओं को आमंत्रित किया गया था, इसलिये भेदभाव अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदर्शन के लिये भारतीय चलचित्रों का विदेशों को निर्यात

5022. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी व्यापारी तथा चलचित्र वितरणकर्ता विदेशों में प्रदर्शन के लिये भारतीय चल-चित्रों का निर्यात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत वर्ष यह व्यापार जारी रखा; और

(ग) भारतीय चल-चित्रों के निर्यात से गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। अनेक पार्टियां विदेशों को चल-चित्रों का निर्यात कर रही हैं परन्तु उनकी ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है।

(ग) गत तीन वर्षों में चल-चित्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त है:—

वर्ष	मूल्य
	(लाख रु० में)
1967-68	389
1968-69	295
1969-70	435

Non-utilisation of Loans by Madhya Pradesh Electricity Board

5023. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Electriciiy Board has not utilised the loans advanced to it by the banks due to the shortage of electricity generators and other electrical equipments and whether this shortage is attributable to the non-availability of the production capacity of the said items ;

(b) whether certain plans have unutilised capacity even in spite of this shortage ;

(c) if so, reasons therefor ;

(d) if these items are not produced indigenously, the reasons for when they are not being imported ; and

(e) the action taken by the said Board in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : Madhya Pradesh Electricity Board has reported that no loans advanced by banks for generators allied equipments remain unutilised.

(b) to (e) : Do not arise.

Development of backward areas in Madhya Pradesh

5024. **Shri G. C. Dixit :** Will tke **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the backward areas in Madhya Pradesh proposed to be developed during the Fourth Five Year Plan and the amount of money earmarked for each such area for the year 1970-71 ; and

(b) the nature and amount of the Central assistance, proposed to be provided, area-wise, for the development of these areas, during 1970-71 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Attention is invited to reply given to Unstarred Question No. 2564 on 3.12.1969. The State Government have been requested to indicate their specific schemes and outlays for backward areas in their Fourth Plan outlay fixed at Rs. 393 crores. The information relating to these is awaited from the State Government.

(b) The Central assistance to States's Fourth Five Year Plans is to be made available through block loan and block grant and will not be related to any specific area.

Taking over of Burhanpur Tapti Mills (M. P.)

5025. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over Burhanpur Tapti Mills Ltd. (M. P.), due to its delicate financial position;

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard; and

(c) if not, the steps Government propose to take to ensure smooth running of this mill so that the poor workers are not rendered joblesss ?

The Deputy Minister in the Ministery Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). Central Government have already appointed an Investigation Committee for making a full and complete investigation of the mill under the Industries (Development and

Regulation) Act. The question of take-over of the management of the mill under the aforesaid Act will be considered on receipt of the Investigation Committee's report.

Modernisation of Textile Industry in M. P.

5026. **Shri G. C. Dixit.** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide the latest machinery in Cotton Textile Industry in Madhya Pradesh;

(b) if so, the names of the various cotton textile mills in Madhya Pradesh where such Scheme is proposed to be implemented; and

(c) the time by which it would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). No specific scheme has been drawn up for providing the latest machinery in the cotton textile industry in Madhya Pradesh.

Sale of Articles Seized by Customs to Indian Jawans Through Military Canteens

5027. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of military canteens in which goods like cloth, watches etc. seized by the Central Customs Department from foreign tourists, Indian immrigants (settled in foreign countries) or from their foreign friends, were brought for sale to Indian jawans during 1968-69 and 1969-70 and the procedure adopted for its purchase and sale; and

(b) the description of the said goods and the total value thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narender Singh Mahida) (a) and (b). There are a few thousand Unit run canteens. These canteens obtain their requirements of customs confiscated goods directly from the customs authorities. Information regarding the description of such goods purchased during 1968-69 and 1969-70 and the total value of such goods is not readily available. The effort involved in collecting this iuformation will not be commensurate with the results likely to be achieved.

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के लिए तकनीकी सलाहकार बोर्ड की स्थापना

5028. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के लिये एक तकनीकी सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की स्थापना के लिये ब्यौरे वार कारण क्या हैं ?

सिंचाइ तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना करने के साथ-साथ असम सरकार ने एक तकनीकी सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना की है जो आयोग के कार्य का पुनरीक्षण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के आयोजन अभिकल्पन और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिन समस्याओं पर सलाह देगा ।

कूच बिहार तथा इसके आस पास के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई

5029. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में गम्भीर अस्तव्यवस्थता को ध्यान में रख कर कूच बिहार में एक छोटा जेनेरेटिंग सेट लगाये जाने पर भी उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कूच बिहार में एक बड़ा जेनेरेटिंग सैट लगाने पर विचार करेगी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिले ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जेनेरेटिंग सैट आसाम में उपलब्ध हैं जिन्हें बिना किसी कठिनाई के खरीदा जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसे कब लगाने का बिचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सायंकाल में व्यस्ततम घंटों के दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई पर पाबंदी के अतिरिक्त, कूचबिहार में उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई पर और कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। स्थानीय डीजल उत्पादन केन्द्र की क्षमता को और बढ़ाने के लिये एक और अतिरिक्त डीजल सैट लगाने का मामला पश्चिम बंगाल सरकार के विचारधीन है। पश्चिम बंगाल सरकार यह भी पूछ-ताछ कर रही है कि क्या असम राज्य बिजली बोर्ड कोई फालतू डीज़ल उत्पादन सैट उसे दे सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उत्तरी बंगाल में विस्तार

5030. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उत्तरी बंगाल में विस्तार करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के जिलों में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों के नाम क्या हैं और उनका क्षेत्रफल कितना-कितना है ;

(ग) क्या कूच बिहार के जिले में विशेषकर तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों में सिंचाई प्रयोजनों के लिये बिजली के पम्पों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या सरकार ने कोई विशेष योजना आरम्भ की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (घ). राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं के ऊर्जन के लिये समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के लिये अनुरोध किया गया है जिसमें उत्तरी बंगाल के सूखे से प्रभावित क्षेत्र और जिले

(कूचबिहार समेत) भी सम्मिलित हैं जहां पर भूमिगत जल साधनों के समुपयोजन की संभावना है। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना के दौरान कूचबिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा तथा पश्चिम दिनाजपुर जिलों में 120 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जाये। सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् विद्युतीकृत होने वाले ग्रामों और ऊर्जित होने वाले पम्पसैटों/नलकूपों का ब्यौरा उपलब्ध हो जायेगा।

उत्तरी बंगाल में तापीय परियोजना

5031. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलढाका पनबिजली परियोजना से बिजली के निरंतर खराब रहने की स्थिति को देखते हुये, क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल में एक बड़ी तापीय परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका, विशेषकर इसकी स्थापना तिथि के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार की विद्युत संबंधी मांगों को पूरा करने के लिये गंगा के उत्तर में एक ताप-विद्युत केन्द्र लगाने की व्यवहार्यता के विषय में अनुसंधान किये जा रहे हैं।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतवासों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को दी गई सहायता

5032. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूतावासों द्वारा (1) बिना वैध पासपोर्ट के विदेशों में रहने वाले (2) जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है (3) जो गैर कानूनी तौर पर किसी देश में प्रवेश करते हुये पकड़े गये भारतीय राष्ट्रिकों को गत एक वर्ष में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ग (3) के अंतर्गत आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशों से वापस के लिये प्रबंध करने हेतु दूतावासों द्वारा कितना व्यय किया गया था; और

(ग) ब्रिटेन तथा यूरोप के देशों में संबंधित व्यक्तियों अथवा उनके गारंटरों से उक्त राशि में से कितनी राशि गत वर्ष में वसूल की गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह). (क) (1) और (2) : विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र, भारतीय नागरिकों से आवेदन प्राप्त होने पर उनके ऐसे पासपोर्टों को पुन: वैध करता है जो अवैध हो जाते हैं और जिनकी अवधि समाप्त हो जाती है। यदि मिशन/केन्द्र इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसे अवैध और अवधि समाप्त पासपोर्टधारियों

ने किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता ग्रहण नहीं की है और यदि उन पासपोर्टों का छः वर्ष की अधिकतम अवधि समाप्त न हुई हो तो उन पासपोर्टों का नवीकरण कर दिया जाता है, अन्यथा सामान्य औपचारिकताएं पूरी करने पर सामान्य शुल्क की अदायगी पर नये पासपोर्ट जारी कर दिये जाते हैं।

(3) गैर कानूनी रूप से किसी देश में दाखिल होने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को आमतौर से उस देश को अपने खर्च पर निर्वासित करना होता है और हमारे मिशनों/केन्द्रों को उनके निर्वासन पर कोई धन खर्च नहीं करना होता है। वे ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी भारत सीधी वापसी के लिये उनको भारतीय राष्ट्रीयता के सत्यापन के बाद, आपात कलीन प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

(ख) भारत सरकार ने पिछले एक वर्ष में उक्त वर्ग (3) के अधीन बंदर अब्बास (ईरान) से 91 भारतीय राष्ट्रिकों के एक दल के देश प्रत्यावर्तन के लिये, एक विशेष मामले के तौर पर 28,140 रु० खर्च किये थे, क्योंकि यह एक सामान्य निर्वासन का मामला नहीं था क्योंकि उस देश ने उनके भारत प्रत्यावर्तन का खर्च वहन करने से मनाकर दिया था। इसलिये इन अवैध आप्रवासियों को भारतीय राजदूतावास द्वारा देश प्रत्यावर्तन का व्यय आदि बाद में अदा करने के उनके व्यक्तिगत आश्वासन पर स्वदेश भेज दिया गया था।

(ग) यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य यूरोपीय देशों से भारतीय राष्ट्रिकों का निर्वासन भारत सरकार के खर्च पर नहीं किया जाता है। इसलिये, उन पर हुये खर्च को उनसे अथवा उनकी गारंटी देने वालों से वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल, सिक्किम और भूटान में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित सूचना बुलेटिन

5033. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, सिक्किम और भूटान में स्थित भारतीय दूतावास उन देशों में भारत का सही स्वरूप प्रस्तुत करने के लिये तथा स्थानीय प्रेस के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा उत्पन्न की जा रही धारणा की जवाबी कार्यवाही के लिये कोई सूचना बुलेटिन, सूचना पत्र (न्यूज लैटर) आदि प्रकाशित कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रक्रिया की व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) काठमांडू और गंगटोक स्थित हमारे मिशन निम्नलिखित समाचार बुलेटिन, सूचना पत्र, इन्डियाग्राम आदि निकालते हैं;

काठमांडू

(1) भारत समाचार - नेपाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक

(2) बड़ी संख्या में प्रेस नोट और इन्डियाग्राम आदि

गंगतोक

(प्रचार सामग्री की दृष्टि से गंगतोक के अधीन भूटान और सिक्किम दोनों आते हैं)

(1) हिमालय संदेश-नेपाली भाषा का पाक्षिक पत्र

(2) प्रगति : नेपाली और तिब्बती भाषाओं में प्रकाशित त्रैमासिक

(3) एक दैनिक समाचार पत्र जो अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बती भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

(4) इसके अतिरिक्त, तदर्थ प्रकाशन, प्रेस नोट आदि भी काफी बड़ी संख्या में निकाले जाते हैं।

उत्तर-पश्चिम जोन चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर द्वारा बंगलों का किराये पर लिया जाना

5034. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पश्चिम जोन चण्डीगढ़ के चीफ इन्जीनियर ने चण्डीगढ़ में अपने कार्यालय के लिये कुछ बंगले किराये पर लिये हैं;

(ख) 31 मार्च, 1970 तक इन सभी बंगलों के लिये कितना किराया दिया गया है और इनके मालिकों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे कार्यालयों के रखरखाव पर होने वाले इतने अधिक व्यय में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (ग) चीफ इन्जीनियर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र चण्डीगढ़ के कार्यालय के लिये सरकार द्वारा किराये पर इस समय 8 बंगले लिये हुये हैं। किराये पर लिया गया सबसे पुराना 1963 का है। इन 8 बंगलों के लिये 31 मार्च 1970 तक दिया गया कुल किराया लगभग 165901 रुपये है। दिया गया किराया युक्ति संगत समझा गया है। तदपि चीफ इन्जीनियर के लिये चंडीगढ़ के सैनिक क्षेत्र में यथा समय वास्य भवन निर्माण करना प्रस्तावित है।

बंगलों के स्वामियों के नाम हैं :-

1. श्री एस० डी० बाली।
2. श्री सोहन सिंह सेठी।
3. श्रीमती वी० के० फूलका।
4. श्री रत्तन लाल नाग।
5. डा० (श्रीमती) एस० बब्बर।

6. श्री सुरिन्दर पाल सिंह ।

7. श्री के० सी० कोहली ।

8. श्री सुन्दर लाल ।

जल विद्युत सम्बन्धी भावनाओं के सर्वेक्षण के लिए उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा एक समिति नियुक्त किया जाना

5035. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने क्षेत्र की जल विद्युत सम्बन्धी संभावनाओं के सर्वेक्षण के लिए तथा अग्रिम जांच के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, हां । उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने 3 तथा 4 जुलाई, 1970 को अपनी बैठक में निर्णय किया कि प्राथमिक अध्ययन के आधार पर उल्लंगे क्षेत्र में सभी सम्भाव्य जल-विद्युत स्थलों की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की जाए । यह समिति सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले आगे और अनुसंधानों के लिए अपेक्षित धन-राशि का भी मूल्यांकन करेगी ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में स्थित राष्टीय विज्ञान पुस्तकालय की शोचनीय दशा

5036. **श्री मृत्युजय प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इनका ध्यान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली (एन०पी०एल०) स्थित राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में उपयुक्त शेल्फों में उचित ढंग से रखने के बजाय अनेक पुस्तकों, सांधिधिक पत्रिकाओं, बिज्ञान पत्रिकाओं आदि का बोरों में रखे जाने की शोचनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक साहित्य के लिए इस पुस्तकालय को एक संदर्भ कक्ष (रफरन्स हाउस) बनाने के लिए, जहां पर विद्वान लोग उनका लाभ उठा सकें और उसे उचित रूप से सुरक्षित रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र (इन्सडौक) के पुस्कालय का एक भाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में स्थित है क्योंकि "इन्सडौक" के पास पर्याप्त स्थान नहीं है । हाल ही में इन्सडोक द्वारा विदेशी भाषा पेटेन्टस का भेजा हुआ माल प्राप्त हुआ है जो सन (जूट) के कपड़े में बंधा हुआ है जिसको पुस्कालय में रखने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना और उसके लिए एक अलग भवन का प्रस्ताव सी०एस०आई०आर० की चतुर्थ पंच वर्षिय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

अल्प संख्यकों के लिए एक विभाग की स्थापना

5037. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री से संलग्न अल्पसंख्यकों के लिए एक विभाग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या होंगे;

(ग) ऐसे विभाग की स्थापना पर प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होगा; और

(घ) विभाग के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Demonstration Staged by MPs and Jawans at Residence of Chief of Army Staff

5038. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Mps. and Jawans had recently staged a demonstration in front of the residence of the Chief of the Army, Staff, in support of their demands;

(b) whether the said action was legal;

(c) if not, the action being taken by Government to prevent such demonstrations in future;

(d) the details of their demands; and

(e) the action proposed to be taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (e) : A demonstration was organised by a local INTUC delegation on the 13th July 1970 in front of the residence of the chief of the Army Staff. No Jawan or MP is known to have participated in this demonstration. The demands related to investigation into certain complaints against some military administrative authorities. These complaints are being looked into.

Officers and Employees Knowing Hindi in the Ministry of external Affairs and Indian Missions Abroad

5039. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the categorywise number of officers and employees who were working in the Ministry of External Affairs and the Indian Missions abroad as on 31st July, 1970;

(b) the number of officers and employees among them having a working knowledge of Hindi;

(c) the number of officers and employees, who learnt Hindi during the last one year; and

(d) the number of officers and employees learning Hindi at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) (a) The number is as under :-

Category	Hqtr.	Indian Missions abroad	Total
Class I	234	323	557
Class II (Gazetted)	193	189	382
Class II (Non-gazetted)	617	623	1240
Class III	592	163	755
Class IV	546	224	770
Total :	2182	1522	3704

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The number of those who passed the various Hindi Examinations of the Hindi Teaching Scheme from June 1969 to June, 1970 is as under :-

Examinations	Officers	Employees
Prabodh	3	15
Praveen	1	11
Pragya	—	10

(d) Two officers and thirty two employees have been nominated for Hindi teaching classes.

Recommendations of working Group on Defence Appointed by A. R. C.

5040. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the main recommendations made by the Working Group on Defence appointed by the administrative Reforms Commission ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : The Report of the Study Team of the Administrative Reforms Commission on Defence Matters has been received in the Ministry of Defence recently and is being examined.

Laying Down of Underground Electric Lines in Delhi City by DESU

5041. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Delhi Electric Supply Undertaking have decided to lay underground electric lines in Delhi city; and

(b) if so, the total expenditure likely to be incurred on this project and the share of the Central Government in the said expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) (a) & (b) : The proposal for converting a major portion of the overhead system in Delhi into an underground one has been estimated by the Delhi Electric Supply Undertaking to cost Rs. 29 crores. For phased implementation of this proposal within the prevailing financial constraints, DESU is preparing a scheme for converting the overhead mains in the Chandni Chowk area to underground at a cost of Rs. 25 lakhs. The financing of this scheme by the Central Government would be considered on receipt of this scheme from DESU.

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक बोर्ड बनाना

5042. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक बोर्ड बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित करने का निश्चय पहले ही किया जा चुका है तथा इस विनिश्चय को लागू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

रूई का आयात

5043. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष कितनी मात्रा में रुई का आयात होता है तथा उन देशों के क्या नाम हैं जहां से रुई का आयात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

विगत तीन रुई वर्षों (सितम्बर अगस्त) के दौरान रुई के आयात निम्नोक्त थे:—

वर्ष	आयात (लाख गांठों में)
1966-67	7.82
1967-68	7.78
1968-69	4.29

जिन प्रमुख देशों से रुई का आयात किया गया वे निम्नलिखित हैं :

संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा पूर्व अफ्रीकी देश।

तकनीकी सेवा के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम की योजना

5044. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम ने तकनीकी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय फर्मों को विदेशों में निर्माण कार्य हाथ में लेने हेतु सहायता देने के लिये कुछ नई योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उन योजनाओं की रूपरेखा क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम ने तकनीकी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय फर्मों को विदेशों में निर्माण कार्य लेने हेतु सहायता देने के लिए कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं।

(ख) (1) **सेवा संबंधी पालिसी** : निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम जो अभी तक केवल निर्यात करने वाले सामान पर उधार की जोखिम को ही पूरा कर रहा था, ने अब "सेवा पालिसी" भी प्रारम्भ कर दी है, जो भारतीय फर्मों को विदेशी पार्टियों को दी गई सेवाओं, जैसे तकनीकी तथा व्यवसायिक सेवाओं रायल्टी, किराये तथा पट्टे पर देना, रचना-स्वत्व फीस आदि के लिए अपेक्षित धन-राशि के अदा न होने के जोखिम से बचायेगी। निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, बीमा के अधीन आने वाली हानि का 90 प्रतिशत भाग अदा करेगा ।

(2) **सेवाओं के लिए पैकिंग ऋण** : उन भारतीय फर्मों को जो विदेशों में निर्माण-कार्यों के निष्पादन हेतु आदेश प्राप्त करती हैं, अथवा विदेशी पार्टियों को तकनीकी तथा व्यवसायिक सेवाओं को देने के फलस्वरूप भारत में किए जाने वाले प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिए बैंक पैकिंग ऋण प्राप्य कराते हैं। नई योजना बैंकों को उस किसी भी हानि से, जो 'निर्यातक' के दिवालियेपन अथवा विलंबित त्रुटि के कारण उत्पन्न होती हैं, 66-213 प्रतिशत तक बचाएगी।

(3) **निर्यात निष्पादन गारंटी के क्षेत्र का विस्तार** : निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम ने अपने निर्यात निष्पादन गारंटी क्षेत्र को और भी बढ़ा दिया है, जिसके अनुसार, विदेश में निर्माण कार्य करने वाली अथवा वहाँ की पार्टियों को सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों को विदेशी बैंक द्वारा स्थानिक मुद्रा में दी गई अग्रिम राशि के संबंध में उस देश के बैंकों को भारतीय बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों का बीमा करना भी शामिल हैं। यह गारंटी प्रतिगारंटी के रूप में होगी, यदि विदेशी बैंक को दी गई गारंटी के संबंध में भारतीय बैंक को कोई हानि हुई तो निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम अपनी निर्यात निष्पादन गारंटी के अनुसार उस हानि के 66-213 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगा ।

फरक्का बांध के अन्तर्गत जंगीपुर बांध के निर्माण के लिये टेण्डर का मंजूर किया जाना

5045. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध परियोजना के अन्तर्गत जंगीपुर बांध के लिये 27 दिसम्बर, 1967 को टेण्डर मांगे गये थे ;

(ख) क्या कलकत्ता फर्म का टेण्डर सबसे कम राशि का था;

(ग) कलकत्ता फर्म के टेण्डर को, जो कि सबसे कम राशि का था, अस्वीकार करने तथा इसके बजाये मैसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के टेण्डर को, जो कि अधिक राशि का था, स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जंगीपुर बराज के लिए 20-11-1967 को टेण्डर मंगवाये गये थे और 29-12-1967 को खोले गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) फरक्का बराज परियोजना पर कार्य अलाट करते समय अधिकारियों को इन बातों का ख्याल करना होता है : जिस काम के लिए टेन्डर दिया गया हो उसको हाथ में लेने के लिए टेण्डर भरने वाले का तकनीकी और वित्तीय सामर्थ्य, निर्धारित तिथियों तक कार्य को पूरा करने के लिए उनका सामर्थ्य, स्थल तक ले जाने के लिए ठीक किस्म की मशीनरी और उसकी संख्या के सम्बन्ध में उनके संसाधन विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं, आदि, आदि। परियोजना के सभी वृहत कार्यों के लिए टेण्डरों की अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टेण्डर समिति द्वारा जांच की जाती है जिसमें तकनीकी, विशेषज्ञ और वित्त मंत्रालय तथा सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। तदनुसार जंगीपुर बराज के लिए टेण्डरों की भी इस समिति द्वारा जांच की गई थी। उपर्युक्त बातों का ध्यान करने के पश्चात् समिति इस फैसले पर पहुंची कि इस किस्म और इतने परिमाण के कार्य को सबसे कम टेण्डर भरने वाले को देना उचित नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त का ख्याल करते हुए, इस मामले की कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध परियोजना के अन्तर्गत बागमारी साइफन के निर्माण के लिए टेन्डर का स्वीकार किया जाना

5046. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बाँध परियोजना के अन्तर्गत बागमारी साइफन के निर्माण के लिये 22-8-67 को टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता फर्म का टेण्डर मैसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी की तुलना में कम राशि का था;

(ग) क्या उस फर्म को, जिसका टेण्डर सबसे कम राशि का था, 18 नवम्बर, 1967 को टेण्डर समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था परन्तु उनके टेण्डर को स्वीकार नहीं किया गया था; यदि हां, तो उस फर्म के टेण्डर को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) मूल समय सीमा को 1-1/2 वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष करने के क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निविदाएं 28-6-70 को मंगाई गई थीं और 22-8-67 को खोली गई थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। फरक्का वराज पर कार्य का आवंटन करने में प्राधिकारियों को, निविदा-गत कार्य को करने में निविदा-दाताओं की तकनीकी तथा आर्थिक सामर्थ्य, अनुबंधित समय के अन्दर कार्य को पूर्ण करने की योग्यता, स्थल पर सही किस्म तथा संख्या में मशीनरी लाने के लिए उनके साधन, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखना होता है। परियोजना के प्रमुख कार्यों की निविदाओं पर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय निविदा समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ तथा वित्त मंत्रालय तथा प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तदनुसार बागमारी साइफन के लिए मंगाई गई निविदाओं पर भी इस समिति द्वारा विचार किया गया। उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसे विशाल आकार एवं स्वरूप के कार्य को निम्नतम निविदादाता को देना उचित नहीं।

(घ) निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई नहीं गई है। जैसा कि अपेक्षित था कार्य दो कार्य-ऋतुओं में पूर्ण हो चुका है।

(ङ.) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच-पड़ताल कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत द्वारा आत्म निर्भरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए अनुमानित समय

4047. **श्री शिवचन्द झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप के आधार पर भारत पाँचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक भी आत्मनिर्भरता की स्थिति तक नहीं पहुंच सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप के अनुसार भारत को आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि पांचवीं योजना के अंत तक अर्थ-व्यवस्था में स्वावलम्बन (सैल्फ रिलान्स) के आधार पर विकास की एक संतोष जनक गति पैदा हो जायेगी जो 6-6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। आत्म निर्भरता की स्थिति प्राप्त करना (रीचिंग टेक आफ स्टेज) इसी भाव को अपरिशुद्ध रूप से अभिव्यक्त करना होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना की भूमिका (प्रीफेस टू दी फोर्थ फाईव ईयर प्लान) में योजना का वैज्ञानिक दर्शन

5048. **श्री शिव चन्द झा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यदि चौथी पंचवर्षीय योजना की भूमिका (प्रीफेस टू दी फोर्थ फाइव इअर प्लान) में योजना के वैज्ञानिक दर्शन का उल्लेख है तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना की भूमिका, जो कि 7 अगस्त, 1970 को सभा पटल पर रखी गई थी स्वतः स्पष्ट है और उसके लेखक द्वारा उस पर आगे कोई और टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। मुख्य रूप में भूमिका का आशय यह था कि चौथी योजना के कुछ पक्षों और लक्षों को प्रकाश में लाया जाये और उन लक्ष्यों की पूर्ति में जनता का निश्चयपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये।

चौथी योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये मंजूरशुदा सिंचाई योजनाएं

5049. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के लिये मंजूर की गई बड़ी, मध्यम दर्जे की और छोटी सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है;

(ख) गत पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ की गई योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाएं वर्ष 1968 और 1969-70 में पूरी की गई थीं और उनके द्वारा कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो बिल्कुल आरम्भ ही नहीं की गई या जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हिमाचल प्रदेश में कितनी भूमि की सिंचाई करने की योजना है और उस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने किसी वृहत अथवा मध्यम सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रशासित लघु सिंचाई कार्यक्रम में 225 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है, जैसाकि नीचे दिया गया है :—

स्कीम का नाम	चौथी योजना के लिए अलग रखी गई धनराशि
	(लाख रुपयों में)
1. **प्रवाह स्कीमें (राज्य कार्य)**	
(1) तीसरी योजना से चली आ रही स्कीमें	20.82
(2) नई स्कीमें	49.91
2. **लिफ्ट सिंचाई स्कीमें**	
(क) **खण्डों से**	
(1) तीसरी योजना से चली आ रही स्कीमें	30-33
(2) नई स्कीमें	52.79
(ख) **नलकूपों से**	
(1) तीसरी योजना से चली आ रही स्कीमें	30.17
(2) नई स्कीमें	4.50
3. **गैर सरकारी लघु सिंचाई कार्य**	45.00
4. **गैर सरकारी कुओं का नवीकरण**	15.00
5. व्यावहारिक और पोषणिक कार्य	6.48
	255.00

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा दी जानकारी के अनुसार 1968-69 और 1969-70 में पूर्ण हुई स्कीमों की सूचियां, जिनमें सिंचित होने वाला क्षेत्र दिखाया गया है, उपाबंध 10 और 11 में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4147/70]

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित स्कीमों का ब्यौरा, जिनको अभी हाथ में नहीं लिया गया है, और उन स्कीमों का ब्यौरा उपाबंध- 3 और 4 के रूप में संलग्न है, जो शुरू की जा चुकी हैं परन्तु अभी पूर्ण नहीं हुई हैं।

(घ) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 225 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 25 हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई अधीन लाने का विचार है।

सैनिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

5050. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में सिपाही से कर्नल तक के वर्ष 1966 में वेतनमान क्या थे और अब क्या हैं और इस समय उनको कुल कितना-कितना वेतन मिलता है;

(ख) क्या सरकार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए उनके वेतनों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1966 में और इस समय इन्फेंट्री के जवानों और कर्नल के पद तक अफसरों के संबंध में विद्यमान वेतन और उपलब्धियों के वर्ग दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4148/70]

(ख) और (ग). सरकार ने एक-वेतन आयोग पहले से नियुक्त कर रखा है कि जिस के कार्य क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग के वेतन ढांचे का पुनरीक्षण शामिल है।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

5051. **श्री वाल्मीकी चौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कर्मचारी मूलभूत नियमों से शासित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड के उन कर्मचारियों को, जो उसमें 1938 से पूर्व आये थे, 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). चाय बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर चाय अधिनियम, 1953 तथा चाय नियम, 1954 के अन्तर्गत बनी तथा करकार द्वारा अनुमोदित चाय बोर्ड उप-विधियां, 1955 लागू होती हैं। चाय बोर्ड उप-विधियां, 1955 की उप-विधि 30 के अनुसार, चाय बोर्ड के ऐसे पदों पर आसीन कर्मचारियों को छोड़कर, जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 110 रु० प्रतिमास से अधिक नही हैं, सभी कर्मचारी बोर्ड की सेवा से 58 वर्ष की आय में सेवा-निवृत्त होंगे। चाए बोर्ड के ऐसे पदों पर आसीन कर्मचारी जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 110 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होंगे।

इम्फाल के लिये डीजल के बिजली उत्पादन सेट

5052. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5647 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तव में अब तक डीजल के कितने उत्पादन सेट खरीदे गये हैं और उनमें से कितने सेट इम्फाल लाये गये हैं;

(ख) क्या उपयुक्त सेटों ने बिजली सप्लाई करना आरंभ कर दिया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) क्या उत्तर स्वीकारात्मक है तो खरीदे गये सेटों का ब्यौरा क्या है प्रत्येक उत्पादन सेट का कितना मूल्य दिया गया है, सेट सप्लाई करने वाले बोर्ड का नाम क्या है और सेटों की क्षमता कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मणिपुर सरकार से मंगवाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्गीय आर० के० इबोचाओबी सिंह के आश्रितों को क्षति पूर्ति देना

5053. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय आर० के० इबोचोनी के आश्रितों की क्षतिपूर्ति का भुगतान पहले ही कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस व्यक्ति को और किस तारीख को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया था और क्षतिपूर्ति की राशि कितनी थी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 10 जुलाई, 1970 को स्वर्गीय श्री आर०के०. इबोचौबी सिंह की विधवा को मुआवजे के रूप में 7,000 रुपये दिए गए।

मनीपुर के विद्युत परियोजना डिवीजन के कर्मचारियों की संख्या

5054. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के साथ सम्बद्ध परिशिष्ट की माद 11 और 12 और 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर और 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5649 के उत्तर के संबंध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के विद्युत डिवीजन और परियोजना डिवीजन में कार्यभारित कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ख) उपर्युक्त तीन अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों में कार्यभारित कर्मचारियों की संख्या भिन्न भिन्न बताये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ख). अपेक्षित जानकारी मनिपुर सरकार से मंगवाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मनिपुर राज्य के लिए योजना बोर्ड

5055. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रधान मंत्री** 5 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1561 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य योजना बोर्ड (मनिपुर) के सदस्यों के नाम क्या हैं और योजना के मसौदा पर चर्चा करने के लिए 30 अगस्त तथा 2 सितम्बर, 1968 को हुई बोर्ड की बैठक में किस किस सदस्य ने भाग लिया था;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर में दो अन्य समितियां भी हैं जिनका मनिपुर के योजना के मसौदे पर चर्चा में भाग लेना भी अपेक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो उनसे बिल्कुल ही विचार-विमर्श न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी जर्मनी के साथ वाणिज्य दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने के बारे में पश्चिम जर्मनी का भारत को विरोध पत्र

5056. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी जर्मनी के साथ वाणिज्य दूतावास के स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने के निर्णय के विरुद्ध पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Danaiya Drain in Danapur Cantonment Area

5057. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Danaiya drain (nallah) in the area under Maner Police Station in District Patna passes through the Danapur Cantonment and falls into the Sone river;

(b) whether it is also a fact that Cantonment authorities auction the said drain for the purpose of fishing during rainy days;

(c) if so, whether it is also a fact that anglers put some obstructions in the said drain for fishing as a result of which the flow of water is slowed down;

(d) if so, whether it is also a fact that as a result thereof, thousands of acres of paddy crop in Maner Thana are completely destroyed every year; and

(e) the steps Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narender Singh Mahida) : (a) Yes, Sir.

(b) The Cantonment authorities dispose of annually the fishing rights in the lower portion of the nallah.

(c) Government is not aware that anglers obstruct the free flow of water.

(d) and (e). Do not arise in view of answer to (c) above.

मुबारकपुर गांव (दानापुर छावनी) के किसानों से अधिगृहित भूमि का मुआवजा

5058. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी के समीप मुबारकपुर गांव में किसानों की वह भूमि जिस पर 1962 से सरकार का कब्जा चला आ रहा था सरकार ने अधिगृहीत करली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि के लिये किसानों को मुआवजा देने के लिये सरकार ने आदेश दे दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद उन्हें अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ड.) उन्हें मुआवजा शीघ्र दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (ड.). (दानापुर छावनी) मुबारकपुर गांव में लगभग 77.47 एकड़ भूमि की अधिप्राप्ती के लिये सरकारी स्वीकृति 10-10-1969 को जारी की गई थी। अधिप्राप्ति कार्यवाही की अन्तिम रूपरेखा अभी भूमि अधिग्रहण अफसर पटना द्वारा दी जानी है। कानून के अनुसार अधिग्रहण मुआवजा नियत करना और अदा करना भूमि अधिग्रहण अफसर का उत्तरदायित्व है। भूमि अधिग्रहण अफसर को अधिग्रहण कार्यवाही के शीघ्र अंतिम रूपरेखा देने को कहा गया है। इस बीच अन्त जून 1969 तक की अवधि के लिए किराया मुआवजा भूस्वामियों को अदा कर दिया गया है।

सूडान में भारतीय पूंजी-निवेश

5059. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान में औद्योगिक उद्यमों में भारतीय फर्मों की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) सूडान की कितनी कम्पनियां भारतीय फर्मों के नियंत्रणाधीन हैं;

(ग) सूडान में पूंजी लगाने वाले भारतीय व्यापार-गृहों की सूचि क्या है और आज तक प्रत्येक गृह ने कितना धन लगाया है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि सूडान की क्रान्तिकारी परिषद ने हाल ही में भारतीयों की मलकियत में 15 प्रमुख फर्मों को जब्त कर लिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . सूडान में, किसी भी भारतीय फर्म ने, औद्योगिक उद्यम में, पूंजी नहीं लगायी है।

(घ) और (ड). उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

फिर भी भारतीय मलकियत वाली 6 फर्में, जो कि बहुत समय से सूडान में बसी हुई हैं, हाल ही में सूडान सरकार द्वारा जब्त करली गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल अनुमानित निवेश तथा अन्य निहित परिसम्पत्तियां क्रमशः 4,44,000 सूडानी पौंड तथा 12,15,000 सूडानी पौंड हैं।

काफी बागानों के लिए सुविधा में सुधार

5060. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना उपकर वसूल किया जाता है और बागानों में सुविधाओं के सुधार के लिए उसमें से कितना खर्च किया जाता है; और

(ख) काफी बोर्ड द्वारा ऐसा सर्वेक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे यह पता लगता कि छोटे बागानों को लाभकारी बनाने के लिए उन्हें कितनी कितनी भूमि की आवश्यकता है; और क्या केरल राज्य सरकार से यह कार्य करने के लिये कहा गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) (क) गत चार वर्षों में, काफी बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष वसूल किये गये उपकर की कुल धनराशि और बागानों में सुविधाओं के सुधार के लिए किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष	वसूल किए गये उपकर की धनराशि	सुविधाओं के सुधार के लिए किए गए खर्च की राशि
1966-67	33,86,910 रु०	1,62,658 रु०
1967-68	33,13,097 रु०	99,851 रु०
1968-69	32,60,692 रु०	1,60,996 रु०
1969-70	32,03,663 रु०	1,49,600 रु०

(ख) अब तक इस प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसलिये काफी बोर्ड ने इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य से अनुरोध नहीं किया है।

बागानों के लिए कीटनाशी दवाइयों की उपलब्धता

5061. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपर सल्फेट, जो बागानों के लिये आवश्यक होता है, के मूल्य में वृद्धि 'उतरने पर लागत' के कारण नहीं बल्कि किन्हीं अन्य कारणों से हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस पर लगे करों में कुछ कमी करने का और उसे तथा अन्य कीटनाशी दवाइयों के छोटे बागान की बाज़ार मूल्य से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का है; और

(ग) छोटे बागान को जिनकी उत्पादकता कम है उन्हें उर्वरकों पर राज सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) 'बागान उद्योग' शब्द में चाय, काफी, इलायची तथा रबड़ बागान शामिल हैं। जहां तक चाय का सम्बन्ध है चाय बोर्ड द्वारा चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से गठित लघु चाय उत्पादकों की सहकारी समितियों को उर्वरक इमदाद दी जा रही है। काफी के सम्बन्ध में उर्वरकों

और नाशिकीटमार आदि के लिये वित्तीय सहायता देने की योजना पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। इस बात को देखते हुए कि अधिकांश इलायची बागान राज्य सरकारों द्वारा अभी तक पंजीयित नहीं किये गये हैं, अतः इलायची बोर्ड अभी इस दिशा में किसी योजना की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है। रबड़ बोर्ड उन लघु जोतधारियों (15 एकड़ और उससे कम) की, जो बोर्ड की सहायता योजना के अन्तर्गत पुनर्रोपण करते हैं और नयी पौध लगाते हैं, मुफ्त खाद की पूर्ति करती है।

नायलन का तस्कर व्यापार

5062. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1970 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में नायलन के तस्कर व्यापार के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निश्चित रूप से पता लगा लिया गया है कि तस्कर व्यापारी नायलन को विमान द्वारा डुबोई ले जाते हैं और उस पर 54 रुपये प्रति किलो का लाभ कमाते हैं;

(ग) सप्लाई की स्थिति सुधरने तक हमारे आयातित माल के विमान द्वारा ले जाने में प्रति किलोग्राम क्या अनुमानित लागत आती है; और

(घ) जापान में नायलन का मूल्य 15 डीनियर के लिये 15 रुपये है और भारत में उसका मूल्य 108 रुपये है, नायलन के मूल्यों में इतने अधिक अन्तर के क्या कारण है और इतना अन्तर रखते हुए सरकार का तस्कर व्यापार रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (ग). नायलन धागे के तस्कर व्यापार पर अर्जित लाभ की मात्रा के बारे में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। नायलन के विमान द्वारा ले जाने की लागत भिन्न-भिन्न होती है, जो उस देश पर निर्भर करती है जहां से इसका आयात किया जाता है। उदाहरणतः रोम से दिल्ली तक की सामान्य दर लगभग 17 रु० प्रति किग्रा० है। भारत में 15 डेनियर नायलन का उपभोक्ता मूल्य 76 रु० प्रति किग्रा० है (जिसमें 30 रु० प्रति किग्रा० का उत्पादन शुल्क शामिल है)। 108 रुपये प्रति किग्रा० का मूल्य खुले बाजार के सौदों से सम्बन्धित प्रतीत होता है, जिनमें भारत में नायलन धागे की कुल उपलब्धि का बहुत कम अंश शामिल होता है। इसके अतिरिक्त इस मूल्य में निरन्तर उतार-चढ़ाव रहता है। दूसरी ओर जापान में 15 रु० प्रति किग्रा० का मूल्य जहाज पर्यन्त निर्यात मूल्य प्रतीत होता है। मूल्यों में अन्तर विभिन्न कारणों से हो सकता है और इसका सही पता टैरिफ आयोग के, जो नायलन धागे के मूल्य ढांचे की जांच कर रहा है, प्रति-वेदन के प्राप्त हो जाने पर ही लग सकेगा। तथापि सरकार तस्कर व्यापार रोकने के लिए सभी कारगर उपाय कर रही है।

Stealing of goods from Salvage Unit (A.O.C.) Pathankot

5063. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are aware that goods were being stolen from salvage Unit

(A.O.C.), Pathankot, time and again and its employees had seized a truck loaded with stolen goods; and

(b) if so, whether Government would institute an enquiry through some senior officers into this matter and punish the officers found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तरी बंगाल के लिए दीर्घावधि बाढ़ नियंत्रण योजना

5064. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर बंगाल के लिए कोई दीर्घावधि बाढ़ नियंत्रण योजना सम्मिलित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस वर्ष इस सम्बन्ध में कोई अल्पावधि उपाय अपनाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। वहरहाल, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजना में उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये कुछ प्रावधान करे।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित अल्पावधि उपाय किये गये हैं :—

(1) जलपाईगुड़ी शहर बचाव तटबंध को दो ठोस ठोकरों के निर्माण द्वारा मजबूत बनाया गया है।

(2) तोस्ता के दक्षिणी किनारे पर ड्वार्फ बोल्डर तटबंध का मंडलघाट से आगे डेढ़ मील की लम्बाई तक विस्तार किया गया है।

(3) कूच बिहार शहर के निकट तोर्सा के दक्षिणी किनारे पर मालेरभार, भेलाडांगा के बचाव की स्कीम को हाथ में ले लिया गया है।

(4) अंदोझोरा के निकट चेल नदी के व्यपवर्तन को रोकने की स्कीम पूरी हो चुकी है।

(5) 1969 की बाढ़ों के फलस्वरूप टूटे हुए तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण एवं जो पोद्धार के कार्य जारी थे।

(6) तटबन्धों तथा बचाव कार्यों के जो चालू वर्ष की बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं अनुरक्षा मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य यथावश्यक रूप से किया जा रहा है।

नेपाल के साथ निर्यात/आयात व्यापार

5065. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों में वर्षवार तथा वस्तुवार नेपाल से भारत ने कितने मूल्य का आयात और उसे कितने मूल्य का निर्यात किया है ; और

(ख) नेपाल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) गत 3 वर्षों के लिये नेपाल से आयातों और उसे निर्यातों के वस्तुवार अभिलिखित आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4149/70]

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जो विदेशी व्यापार मंत्री ने 12 अगस्त, 1970 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिया था।

नेपाल के व्यापार के विकास तथा विविधीकरण में उसे भारत का सहयोग सदा मिलता रहेगा। भारत और नेपाल सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों से घनिष्टतः जुड़े हुए हैं और भारत सरकार का सदा यह प्रयत्न रहेगा कि कठिनाइयों का परस्पर सम्मत समाधान ढूंढ़ा जाये जिससे कि दोनों देशों की समान आकांक्षाएं विकसित हों और दीर्घकाल में इनकी संवृद्धि हो।

नई दिल्ली तथा पालमपुर में टी बोर्ड के कार्यालय

5066. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में टी बोर्ड कार्यालय में कितने वर्गफीट स्थान (प्लाट एरिया) है ;

(ख) उसमें इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) फर्श के कुल क्षेत्र में से कितने पर क्षेत्रीय अधिकारी का कार्यालय और आवास गृह हैं ;

(घ) कर्मचारियों के पास कार्यालय प्रयोजन के लिये कितने कमरे और कितने फर्श हैं ;

(ङ) क्या उक्त बोर्ड का एक कार्यालय पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भी है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन है उस कार्यालय का प्रभारी अधिकारी कौन है और उस कार्यालय पर प्रतिमास क्या खर्च होता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 2752 वर्गफुट।

(ख) 17

(ग) कार्यालय तथा अतिथि गृह के लिये 1952 वर्गफुट और क्षेत्रीय अधिकारी के निवास के लिये 800 वर्गफुट स्थान है।

(घ) कुल 1647 वर्गफुट क्षेत्रफल के स्थान में पाँच कमरे, जिनमें से एक कमरा रात के चौकीदार के लिये एक गैरिज और एक स्थानगृह शामिल हैं।

(ड.) जी, हां।

(च) उत्तर पश्चिम भारत में चाय के छोटे उत्पादकों को सहायता देने के लिये पालमपुर कार्यालय का प्रभारी अधिकारी एक क्षेत्रीय सलाहकार अधिकारी है। इस कार्यालय को चलाने के लिये प्रतिमास लगभग 2000 रुपये खर्च आता है।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये योजना आयोग द्वारा अध्ययन

5067. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपायों से सम्बन्धित योजना आयोग के अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि योजना में पूंजी विनियोजना में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये कि पूंजी की अपेक्षा मानव पर अधिक बल रहे ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). 1969 में प्रकाशित विश्व रोजगार कार्यक्रम (वर्ल्ड एम्प्लायमेंट प्रोग्राम) सम्बन्धी रिपोर्ट में, जिसका उल्लेख चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के पैरा 2220 में किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (अं०श्र०का०) ने रोजगार बढ़ाने की नीति की रूपरेखा दी है और भौतिक पूंजी की तुलना में, अधिक "मानव" निवेश की आवश्यकता का उल्लेख किया है। अं०श्र०का० ने इस बात पर बल दिया है कि रोजगार की नीति में यह आवश्यक है कि अकुशल जनशक्ति समूह को शीघ्र ही अर्थकुशल और कुशल जनशक्ति में रूपान्तरित कर दिया जाये और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी श्रम सघन उत्पादन प्रक्रियाओं की जानकारी का यथा सम्भव अधिकतम प्रसार किया जाये। अं०श्र०का० ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रसार सेवाओं के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षणों का शीघ्र विस्तार किया जाये और ग्रामीण विकास के लिए तथा श्रम सघन अवस्थापना सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास और उपयोगीकरण की पूंजी सघनता को कम करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और प्रयोग किये जायें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित विकासनीति उपर्युक्त सुझावों से पर्याप्त अनुकूलता रखती है। इसमें निवेश कार्यक्रमों, कृषि के विकास, संचार परिवहन के सम्पर्कों सहित ग्रामीण अवस्थापना सुविधाएं, ग्रामीण बिजलीकरण, जल व्यवस्था ग्रामीण उद्योग, औद्योगिक निवेश का विकेन्द्रीकरण और बिखराव, ग्रामीण और शहरी आवास की व्यवस्था द्वारा श्रम सघन कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है जो कि इस नीति के अनुकूल है। बड़े पैमाने के पूंजी सघन निवेश उन परियोजनाओं तक सीमित रहेंगे जिनमें प्रौद्योगिकीय तत्वों और मात्रात्मक मितव्ययिता के कारण श्रम सघन पद्धतियों को अपनाना सम्भव नहीं है। चौथी योजना में तकनीकी और सामान्य शिक्षा, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार और पुनर्बलीकरण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन पर पर्याप्त बल दिया गया है।

योजना आयोग ने केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया है कि वे चौथी योजना के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले कार्यक्रमों को रोजगार अभिमुख बनायें, मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दें और उपयुक्त श्रम सघन पद्धति अपनायें पर साथ ही कुशलता और मितव्ययिता का भी उचित ध्यान रखें।

भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में वेतनमान

5068. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में समान पद के लिये दो भिन्न-भिन्न वेतनमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में समान पद के अधिकारियों के लिये समान वेतनमान रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (चिकित्सा अफसरों को छोड़कर) भारतीय वायुसेना के समान पद के अफसरों के वेतनमान सभी ब्रांचों के लिए एक समान है सिवाय जनरल ड्यूटी (या उड़ान) ब्राच के विंग कमाण्डर तक के अफसरों के।

(ख) अधिक संकट की संभावना के कारण और जनरल ड्यूटी ब्रांच में उत्तरदायित्वों के विभिन्न स्तरों के लिये अधिक जवान अफसरों की आवश्यकता के कारण जनरल ड्यूटी ब्रांचों और स्थल ड्यूटी ब्रांच के अफसरों के लिये अलग वेतनमान निर्धारित किये गये हैं।

(ग) सभी अफसरों के लिये समेकित वेतनमान निर्धारित करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौथी योजना अवधि में देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

5069. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश भर के प्रत्येक क्षेत्र में समान दर से विकास की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्था अथवा नियतन करके उन्हें देश के शेष भागों को समान विकास स्तर पर लाना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) सम्भवतः इसका सम्बन्ध विभिन्न राज्यों की विकास दरों से है। भौतिक-भौगोलिक दशाओं, संसाधनों स्थायी निधियों, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विनियोजना के स्तर आदि में विभिन्नता होने के कारण, स्वभावतः ये एक समान हो भी नहीं सकते।

(ख) और (ग). राज्य सीमाओं के अन्दर पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिये मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। अतः उनसे निवेदन किया गया है कि वे उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें और उनके तेजी से विकास के लिए इस प्रकार की योजनाएं तैयार करें, जिससे जिला या क्षेत्र योजनाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का अधिक सतुलित विकास हो सके। वे स्थानीय आवश्यकताओं, क्षमता और प्राथमिकताओं को सुव्यवस्थित निर्धारण के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिये कार्य-संचालन नीति का निश्चय करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे इस काम के लिए अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में समुचित व्यवस्था करें।

उत्तर प्रदेश में प्रसार लाइनों में उपयोग के लिए बिजली के तारों और खम्भों की कमी

5070. **श्री राज देव सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गत 6 महिनों से बन्द पड़े राजकीय नलकूपों और पम्पिग सेटों को चालू करने के लिए प्रसार लाइनों के लिए अपेक्षित बिजली के तारों और खम्भों की बहुत अधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देशी इस्पात तथा ई०सी० ग्रेड अल्युमोनियम की उपलभ्यता में अन्तर और संवाहकों (कन्डक्टर्स) तथा लाइन सपोर्टस की देश भर में आवश्यकता के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश में पम्पसेटों/नलकूपों के ऊर्जन में देरी हो गई है।

गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा बनाये गये ड्रेजर

5071. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 12 अगस्त, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में मौट ड्रेजर भेजने के क्या कारण थे जबकि पाइप लाइन में वाल और साकेटों के अभाव में वह रेत हटाने और इसको भेजने का प्रयोजन पूरा करने में असमर्थ था;

(ख) टेक्नीकल रूप में इस गम्भीर गलती का उत्तरदायी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) मंगलौर पत्तन परियोजना में उस ड्रेजर को भेजे जाने पर कुल कितना व्यय हुआ, यह व्यय गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा वहन किया जायेगा अथवा यह व्यय वाल और साकेट जांइटों को समय पर न भेजे जाने के लिए सरकारी उपक्रम के ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा; और

(घ) यह कहा गया है कि पहले 50 सेट्स अगस्त में और दूसरे 50 सेट्स मार्च 1971 में दिये जा सकेंगे, बिना पाइप लाइनों के रेत को काफी दूरी तक फेंकने में असमर्थ रहने पर ड्रेजरों की क्या उपयोगिता होगी ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) गार्डन रीच वर्कशाप्स द्वारा 17 वाल और साकेट जायट सप्लाई किए जा चुके हैं, और परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रत्याशा

की गई थी प्राप्य पाइपलाइनों की लम्बाई और वाल तथा साकेट जायंटों से ड्रेजिंग का काम शुरू हो सकता था। ऐसा समझा गया था कि खराब मौसम स्थितियों के कारण ड्रेजर मंगलौर में काम नहीं कर सकता था, और उसे वापस लेना पड़ा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाल तथा साकेट जायंटों के सम्बन्ध में स्थिति उपरोक्त (क) भाग के उत्तर में स्पष्ट की गई है। मंगलौर में ड्रेजिंग कार्य के लिए देय राशि परिवहन मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जानी है। सर्वश्री गार्डन रीच वर्क-शाप्स से या राजकीय क्षेत्र के ठेकेदार से हानियों की प्राप्ति सम्बन्धित ठेकों की शर्तों द्वारा शासित होगी।

(घ) फालतू मट्टी का निपटारा दो तरह से हो सकता है, बजरे द्वारा या पाइपलाइन द्वारा। जहां भूमि उद्धरण अभिप्रेत हो पाईपलाईन का प्रयोग किया जाता है। परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि इस समय काकी-नाड़ा ने मोटे ड्रेजर / एक बड़ी बन्दरगाह से वाल तथा साकेट जायंटों का किराये पर प्रयोग कर रहा है। भावनगर में इस समय मोट ड्रेजर 2 गुजरात सरकार द्वारा पाईपलाईनों के बिना किराये पर लिया गया है।

पाकिस्तान के लिये फ्रेंच मिरेज-5 जेट विमान

5072. **श्री अदिचन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने 20-25 बहुप्रयोजनीय लड़ाकू जेट फ्रेंच मिरेट-5 विमानों के लिए क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विमान के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारत के पास उनके समकक्ष कोई हथियार है या वह ऐसे हथियारों का विकास कर रहा है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने इस विषय की रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) सुरक्षा के संकटों का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना के साज़सामानों का निरन्तर सुधार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

जापान में भारतीय व्यापारियों की गिरफ्तारी

5073. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को केरल में मत्स्य उद्योग में लगे उन दो व्यापारियों के बारे में कुछ जानकारी है जो जुलाई, 1970 में जापान में गिरफ्तार किए गए और जिन्हें टोक्यो स्थित भारतीय राजदूतावास को सौंप दिया गया और तत्पश्चात् उन्हें पुलिस हिरासत में कलकत्ते तक लाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, उन्हें किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अणु शक्ति आयोग का पुनर्गठन

5074. **श्री जनार्दनन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस आयोग के ढांचे तथा इसकी कार्यप्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) से (ग). अनुमान समिति (1969-70) (चौथी लोक सभा) ने परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में कुछ सिफारिशें की है ये सिफारिशें विचाराधीन है ।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

5275. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य 520 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित न किये जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय रबड़ उत्पादक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के संशोधन के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

भारत के लिए रूसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

5076. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सरकार ने भारत को अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के बारे में अश्रेणी-बद्ध आंकड़े भेजना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा और रूसी प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) से (ग). परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत तथा सोवियत संघ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं । क्योंकि इस समझौते को लागू करने से सम्बन्धित बातचीत अभी चल रही है, अतः आंकड़ों के आदान् प्रदान के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

तामिलनाडु के काबेरी डेल्टा में जल के निकास का रुक जाना

5077. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिल नाडु के काबेरी डेल्टा में जल के निकास के जाने के कारणों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये की गई उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने तमिल नाडु के कावेरी डेल्टा में जलनिकास के अवरोध की समस्या के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किये हैं। बहरहाल, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में एक सलाहकार ने कावेरी डेल्टा में जलनिकास के अवरोध की समस्या का अध्ययन किया था और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के विचार से सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों में ये उपाय शामिल हैं :-- डेल्टा के बाहर से आने वाले बाहय जल में कटौती, सिंचाईतालों का उपयुक्त अनुरक्षण, भू-संरक्षण और कंटूर बंडिंग आदि तरीके अपनाना। ये सिफारिशें राज्य सरकार को भेजदी गई। तमिल नाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये जिसमें जलनिकास के सुधार और बाढ़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है, उनके द्वारा प्रारूपित परियोजना में इनमें में कुछ एक सिफारिशों का समावेश कर दिया है। स्कीम के बाढ़-नियंत्रण और जलनिकास भाग में राज्य सरकार को अग्रेतर अनुसंधान के पश्चात और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना अपेक्षित होगा।

उत्तर बंगाल की नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करना

5078. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविभाजित बंगाल की सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से उत्तर बंगाल के लिए 1924 के प्रारम्भ में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिये कोई बहु-प्रयोजनीय योजना बनाई थी तथा 1946 में उस योजना पर पुनर्विचार किया;

(ख) क्या भारत सरकार उस योजना को क्रियान्वित करने का विचार कर रही है यदि नहीं, तो क्या उसने टीस्टा, जलढ़ाका, रैंडाक, तोरशा और महानन्दा जैसी उत्तर भारत की नदियों के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिये कोई नई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का वित्तीय खर्च सहित ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उत्तरी बंगाल में बाढ़सुरक्षा स्कीमों, सिंचाई और अन्य बहुद्देशीय परियोजनाओं से सम्बन्धित वे रिकार्ड जिन्हें 1924 में तैयार किया

बताया गया है, उपलब्ध नही हैं। बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने तोस्ता, महानंदा, रायडाक जलढाका और लोशी नदियों में अपवाहित क्षेत्रों के लिये 1965 में मास्टर प्लान बनाए थे। इनपर 185 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है। इन योजनाओं की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के साथ सलाह करके जांच की गई है और राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि 1968 के दौरान उत्तरी बंगाल की बाढ़ स्थिति को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अनुसंधानों के पस्चात् स्कीम तैयार की जाए और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों की रोशनी में उसका उपयुक्त संशोधन किया जाए। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वे क्रियान्विती का वास्तविकतापूर्ण कार्यक्रम बनाएं।

पस्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों की सिचाई के लिये वह रिपोर्ट भी, जो तीस्ता बहुद्देश्यीय बराज परियोजना का प्रथम चरण बनेगी, पश्चिम बंगाल में तैयार हो रही है।

भारत-पश्चिम जर्मनी व्यापार-वार्ता

5079. **श्री रामचन्द्र** बीरप्पा : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पश्चिम जर्मनी व्यापार-वार्ता पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) फेडरल रिपब्लिकन आफ जर्मनी तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच उभय पक्षीय सलाह की दूसरी बैठक बोन में दिनांक 29 तथा 30 जून, 1970 को हुई थी।

(ख) दोनों शिष्ट मंडलों ने अन्य बातों के साथ साथ भारत-फेडरल रिपब्लिकन आफ जर्मनी के व्यापारिक/वाणिज्यिक सम्बन्धों के बारे में चर्चा की। इनमें (i) फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के साथ हमारे व्यापार में निरंतर असंतुलन और भारत से उस देश के लिये निर्यात में वृद्धि, (ii) प्रशुल्क तथा अ-प्रशुल्क प्रतिबन्धों को हटाने (iii) भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता देने पर चर्चा की गई।

सोयाबीन तेल का आयात

5080. **श्री स० अ० अगड़ो** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से आयात किया गया सोयाबीन तेल चार वर्ष पुराने भंडार का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य व्यापार निगम के पास अब तेल की कितनी मात्रा अनबिकी पड़ी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा योजना आयोग के अन्वेषकों के वेतन-मानों में विषमता

5081. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अन्वेषकों को योजना आयोग के अन्वेषकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन-मान मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अन्वेषकों के वेतनमान 150-5-160-8-240 द० रो०,8-280-10-300 रुपये हैं जबकि योजना आयोग के श्रेणी II अन्वेषकों का वेतनमान 210-10-290-15-320-द० रो०, 15-425 रुपये है ।

(ख) इन पदों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि पदों की कार्य प्रकृति और साथ ही साथ सीधी भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हतायों में भी अन्तर है ।

फ्रांस के टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्र

5082. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैंकभेदी प्रक्षेपणास्त्र के निर्माण के बारे में भारत को सुद एविएशन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के बारे में सेना मुख्यालय के विचारों का पता लगाया गया है; और

(ग) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) लाईसेंस के अंतर्गत टैंक विध्वंसक मीजाईलों के निर्माण के लिए एक विदेशी फर्म के साथ एक करारनामा तय पाया है ।

(ख) सेना मुख्यालयों से सलाह मशविरा किया गया है, और वह इस प्रायोजना में पूर्णत: सहमत हैं ।

(ग) फर्म का नाम या प्रायोजना के अन्य विस्तार देना लोकहित में न होगा ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "सैनिक समाचार" में काम करने वाले अधिसंख्यक अनुवादक

5083. **श्रीए० श्री धरन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक "सैनिक समाचार" में कितने अधिसंख्यक अनुवादक काम कर रहे हैं;

(ख) उन्हें स्थायी पदों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है;

(ग) क्या उन्हें उप-सम्पादक के पदों पर पदोन्नति करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर कैसे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) तीन ।

(ख) अनुवादक के स्थानों की समाप्ति पर और सहायक पत्रकारों के स्थानों के निर्माण पर 1963 में यह फैसला किया गया था कि सहायक पत्रकारों के स्थानों पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त विभागीय पदोन्नति द्वारा निर्णय किया जाएगा। सैनिक समाचार में इस समय काम कर रहे तीन अनुवादक सहायक पत्रकार के तौर पर नियुक्त के तौर पर योग्य नहीं पाए गए थे। उनमें से दो स्थाई तौर पर अनुवादक का स्थान पहले ही धारण किए हुए थे और इस लिए उन्हें उन पर रहने दिया गया था। तीसरे अनुवादक को स्थाई तौर पर विशेष रूप से उसे रहने दिया गया था ।

(ग) और (घ). वर्तमान नियमों के अनुसार तीनों अनुवादक उप-सम्पादक के स्थान के लिए पदोन्नति के लिए अधिकारी नहीं हैं। उनके अपने वर्तमान स्थान में ही सेवा पूरी करना प्रत्याशित है । तदपि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आया उनके भविष्य अवसरों में सुधार किया जा सकता है ।

चाय बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या

5084. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड में विभिन्न अधीनस्थ संवर्गों में सहायक अधीक्षक तक के स्तर के कितने कर्मचारी हैं जिन्हें गत तीन वर्षों से पदोन्नति नहीं मिली है; और

(ख) नई दिल्ली में चाय बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे अनेक टी-बारों और टी-बफों में कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या क्या है और वहां इस समय कितने काम कर रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) निम्न श्रेणी लिपिक	58
उच्च ,, ,,	52
मुख्य लिपिक	3
सहायक लेखापाल	8
ग्रेड 3 आशुलिपिक	13
प्रदर्शक	52
उप-निरीक्षक	59
निरीक्षक	7
सहायक अधीक्षक	6

(ख) विभिन्न टी-बारों तथा बुफेओं के लिये कोई अमला मंजूर नहीं किया गया हैं। प्रत्येक बार/बुफे में काम की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी लगाये जाते हैं। चाय बोर्ड द्वारा नई दिल्ली में चलाए गए बारों बुफेओं में कर्मचारियों की कुल वर्तमान संख्या 74 है।

चाय बोर्ड में परिचरों से प्रदर्शकों का काम लिया जाना

5085. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टी-बारों/बर्फ में काम करने के लिये प्रदर्शकों की बहुत कमी है और वहाँ पर परिचर (चतुर्थ श्रेणी) इन पदों पर कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें उन पदो पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) योजना भवन में स्थित चाय बार को छोड़कर, जहाँ कोई प्रदर्शक नहीं है, चाय बोर्ड द्वारा दिल्ली में चलाये जा रहे सभी चाय बारों/बुफेओं में प्रदर्शक विद्यमान हैं। परन्तु प्रदर्शकों के छुट्टी पर होने से हुई रिक्तियों पर तथा अधिक काम के मौसम में विभिन्न मंत्रालयों तथा संसद भवन नई दिल्ली में स्थित चाय बारों और बुफेओं में काम करने वाले परिवारों को तदर्थ अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है जिस के लिये उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की 60 वर्ष की आयु के पश्चात् मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं तथा आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन में भेदभाव

5086. **श्री निहाल सिंह** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री भूतपूर्व सैनिकों की 60 वर्ष की आयु के पश्चात् मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं तथा आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन में भेदभाव के बारे में 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2573 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के विरुद्ध भेदभाव करने के क्या कारण हैं जो 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवा निवृत्ति हो गये थे; और

(ख) क्या सम्बद्ध सैनिकों की 60 वर्ष की आयु के पश्चात् मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवारों विशेषकर उनकी विधवाओं पर आई विपत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके साथ अन्य लोगों के समान बर्ताव करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार की साधारण नीति के अनुसार पेन्शनरी रियायतों का उदारीकरण पूर्व तिथि से लागू नहीं होता।

(ख) मामले पर विचार किया गया था, और फैसला किया गया था कि इन मामलों में साधारण नीति से हटा न जाए।

संयुक्त राष्ट्र के व्यापार तथा विकास सम्मेलन हेतु चाय बोर्ड के लिये स्वीकृत धन राशि से अधिक व्यय किया जाना

5087. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार तथा विकास सम्मेलन की प्रदर्शनी के लिये चाय बोर्ड के लिये स्वीकृत 24300 रुपये की धन राशि की बजाय नई दिल्ली स्थित चाय बोर्ड के विशेष अधिकारी ने 72,000 रुपये खर्च किये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार का विचार इस बार में कोई जांच करने का है कि यह धन किन परिस्थितियों में खर्च किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अंकटाड 2 प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये, 1967-68 के लिये चाय बोर्ड के बजट में 24,300 रु० की व्यवस्था की गई थी। वास्तविक खर्च 47,332 रु० हुआ। यह चाय बोर्ड की निर्यात संबर्धन परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को दिया गया यात्रा भत्ता

5088. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वर्षवार कितना यात्रा भत्ता दिया गया; और

(ख) यह इन से पहले दो वर्षों में दिये गये भत्ते की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). 1968-69 तथा 1969-70 वर्षों के दौरान चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भारत में दौरों के लिये दिये गये यात्रा भत्ते का ब्यौरा, 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान उनको दिये गये यात्रा भत्ते की तुलना में, निम्नोक्त प्रकार है:—

वर्ष	यात्रा भत्ते की राशि (रुपये में)
1968-69	20,791,16
1969-70	17,879,57
	38,670,73

1	2
1966-67	18,000,06
1967-68	21,125,57
	39,125,63

चाय बोर्ड के 'टी-बारों' को बन्द करना

5089. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग भवन स्थित टी-बुफे की सजावट पर हजारों रुपये खर्च करने के क्या कारण हैं जबकि चाय बोर्ड धीरे-धीरे अन्य टी-बारों को बन्द कर रहा है या उनको किसी और को सौंपता जा रहा है ; और

(ख) चाय बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट भवन और निर्माण भवन स्थित दो 'टी-बारों' का अधिकार औरों को देने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) टी-बुफे की बिक्री बढ़ाने के लिये बुफे को और स्थान दिया गया है और उसमें 5000 रुपये की लागत का फर्नीचर लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री लगभग दुगनी हो गई है।

(ख) चाय बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट भवन और निर्माण भवन में स्थित दो टी-बारों को अंतरित करने के परिणामस्वरूप नैमित्तिक दैनिक मज़दूरी पाने वाले केवल तीन मज़दूरों को छोड़कर किसी अमले की छटनी नहीं की गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चाय बोर्ड के कर्मचारियों के लिये क्वाटर देने का प्रस्ताव

5090. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चाय बोर्ड को उनके कर्मचारियों के लिये क्वार्टर देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो चाय-बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव "खरीद" के आधार पर था जिसमें पर्याप्त पूंजी लगनी थी। यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में चाय बोर्ड के कर्मचारी एक सहकारी आवास सोसायटी बना लें जिसको अनुमेय ऋण तथा अन्य उचित सुविधाएँ दी जा सकती हैं। परन्तु इस संबंध में अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

'ओल्ड ग्रांट, स्थानों पर निर्मित किराये पर दी गई इमारतों को खाली कराना

5091. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 'ओल्ड ग्रांट' स्थानों पर निर्मित किराये पर दी हुई इमारतों को खाली कराने से सम्बद्ध 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3561 के उत्तर के संबंध में निम्नलिखित आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(1) गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा 12 सितम्बर, 1836 को जारी किये गये सामान्य आदेश संख्या 179 की एक प्रति ; और

(2) भारत की प्रथम संसद के प्रख्यापन के पश्चात 1836 के सामान्य आदेश की संशोधित प्रति ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 1838 की एक प्रति 7 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3059 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी। उस व्यापक आदेश में स्वतन्त्रता के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और इन आदेशों के अन्तर्गत कोई नई ग्रांटें प्रदान नहीं की गई।

सैनिकों के मनोबल को बनाये रखने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के मार्गदर्शी सिद्धांत

5092. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1963 में राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें सैनिकों के मनोबल को बनाये रखने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या उक्त पत्र में यह परामर्श भी दिया गया था कि सैनिकों की सम्पत्ति का अधिग्रहण न किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पत्र के विषय का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव दिया गया था कि सेवाओं के सेविवर्ग के मकान जो उन्हें इस्तेमाल के लिए चाहिए, प्रायः अर्जित किये जायें। जहां ऐसा किया गया है, और व्यक्ति उसे अपने इस्तेमाल के लिए चाहता है, उसे अर्जनयुक्त करके उसके स्वामी को लौटा दिया जाए।

(ग) 14 जनवरी, 1963 के पत्र की एक प्रति उससे संलग्न अनुबन्धों समेत संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 4150/70]

सैनिकों की सम्पत्ति के बारे में निर्णय

5093. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1963 में उनके मंत्रालय ने राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें सैनिकों की सम्पत्ति से सम्बन्धित कुछ सरकारी निर्णयों का उल्लेख किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को मई और अक्टूबर 1963 में दो पत्र लिखे गये थे (न कि मार्च 1963 में), जिनमें उन्हें

प्रार्थना की गई थी कि यथा संभव सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की सम्पत्तिएँ अर्जित न की जाएं, और उनकी भूमि और अन्य सम्पत्तियों के अर्जन से परहेज किया जाए।

(ख) इन दोनों प्रतियों की प्रतिएं संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 4151/70]

सशस्त्र सेना के सेवा निवृत अधिकारी

5094. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के ऐसे सेना निवृत अधिकारियों की संख्या कितनी है जो उनके मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये उनके मकानों को खाली न करवाने के कारण असहाय हो गये हैं ; और

(ख) जुलाई, 1969 तक उनकी श्रेणीवार तथा राज्यवार संख्या कितनी थी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) "असहाय" परिभाषा शायद उन अफसरों से संबंधित है कि जिनके पास वास्य भवन नहीं है, और जो वास्य भवन प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं। यदि यह स्थिति हो तो सरकार को ऐसा ज्ञान नहीं कि इस मंत्रालय द्वारा किराये का मकान छोड़ देने के फलस्वरूप सशस्त्र सेनाओं का कोई सेवानिवृत अफसर असहाय है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

डी० एल० डब्ल्यू० रेल इंजनों का निर्यात

5095. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में डी० एल० डब्ल्यू० इंजनों की वर्तमान मांग की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या कनाडा के रेलवे से रेल इंजिनों के लिये कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) विदेशों में डी० एल० डब्ल्यू, रेल इंजनों की मांग का अनुमान लगाने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। निर्यात दरें डी० एल० डब्ल्यू० वाराणसी द्वारा भेजी जाती हैं, यदि अपेक्षित रेल इंजन उस इकाई के निर्माण दायरे में आती हों।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ के अपेक्षाकृत अच्छे उपयोग के लिये किया गया अनुसन्धान

5096. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक रबड़ के अपेक्षाकृत अच्छे उपयोग के लिये नई रीतियों से अनुसंधान और प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या कोट्टायम में जहाँ रबड़ बोर्ड का कार्यालय है, वहाँ कोई अनुसंधान-प्रयोगशाला भी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

विवरण

भारत की रबड़ अनुसंधान संस्था के रसायन विज्ञान तथा रबड़ प्रौद्योगिकी प्रभाग को, रबड़ के गुण सुधारने तथा विशिष्टियों के अनुरूप गुणों वाले प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये कार्य आरंभ करना है । अतः, रबड़ में समाविष्ट रबड़ इतर तत्वों और प्रौद्योगिकी विशेषताओं के साथ इसके सम्बन्ध की आधारभूत जांच करना प्रभाग के कार्य का एक अंग हो जाता है । रबड़ हाईड्रोकार्बन से सम्बन्धित आधारभूत अध्ययन तथा परिष्करण के लाभप्रद तथा बेहतर साधनों के सम्बन्ध में अध्ययन और प्रौद्योगिकी अनुसंधान ऐसी प्रमुख मदें हैं, जिनकी परिकल्पना की गई है । बढ़िया प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में, रबड़ उगाने वालों की समस्याओं का समाधान करना प्रौद्योगिकी प्रभाग का मुख्य कार्य है । यह प्रभाग क्लेरीनेशन द्वारा प्राकृतिक रबड़ की रासायनिक रचना को बदलने से संबद्ध कार्य आरम्भ कर रहा है ताकि आग तथा तेल के प्रभाव को रोकने में उसकी सफलता का अध्ययन किया जा सके । इसके अतिरिक्त रेमिन तथा चमड़े जैसे फिल्लरों के साथ उसकी क्षमता का आकलन किया जा रहा है ।

(ख) जी हाँ ।

बिजली घरों के निर्माण कार्य के लिये विशेषज्ञ फर्मों की सूची

5097. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार ने उन विशेषज्ञ फर्मों की कोई सूची बनाई है जो देश में बिजली घरों का निर्माण-कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के कार्य बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की धारा 3 में दिये गये हैं । इनका सम्बन्ध देश में विद्युत केन्द्रों की स्थापना से नहीं है । इसलिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा देश में विद्युत केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित विशिष्ट फर्मों की सूची नहीं रखी जा रही है ।

जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी नीति

5098. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में अब कोई नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल आवश्यकताएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) हमारी आयोजना का उद्देश्य है यथा सम्भव शीघ्रता से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना ।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, आशा है कि 1980-81 तक यह सम्भव हो जायेगा कि पांच व्यक्तियों का एक परिवार 1600 रु० प्रति वर्ष का निम्नतम उपभोग कर सकेगा । यदि हम चौथी योजना में परिकल्पित विकास की गति को और आगे बढ़ाने में सफल हुए तो, इस उपभोग को और आगे बढ़ाया जा सकता है ।

रेडियो के निर्माण में लघु क्षेत्र के निर्माताओं और बड़े पैमाने के बीच प्रतिस्पर्धा

5099. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लघु क्षेत्र में रेडियों का निर्माण करने वाली बहुत सी फर्में बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बंद हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो लघु क्षेत्र में रेडियो तथा इसके पुर्जों को बनाने वाले निर्माताओं को इससे बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख). हाल ही में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बड़े पैमाने का क्षेत्र उग्रतापूर्वक छोटे पैमाने पर रेडियो निर्माण करने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है कि जिसे छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए कठिनाईएं पैदा हो रही हैं । सरकार ने संगठित क्षेत्र की फर्मों द्वारा निर्मित 165 रुपये से कम लागत के प्रत्येक सेट पर वाणिज्य कर लगा रखा है, जबकि छोटे पैमाने के क्षेत्र कीं फर्मों द्वारा उत्पादित ऐसे रेडियोओं पर कोई कर देय नहीं है । सरकार ने इस समस्या का निरीक्षण हस्तगत किया है कि आया छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए कोई अधिक सुरक्षण आवश्यक है ।

विश्व न्यायालय शांति दल का तैयार किया जाना

5100. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सचिव द्वारा विश्व न्यायालय के तत्वाधान में एक रक्षित शांति दल तैयार करने सम्बन्धी तर्क की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीरिया में सीमेंट के कारखाने

5101. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय परामर्शदात्री इंजीनियरिंग फर्म को सीरिया में तीन सीमेंट कारखानों के लिये कोई परामर्श देने का कार्य मिला है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्म का नाम क्या है तथा उसे अपनी सेवाओं के लिये कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। हमें यह ज्ञात हुआ है कि एक भारतीय फर्म, मैसर्स डेप्लेपमेंट कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड को सीरिया में सीमेंट संयंत्रों हेतु परामर्श देने का कार्य मिला है। यह भी मालूम हुआ है कि संविदा की शर्तों का सीरिया सरकार द्वारा अभी अंतिम अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की केन्द्रीय वर्कशाप का स्थानान्तरण

5102. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की केन्द्रीय वर्कशाप को, जिसकी स्थापना 1962 में आगरे में की गई थी, फरीदाबाद स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्मिक संघ ने अपने एक ज्ञापन में मांग की है कि उक्त वर्कशाप का मितव्ययता की दृष्टि से स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है; और

(ङ.) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा उठाई गई हानियों का एक कारण आगरा में स्थित इसकी एक कार्यशाला (वर्कशाप) पर भारी व्यय का होना है, जहां पर कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के लिये उचित मात्रा में कार्यभार नहीं है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों ने उस मशीनरी तथा उपस्कर का जो निगम की आवश्यकताओं से फालतू है, तथा जिसकी मरम्मत कराने में कोई आर्थिक लाभ नहीं है निपटान करने का फैसला किया है। इस प्रकार उपस्कर की मात्रा में कमी करके, निगम को अपेक्षतया एक छोटी कार्यशाला (वर्कशाप, की ही आवश्यकता होगी और अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण के उद्देश्य से, प्रबन्धकों ने कार्यशाला (वर्कशाप) को फरीदाबाद में स्थानान्तरित करने का फैसला किया हैं ताकि कार्यशाला (वर्कशाप) में होने वाली हानियों को कम किया जा सके।

(ग) से (ङ). कार्यशाला (वर्कशाप) के प्रस्तावित स्थानान्तरण के विरुद्ध आगरा में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों को अभ्यावेदन दिया था। कार्यशाला (वर्कशाप) के बदलने के कारणों को प्रबन्धकों ने 27-8-1970 को हुई बैठक में कर्मचारियों को बता दिया था।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्मिक संघ की मांगें

5103. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के तवा बांध के राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम कार्मिक संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का विवरण क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री (सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा 4-8-1970 को लिखित अभ्यावेदन की एक प्रति सरकार को मिली थी। कर्मचारियों की मुख्य मांगें ये हैं :—

(1) छटनी किये गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए।

(2) मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित वेतनमानों पर कार्यभारी कर्मचारियों में तबदील कर दिया जाए और उनको अवकाश लाभ दिये जाएं।

(3) कर्मचारियों के संघ (यूनियन) को मान्यता दी जाए।

(4) कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं।

(5) एक जनरल स्टोर का प्रबन्ध किया जाए जिसको सहकारिता के आधार पर चलाया जाए।

(ग) निगम के प्रबन्धकों का ध्यान कर्मचारियों के अभ्यावेदन की ओर दिला दिया गया है क्योंकि ये मामले उनसे ही सम्बन्ध रखते हैं।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को बन्द करना

5104. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके कार्य संचालन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने 1966-67 तक लाभ कमाया था परन्तु आगामी वर्षों में, जैसाकि नीचे दिया गया है, इसने हानियाँ उठाई :—

1967-68	29.21 लाख रुपये (हानि)
1968-69	104.99 लाख रुपये (हानि)

1969-70 वर्ष के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । निगम के प्रचालन में सुधार करने के उद्देश्य से उठाए गए पगों में निम्न लिखित सम्मिलित हैं:-- टेण्डर पद्धति को सरल और कारगर रूप देना, क्षेत्रीय यूनिटों और मुख्य कार्यालय में इस लेखे में बंधे खर्चों को कम करने के लिए स्टाफ पद्धति (पैटर्न) के पुनर्मूल्यांकन और मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के वास्ते विभागीय तथा उत्पादी कार्यक प्रणाली का समुचित विलयन सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन प्रणाली का पुनरीक्षण करना । सामयिक लागत नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोफार्म भी बनाए गए हैं । वर्तमान मशीनरी तथा उपस्कर के स्टाफ का पुनरीक्षण भी किया गया है और लाभदायक मशीनरी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा फालतू घोषित, अप्रचलित और गैर-किफायती मरम्मत वाले उपस्कर का निपटान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । प्रोत्साहनों की एक स्कीम को प्रारम्भ करना भी विचाराधीन है ।

स्टाफ संख्या के पुनरीक्षण के फलस्वरूप, बहुत से पदों को समाप्त कर दिया गया है और बहुत से खाली हुए पदों को भी नहीं भरा गया है । आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत भी काफी किफ़ायत की गई है । इनके परिणामस्वरूप लगभग 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की बचत हुई है :

बाढ़ रोकने के लिये कोसी नदी पर बांध

5105. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या सरकार ने कोसी नदी पर तटबन्दी का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कोसी नदी के दोनों तटों के साथ-साथ लगभग कुल 270 किलोमीटर की लम्बाई में तटबंधों का, कोसी परियोजना के एक भाग के रूप में, पहले से ही निर्माण हो चुका है और इससे नेपाल तथा भारत में कोसी नदी के बाढ़ के पानी से लगभग 3 लाख हैक्टेयर भूमि की रक्षा होती है।

भारत और अमरीका के बीच सूती कपड़े के बारे में करार

5106. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े के करार के बारे में भारत और अमरीका के बीच वार्ता पूरी हो गई है;

(ख) क्या उक्त करार में अमरीका को सूती कपड़े के निर्यात में परिवर्धन करने सम्बन्धी उपबंध हैं; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). हाल ही में एक सरकारी प्रतिनिधि मन्डल सूती वस्त्रों सम्बन्धी नये करार की शर्तों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिये वाशिंगटन गया था। नये करार पर हस्ताक्षर होने से पूर्व की औपचारिकताएं अभी दोनों सरकारों द्वारा पूरी की जानी हैं। भारत को मिल निर्मित वस्त्रों के लिये वर्धित कोटा और हथ-करघा उत्पानों के प्रवेश के लिये बेहतर स्थिति प्राप्त होने की संभावना है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

5107. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 20 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 10435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के पुस्तकालय के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा 1 जून, 1970 को प्रस्तुत की गई विशेष सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल. टी.—4152/70]

बिहार में पटसन की खरीद

5108. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैशशिक व्यापार** मंत्री 5 अगस्त, 1070 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और उसके बाद के वर्षों में बिहार में कितनी मात्रा में वास्तव में पटसन खरीदा गया और उस समय खुले बाजार में इसके मूल्य कितने थे ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम के पूर्वी जोन में काम करने वाले कितने और कौन कौन से अधिकारी गैर-सरकारी पटसन मिलों या व्यापारियों के भूतपूर्व कर्मचारी रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1968-69 के दौरान बिहार में राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई पटसन नहीं खरीदा गया। 1969-70 के दौरान निगम ने बिहार में 13,410 गांठें खरीदीं। 1968-69 के दौरान बिहार में विद्यमान मूल्य 99.13 रुपये तथा 191.84 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। 1969-70 के दौरान मूल्य 72.34 तथा 155.40 रु० प्रति क्विंटल के बीच रहे।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागा विद्रोहियों को चीन के शस्त्रों की सप्लाई

5109. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों को चीन द्वारा प्रशिक्षण देने तथा शस्त्रों की सप्लाई के प्रश्न पर चीन सरकार के साथ सीधे अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी अथवा मध्यस्थ के द्वारा बातचीत की गयी है अथवा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का निश्चित रवैया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). इस मामले में सरकार के विचारों को सभी जानते हैं। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने को हम बहुत गम्भीर समझते हैं। यह दखल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सभी मानदण्डों के विरुद्ध है। सरकार ने चीन लोक गणराज्य को 1968 में और फिर 1969 में विरोध-पत्र भेजे थे जिनमें उनसे कहा था कि वह छिपे नागाओं को सहायता न दे। इन विरोध-पत्रों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पश्चिम कोसी नहर का निर्माण

5110. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब पश्चिम कोसी नहर के निर्माण के बारे में नेपाल सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त नहर पर कब से कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Progress made in the Construction of Rajasthan Atomic Power Project

5111. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress made so far in respect of the Atomic Project at Ravatbhata (Rajasthan) ;

(b) the amount of expenditure incurred so far in connection therewith and the time likely to be taken in completing this project ;

(c) the extent of benefit likely to accrue to the areas concerned after the completion of the said project ;

(d) whether the target date for the completion of the project has been extended ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The erection of the Turbo-generator and the installation of electrical works in the first unit is nearing completion. This Unit is likely to be commissioned in 1971.

The expenditure incurred on this unit upto the end of June 1970 is Rs. 51.60 crores approximately.

The Civil works relating to the second unit are in advanced stage. Major items of equipment for this unit have been ordered and are under manufacture. This unit is expected to be commissioned in 1974.

The expenditure incurred on this unit upto the end of June 1970 is Rs. 17.51 crores approximately.

(c) The Station will supply 400 MWe of electric power.

(d) & (e). The progress of work on the Project has been hampered by a number of factors, one of which is labour unrest.

Delegations to and from India during 1970

5112. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of foreign delegations, likely to visit India and that of Indian delegations likely to go abroad during the current year ;

(b) the names of the countries proposed to be visited by the Indian delegations during the said period together with the proposed dates of their visit as also the names of the Members of each delegation ; and

(c) the expenditure likely to be incurred on these delegations and by whom it would be borne ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Fifteen foreign delegations are likely to visit India during September-December, 1970. In addition some delegations from certain specialised agencies of the UNO, ECM, Regional Banks and interested countries are likely to attend the IInd Session of the F.A.O. Consultative Committee on Tea in November/December, 1970 being held in New Delhi.

Sixteen Indian Delegations are likely to go abroad during this period.

(b) & (c) : A statement is attached. [*Placed in Library See* No. LT—4153/70]

बिहार में पटराटू तापीय बिजली परियोजना

5113. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार ने बिहार में पटराटू तापीय बिजली परियोजना की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो पटराटू तापीय बिजली घर के निर्माण सम्बन्धी अन्तिम योजना में कितनी धनराशि खर्च होगी तथा इसमें कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या पटराटू तापीय बिजली घर का निर्माण कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है ;

(घ) उक्त परियोयना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है, और पटराटू परियोजना का निर्माण किस चरण तक पूरा हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति मिलने से पूर्व पटराटू ताप परियोजना की, जिसमें 400 मैगावाट की कुल क्षमता का प्रतिष्ठापन किया जाना है, जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा कर ली गई थी ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 48.30 करोड़ रुपये थी और अगस्त, 1967 तक उसका पूर्ण होना अनुसूचित था ।

(ग) जी नहीं, इसका मुख्य कारण था उपस्कर की डिलीवरी में देरी और श्रमिक अशान्ति ।

(घ) मार्च, 1970 के अन्त तक 48.89 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे ; अभी तक 50-50 मैगावाट के चार यूनिट चालू हुए हैं। 100-100 मैगावाट के शेष 2 यूनिटों के 1971-72 तक चालू होने की सम्भावना है।

तापीय बिजली घर के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी

5114. **श्री रामवतार शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तापीय बिजली घरों के निर्माण करने के सम्बन्ध में पर्याप्त तकनीकी जानकारी हो गई है और वह उक्त बिजली घरों के निर्माण के लिये भारतीय इंजीनियरों का विदेशी तकनीशियनों की सहायता के बिना प्रदर्शन कर सकता है और उनको सलाह दे सकता है ;

(ख) क्या उक्त प्राधिकरण ने इस समय निर्माणाधीन तापीय बिजली घरों से किसको उक्त तकनीकी जानकारी प्रदान की है ;

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरण ने किन किन तापीय बिजली घरों को सलाह दी तथा उनका मार्ग दर्शन किया और क्या उन बिजली घरों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह या मार्ग दर्शन के अनुसार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या उन बिजली घरों का निर्माण निर्धारित समय में कर लिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). ताप विद्युत केन्द्रों के अभिकल्प, इंजीनियरी और निर्माण की तकनीकी जानकारी प्राप्त करना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य क्षेत्र में पड़ता हैं। आयोग ने ऐसी तकनीकी जानकारी पर्याप्त प्राप्त करली है और जैसा कि निम्न सूची में बताया गया हैं, देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में विस्तृत अभिकल्पों को तैयार करने, इंजीनियरी और/अथवा संयंत्र के प्रतिष्ठापन तथा प्रचालन से संबंधित सहायता दी है अथवा दे रहा है :—

I. उन स्कीमों के नाम जिनका अभिकल्पन, प्रतिष्ठापन और प्रचालन संबंधी कार्य को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने अपने हाथ में लिया

1. गैस टर्बाइन संयंत्र, कोटा, राजस्थान
2. वाष्प संयंत्र, चांदवार, कटक, उड़ीसा
3. वाष्प संयंत्र, बांसवाड़ा, राजस्थान
4. वाष्प संयंत्र, पोंग, पंजाब
5. डीज़ल विद्युत केन्द्र, अगरतला, त्रिपुरा
6. डीज़ल विद्युत केन्द्र, फोनिक्स खाड़ी अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
7. वाष्प तथा डीजल केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
8. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, दिल्ली।

II. **उन स्कीमों के नाम जिनके लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने केवल अभिकल्पन तथा सलाहकारी कार्य ही किया**

9. इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र, दिल्ली
10. फरीदाबाद विद्युत केन्द्र, हरियाणा
11. पतरातू विद्युत केन्द्र, बिहार
12. ओब्रा विद्युत केन्द्र, उत्तर प्रदेश
13. हरदुआगंज विद्युत केन्द्र, उत्तर प्रदेश
14. नेवेली विद्युत केन्द्र, तमिलनाडु
15. रामगुण्डम विद्युत केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश
16. धुवरन विद्युत केन्द्र, गुजरात
17. कालाकोट विद्युत केन्द्र, जम्मू और कश्मीर
18. तलचर विद्युत केन्द्र, उड़ीसा ।

पहली सात स्कीमें अनुसूची के अनुसार पूर्ण हो गई थी । बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के मूल अनुसूचित समय के कुछ महीने बाद चालू होने की संभावना है । जहां तक शेष 7 स्कीमों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और प्रगति की प्रौढ़ावस्था में हैं ।

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता

5115. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापीय बिजली घर के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक को कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) प्रत्येक तापीय बिजली घर से, उसके पूरा होने के बाद, कुल कितनी बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रत्येक तापीय बिजली घर में कितने तापीय बिजली एककों की अब तक स्थापना की गई है और उनकी निर्धारित क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के निर्माण पर व्यय राज्य योजनाओं में से, जिसमें राज्य के साधन तथा केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है, पूरा होता है । राज्य योजना में से परिव्यय विद्युत के पारेषण तथा उत्पादन के वास्ते विशिष्ट स्कीमों के लिए प्रथग-रक्षित कर दिये जाते हैं । 1970-71 वर्ष के लिए, बिहार से ताप विद्युत केन्द्रों के निर्माण के वास्ते विशेषकर कोई परिव्यय

विशिष्टत: पृथग्-रक्षित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए, निम्न-लिखित ताप-विद्युत केन्द्रों के वास्ते विशिष्ट परिव्यय पृथग्-रक्षित किए गए हैं :—

मध्य प्रदेश :

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र	66 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश :

हरदुआगंज चरण-4	400 लाख रुपये
ओब्रा तापीय विस्तार	1600 लाख रुपये

(ख) और (ग). उपर्युक्त ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

केन्द्र का नाम	पूर्ण होने पर कुल क्षमता	उत्पादन यूनिट की संख्या तथा आकार	पहले से ही चालू उत्पादन यूनिटें
उत्तर प्रदेश			
हरदुआगंज			
चरण-1 तथा 2	90 मैगावाट	3X30 मैगावाट	3X30 मैगावाट
चरण-3	100 मैगावाट	2X50 मैगावाट	2X50 मैगावाट
चरण-4	110 मैगावाट	2X55 मैगाबाट	—
ओब्रा			
चरण-1	250 मैगावाट	5X50 मैगावाट	4X50 मैगावाट
चरण-2	300 मैगावाट	3X100 मैगावाट	—
मध्य प्रदेश			
सतपुड़ा	312.5 मैगावाट	5X62.5 मैगावाट	5X62.5 मैगावाट

नोट : समपुड़ा ताप केन्द्र की क्षमता में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का भाग 3 : 2 के अनुपात में है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तापीय बिजलीघर एककों की स्थापना पर लगने वाले समय का निर्धारण

5116. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि 50 मैगावाट और 100 मैगावाट के प्रत्येक तापीय बिजली घर की स्थापना पर साधारण स्थितियों के न्यूनतम कितना समय लगना चाहिये ; और

(ख) नवेली स्थित उक्त तापीय बिजली घर की स्थापना पर कितने न्यूनतम जन-दिवस लगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली उत्पादन यूनिटो के निर्माण के लिये अपेक्षित समय के मानकीकरण का प्रश्न केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।

बिजली-उत्पादन यूनिटों के निर्माण में लगने वाल समय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे—संगठनात्मक ढांचा, निर्माण का तरीका, कुशल तथा अकुशल कर्मकों की उपलब्धता, संयंत्र तथा उपस्कर की डिलीवरी, इत्यादि। चूंकि ये बातें हर परियोजना के साथ अलग-अलग ढंग से होती हैं, ताप-विद्युत उत्पादन यूनिटों के निर्माण के लिये अपेक्षित न्यूनतम समय का मानकीकरण नहीं किया गया है।

(ख) नेवेली केन्द्र पर (सिविल कार्यों को छोड़कर) यांत्रिक एवं विद्युत पस्कर की स्थापना पर जो श्रम-दिन लगे उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

50 मैगावाट यूनिट – 1,63,000 श्रम-घन्टे

100 मैगावाट यूनिट—2,23,000 श्रम-घण्टे

Class III Civil Employees of Medical Director, U. P. Area at Bareilly.

5117. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of class III civil employees of the Headquarters Office of the Medical Director, U. P. Area at Bareilly, whose services were terminated in 1964 ;

(b) the reasons, for such termination of services ; and

(c) whether the enquiry into the entire matter is proposed to be held ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) to (c) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Landing of Civilian Planes at Gorakhpur Airport

5118. **Mahant Avedya Nath :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether previously civilian planes were allowed to land at the Gorakhpur Airport ;

(b) if so, whether a ban has now been imposed on the landing of civilian planes there and, if so, since when ;

(c) whether Government propose to lift this ban again ; and

(d) if so, from what date ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes. Sir, with prior clearance from the Indian Air Force.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ और उसके परिणामस्वरूप हुई जन-धन की हानि

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ और उसके परिणामस्वरूप हुई जन-धन की हानियों के समाचार।"

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

वर्षा

अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में गुजरात, में और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई। यह अत्यधिक वर्षा साप्ताहिक सामान्य वर्षा से छः गुना थी।

बाढ़ स्थिति :

आंध्र प्रदेश

कुर्नूल जिले की पेन्नार की सहायक नदी केन्देरू में अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान बाढ़ें आई थी जिससे नन्दयाल और कोयल-कुन्तल तालुकों के 30 ग्राम और नन्दयाल नगर प्रभावित हुए। सड़क यातायात भी अवरुद्ध हो गया।

गोदावरी और इसकी सहायक नदियों में अगस्त के तीसरे सप्ताह में बाढ़ें आई जिससे निजामाबाद, करीम नगर, खमाम, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी तथा ककीनाडा जिलों के क्षेत्र प्रभावित हो गये। राजपथ नं० 7 और निजामावाद जिले की बहुत सी जिला सड़कों पर यातायात रुक गया। पूर्वी गोदावरी जिले में राजमहेन्द्री नगर और खमाम जिले के भद्रचलम नगर के निम्नवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो गये। अब तक किए गये हानि के मूल्यांकन से पता चलता है कि 1.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और 22,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए। 22 जन हानियाँ हुई। कुल लगभग 4.4 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

जिला अधिकारियों ने बाढ़ से घिरे लोगों को निकालने के लिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में शरण और सहायता देने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए। हानि का विस्तृत मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

गुजरात

अगस्त के अंतिम सप्ताह में नर्मदा में वाढ़ आई थी और वह गारुडेश्वर पर चेतावनी स्तर पार कर गई। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 1800 मकान तथा झौंपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। हानि का मूल्यांकन किया जा रहा है।

महाराष्ट्र

गोदावरी नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ, नामशः पुर्णा, प्रण्हिता, वेनगंगा और वार्धा में अगस्त के तीसरे सप्ताह में बाढ़ें आई जिससे अकोला, चन्द्रपुर, यिओतमल तथा नांदेद जिलों के क्षेत्र प्रभावित हो गये। नांदेद जिले के बिल्लोली और हदगांव तालुकों के निम्नवर्ती क्षेत्र

प्रभावित हो गये । नदी के किनारे के गांवों में कपास और जवार की फसलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई । प्राप्त सूचना के अनुसार अकोला जिले में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, फसलों को लगभग 16 लाख रुपये की क्षति पहुंची है ।

गाढ़ ग्रस्त लोगों को निकालने तथा सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए गये । बाढ़ों से हुई क्षति का विस्तृत मूल्यांकन राज्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ।

Shri Deorao Patil : Sir, in the statement made by the hon. Minister complete information is not given. In the statement given on the 6th August, 1970 it was said "due to heavy rains and floods in Maharashtra, loss of 41 human lives add 2,275 Cattle has been reported by the Maharashtra Government. 1,780 houses are stated to have been destroyed or damaged. The total loss has been estimated as about Rs. 17.5 lakhs."

It was also stated in the statement that Rs. 2,000 as gratuitous relief and Rs. 1,600 as subsidy had been given to the State Government. It is, thus, quite clear that the amount of relief and subsidy is very meagre.

So far as the statement made by the hon. Minister to-day is concerned I am sorry to say that he he has not furnished the factual information regarding the loss caused to the States of Gujrat, Maharashtra and Andhra Pradesh. According to press reports over one lakh acres of land under crop has been damaged and hundreds of hutments had collapsed in Vidarbha due to heavy rain during the last fortnight. At least 50,000 people have been attacked in eight districts.

Maharashtra Government has estimated the loss to the standing crop at about Rs. 16 lakhs. Apart from this all the concerned States have submitted the figures of losses but the Central Government do not want to divulge that information because in that case Government would have to give relief to the State Governments. There have been losses of cattle and human lives. There has been damage to crops in several districts, in several States. What steps are being contemplated by the Government to prevent such losses ? This is my first Question.

Secondly, I want to know as to what steps are being taken to provide alternative accommodation to the people residing by the riverside so that they can be transferred there at the time of danger.

The policy of the Government regarding the flood control is quite defective. They embank upon the major projects and ignore the importance of the minor and medium projects with the result that they are left unimplemented. I, therefore, suggest that the minor and medium projects should be completed as soon as possible. If it is done. I am sure, the loss caused by the floods and heavy rains would certainly diminish. Sir, due to these devastating floods the poor farmers have to bear heavy losses every year. This year the floods have broken all the previous records of losses. The crop of ground-nuts is destroyed completely. I, therefore, request that the Government should formulate a permanent scheme for the flood attected people. There should be a Corporation which should be empowered to finance these farmers. I also suggest that the Government should take steps to undertake the crop-insurance scheme as soon as possible.

डा० कु० ल० राव : पहले दिये गये वक्तव्य में 26 अगस्त तक प्राप्त जानकारी का उल्लेख किया गया था तथा इस वक्तव्य में 26 अगस्त के पश्चात प्राप्त जानकारी का ब्यौरा दिया गया है । मुझे अभी अन्य जानकारी भी प्राप्त हुई है जिसमें क्षति का अनुमान 92 लाख रुपयों का लगाया गया है तथा इसमें 16 लाख की अपेक्षा फसलों को 74 लाख रुपयों की क्षति हुई है ।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि समय समय पर फसलों और ग्रामीण जनता को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिये छोटी परियोजनाओं को पूरा करने का भी सुझाव दिया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बांध आदि बनाने से बाढ़ की विभीषिका और क्षति की मात्रा में कमी होगी। किन्तु इन के निर्माण में कुछ समय तो अवश्य लगेगा। जहाँ तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है मारवाड़ा और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र की भूमि को नदियों से अधिक क्षति होती है। मेरा विश्वास है कि यदि इस क्षेत्र में तट आदि निर्माण किया जाये तो अधिक क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा हो सकती है। मैं राज्य सरकार से इस बारे में बात चीत करूँगा जिससे बाढ़ नियंत्रण के कार्य को आरम्भ किया जा सके।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय ! तेलंगाना क्षेत्र के निज़ामाबाद जिले में बहुत क्षति हुई है। बहुत से मनुष्य मर गये हैं तथा अनेक गांव पानी में डूब गये हैं। किन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि राज्य तथा केन्द्र सरकार ने विभीषिका की अविलम्बनीयता की उपेक्षा की है। सरकार तथा माननीय मंत्री प्रायः यह कह देते हैं कि हमें राज्य सरकार से सहायता के लिये अथवा नुकसान का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। क्या यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही करे ? क्या सरकार स्वयं को संयुक्त राष्ट्र संघ की भांति मानती है जहाँ शिकायत मिलने के पश्चात ही कोई मामला उठाया जाता है ? केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सैल बनाये जिसके अधिकारी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की तुरन्त जांच करे। अतः मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय सैल (कक्ष) की स्थापना करे जो बाढ़ के समय ही उन स्थानों का दौरा करें। चाहे राज्य सरकार से इस बात के लिये निवेदन किये जाये अथवा नहीं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि निज़ामाबाद जिले में बाढ़ की पूर्व सूचना न मिलने के कारण भारी क्षति हुई है। यदि हमें इस विषय में पूर्व सूचना प्राप्त हो जाती तो बहुत ही वस्तुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता था। उदाहरण के लिये मरचवाड़ा के नन्देद जिले में जल विज्ञान प्रयोगशाला तथा वायरलैस सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की गई होती तो क्षति की मात्रा बहुत कम हो जाती। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार तेलंगाना और निज़ामाबाद के साथ भेद भावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। भद्राचलम आदि क्षेत्रों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं किन्तु हमारे यहाँ इनकी स्थापना नहीं की गई। यद्यपि हमारे क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है।

महोदय ! बाढ़ के कारण मजदूर और गर्मी तालूकों में बहुत से व्यक्ति मारे गये तथा दो लाख एकड़ भूमि की खड़ी फसल को नुकसान हुआ। कुपड़ों में दरार आने से इन क्षेत्रों में केवल इस वर्ष ही क्षति नहीं हुई वरन आगामी दो वर्षों में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सिंचाई की सुविधाओं से रहित यहाँ के व्यक्तियों का क्या होगा ?

महोदय ! गत वर्ष माननीय मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिये आपत्ति निवारक समिति की स्थापना की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा था यह समिति पहले आंध्र प्रदेश के लिये स्थापित की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आंध्र प्रदेश में यह समिति स्थापित कर दी गई है। यदि वहाँ यह समिति स्थापित हो गई है तो अब तक तेलंगाना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है जहाँ बाढ़ की विभीषिका इस वर्ष अभूतपूर्व रही है।

महोदय ! 1969 के मई और नवम्बर मास में आंध्र प्रदेश में आये चक्रवात के सम्बन्ध में सभी प्रकार के राहत कार्य किये गये थे मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री-गण घटना स्थलों पर गये थे। यह एक अच्छी बात थी। किन्तु तेलंगाना में आये संकट के समय ऐसा उत्साह देखने में नहीं आया। कोई मंत्री महोदय गत 10-15 दिनों में वहां नहीं गया। अतः यह भेदभाव पूर्ण रवैया का दूसरा उदाहरण है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने भी इसी प्रकार की उपेक्षा दिखाई। अतः मेरा निवेदन है कि संकट की ऐसी घड़ियों में केन्द्र सरकार को वहाँ के संकट-ग्रस्त लोगों की सहायता करनी चाहिये तथा विशेषकर समाज में कमजोर लोगों की जैसे हरिजन और छोटे किसानों की अधिक चिंता करनी चाहिये।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्थाई रूप से राष्ट्रीय बाढ़ सहायता कोश बनाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर संकट निवारक समिति की स्थापना की ओर ध्यान दिलाता हूँ। क्या सरकार इस प्रकार की समितियों की शीघ्र ही स्थापना करेगी तथा जल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी ?

निजामाबाद जिले में प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। प्रभावित हुए छोटे कृषकों को उर्वरक, पम्प-सेट तकावी दिए जाने की भी बात है। इस सम्बन्ध में अब तक उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों को मंत्री महोदय बताएं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेश हैं कि जब भी उन्हें प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप अधिक नुकसान की संभावना हो तो वे तत्काल केन्द्रीय सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दें। आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी तक हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उसके प्राप्त होते ही नुकसान का निर्धारण करने के लिए हम एक दल भेजेंगे।

गोदावरी की बाढ़ों के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष वहां अधिक बाढ़ नहीं आई है। निजामाबाद जिले को अधिक बाढ़ के कारण नहीं अपितु बहुत अधिक वर्षा के कारण से नुकसान पहुँचा है।

जहां तक बाढ़ की चेतावनी की बात है गोदावरी में इस प्रकार का प्रबन्ध है। मुख्य नदियों में बाढ़ की चेतावनी देने का प्रबन्ध है। सभी नदियों की सहायक नदियों में इस प्रकार का प्रबन्ध करने में बहुत समय लगेगा। निजामाबाद के नुकसान को देखते हुए हम राज्य सरकार से वहां इस प्रकार का प्रबन्ध करने को कहेंगे। बाढ़ या भरी वर्षा का पहला प्रभाव तालाबों पर

होता है। यदि समय रहते इनकी मरम्मत न करली जाए तो फसलों को पानी देने के लिये उनमें पानी नहीं रहता। उनकी तत्काल मरम्मतों के लिए मैं राज्य सरकार को लिखूंगा।

तूफानों से बहुत अधिक नुकसान होता है अतः विपदा विमोचन समिति उनका सामना करने के लिए है न कि इस प्रकार की बाढ़ों के लिए।

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : There is no mention in this report of the damage caused to distt. Adilabad due to floods in Godavari and its tributories. Perhaps it has been neglected due to its backwardness. There has been extensive damage in the Adilabad District. But the most distressing thing is that the officers have not so far sent any report.

Some permanent arangement should be made to coutrol the freguent floods. It could have been possible with the early completion of difierent projects in hand. Central Committee should be sent there to assess the damage. Various relief measures being undertaken may also be elucidated.

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य की बात सत्य है। राज्य सरकार जरूर कोई कार्यवाही कर रही होगी। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : आन्ध्र प्रदेश के कई भागों में विशेष रूप से गोदावरी जिले में बाढ़ के कारण किसान प्रभावित होते हैं। इन बातों पर विचार करने के लिए सरकार समितियां और आयोग भी बना देती है परन्तु उनकी सिफारिशों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जाती। आन्ध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र सारे भारत के लिए अनाज प्रदान करता है। सारे दक्षिण भारत की जनसंख्या परिवार नियोजन पर बल के कारण कम हो रही हैं। परन्तु राज्यों को सहायता देने में केन्द्र जनसंख्या को आधार बनाता है। राष्ट्रीय विपदाओं के समय इस आधार पर धन नहीं दिया जाना चाहिये।

हमारे सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री प्रख्यात इंजीनियर हैं। यह दुःख की बात है अन्य देश जहां उनकी मन्त्रणा ले रहे हैं वहां केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें उनकी आयोजनाओं और सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहीं। मेरे सहयोगी श्री नारायण रेड्डी ने सारी आन्ध्र प्रदेश सरकार पर दोष लगाया है और कहा है कि तेलंगाना क्षेत्र में योजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रति यह गंभीर नहीं। आन्ध्र प्रदेश के सिंचाई मन्त्री तेलंगाना क्षेत्र से हैं। अतः इस प्रकार कहना उचित नहीं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आयोगों, समितियों और अस्थायी उपायों पर लाखों रुपयों का खर्चा करती है परन्तु सिंचाई समस्याओं पर विचार करने और देश में विभिन्न प्रायोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकार एक राष्ट्रीय सिंचाई आयोग को नियुक्त क्यों नहीं करती ? आवश्यक राशियां हमेशा उपलब्ध हो सकती हैं। माननीय मन्त्री को मैं यह बताना चाहता हूँ कि आंन्ध्र प्रदेश के किसान इस विषय में राज्य सरकार की सहायता करने को तत्पर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य बातें करना चाहते हैं वे लॉबी में चले जावें। माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं वह सुनाई नहीं दे रहा। **(व्यवधान)**। आपस की बातचीत यहां सदन में नहीं बाहर लाबी में चल सकती है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था परन्तु इस पर नियमित बहस चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियमित बहस बना दिया है। शुरू तो यह सब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से हुआ परन्तु कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे और उनसे यह नियमित बहस बन गई।

श्री को० सूर्यनारायण : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह गंभीर विषय है। ग्रामीण लोगों की विपदा की बातों को कहने के लिए कुछ समय दिये जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरे प्रस्तावों पर विचार करे। जिस प्रकार विद्युत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लोगों से ऋण लिया सरकार उसी प्रकार कृषकों से ऋण ले। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किसान भारत सरकार या राज्य सरकार को ऋण देने को तैयार हैं।

डा० कु० ल० राव : राज्य सरकार को मैं माननीय सदस्य के सुझाव भेज दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना 1970-71

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से वार्षिक योजना, 1970-71 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 4133/70]

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० च० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०413—4/70]

अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 के उत्तर में शुद्धि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वित्त मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9238 के 11 मई, 1970 को दिये गए उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4141/70]

श्री एस० कुन्दू (बालासौर) : श्रीमन्, कल इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से मिलने आये 30 छात्रों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा बड़ी ही निर्दयतापूर्वक पीटा गया। सरकार इस संबंध में वक्तव्य दे।

डा० राम सुभग सिंह (वक्सर) : युवा विद्यार्थियों का पीटा जाना कोई साधारण बात नहीं। कुछ मामलों में राज्य सरकार गृह मंत्री के निदेश पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रिहा कर सकती है किन्तु यहां विद्यार्थियों को जान-बूझ कर फंसाया गया है और जेल भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार के असंगत प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री पी० एस० मेहता (भावनगर) : सौराष्ट्र के सर्वोदय नेता श्री आत्मा राम भट्ट पिछले 13 दिन से नशाबन्दी के लिए उपवास कर रहे हैं...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये अन्यथा मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा के कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)**

काफी बोर्ड के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे, वस्त्र समिति के वर्ष 1968-69 के लेखे आदि

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) (क) काफी बोर्ड के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—4135/70]।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4135/70]

(2) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, वस्त्र समिति के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—4136/70]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) मिनरल्स एण्ड़ मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—4137/70]।

(4) दिनांक 24 जुलाई, 1970 के सरकारी संकल्प संख्या 2(10) प्लांट (ए)/70 (बी सी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें चाय उद्योग सम्बन्धी पी० सी० बोरुआ समिति की

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा के कार्य वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded as ordered by the Chair.

सिफारिशों पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०—4138/70]

(5) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत इस्पात **ट्यूबों** और **ट्यूबलरों** का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2743 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०—4139/70]

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत केरल के राज्यपाल द्वारा 25 अप्रैल, 1970 को प्रख्यापित केरल कृषि कर्मकार विहित मजदूरी संदाय और कृषि विवादों का समझौता अध्यादेश 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०—4140/70]

प्राक्कलन समिति सम्बन्धी पत्र

PAPER RELATING TO ESTIMATES COMMITTEE

श्री तिरूमल राव (काकिनाड) : मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उन उत्तरों के सात विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ जिन्हें सम्बन्धित कार्यवाही प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजा गया था।

प्राक्कलन समिति-कार्यवाही सारांश

ESTIMATE COMMITTEE MINUTES

श्री तिरूमल राव : मैं, परमाणु उर्जा विभाग परमाणु-शक्ति के बारे में 129 वें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को सभा-पटल पर रखता हूँ।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(1) कि राज्य सभा 1 सितम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) विधेयक 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक और सदस्य को नियुक्त करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के सदस्य श्री वी० बी० राजू को उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किया है।

(2) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 अगस्त 1970 को पास किए गए विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

(श्री एस० के० सम्बन्धन)

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

(Shri S. K. Sambandhan)

अध्यक्ष महोदय। मुझे पुलिस आयुक्त मद्रास से प्राप्त दिनांक 1 सितम्बर 1970 के एक तार की सभा को सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री एस० के० सम्बन्धन को ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने तथा आपराधिक अतिचार करने के प्रयत्न के कारण 1 सितम्बर 1970 को 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया और तुरन्त जमानत पर रिहा किया गया।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब भी कोई संसद सदस्य गिरफ्तार किया जाता है हमें कहेंगे कि यह शर्म की बात है।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले दो सप्ताहों से कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रश्न पर...**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विश्वनाथ मेनन : हमने आपको अल्प सूचना प्रश्न भेजा था किन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया कम से कम मंत्री महोदय से आपको यह कहना चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कहें...**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यही होगा आप मुझे यह लिख कर भेजें। अब श्री ल०ना० मिश्र वक्तव्य दें अच्छा यही होगा कि वह इसे सभा-पटल पर रख दें।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पटसन के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २१४ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARY QUESTION IN CONNECTION WITH S. Q. NO. 214 RE-EXPORT OF JUTE TO EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : मैं, तारांकित प्रश्न संख्या 214 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि सम्बन्धी वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4141/70]**

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक—प्रवर समिति में नियुक्ति

CUSTOMS TARIFF BILL—APPOINTMENT ON SELECT COMMITTEE

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री बलीराम भगत द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री इन्द्र जे० मल्हौत्रा को नियुक्त करती है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा इस बारे में संशोधन है कि "मल्होत्रा" के स्थान पर "गुप्ता" होना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री बलिराम भगत द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (TWENTY FOURTH AMENDMENT) BILL—*(CONTD)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत छः घण्टों में से अब लगभग 2 घण्टे शेष रह गये हैं। चार बजे प्रधान मंत्री अपना भाषण देंगी और तत्पश्चात् मतदान होगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मुझे कल बोलना चाहिये था परन्तु मैं अपने विचार आज व्यक्त कर देना चाहता हूँ। 1966 से इस समस्या का निपटारा करते रहने की हैसियत से मैंने वाद विवाद में हस्तक्षेप करना और 1967 से आरम्भ हुई इस समस्या की ऐतिहासिक पृष्ट भूमि बताना आवश्यक समझा है। हालांकि भूमपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करने सम्बन्धी प्रश्न पर विभिन्न संघठनों में वाद-विवाद हुआ था और अनेक दल भी इस प्रश्न को उठाते रहे हैं, परन्तु इस बारे में दिल्ली प्रदेश कांगेस दल के अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सम्मेलन में निर्णय किया गया था और इस बारे में एक संकल्प पास हुआ था, जिसके पश्चात् नरेशों से वार्ता आरंभ करना ही श्रयस्कर समझा गया था। इस संकल्प को 1967 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जबलपुर सम्मेलन में समिति के 10 सूत्री कार्यक्रम के एक अंग के रूप में पुष्टी की गई थी। परन्तु वहां किसी सदस्य ने इस संकल्प पर पुनः विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चुनौती नहीं दी थी। इसी आधार पर नवम्बर 1967 से मई 1970 तक मैंने नरेशों के साथ पांच बार बैठकों का आयोजन किया था और नरेशों से बातचीत की थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण आरम्भ करें।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बज कर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों का उत्तर नरेशों के साथ हुई बातचीत में से मिल जाता है । मैं तो उन भाषणों का सारांश ही देना चाहता हूं । नवम्बर 1967 में मेरे साथ हुई प्रथम वार्ता में मैंने नरेशों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की नीति उनकी निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने की है । उनको यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस प्रश्न पर सरकार एक प्रकार से वचनबद्ध है परन्तु इसके साथ ही सरकार उन्हें कुछ समय तक अन्तरिम भत्ते के रूप में कुछ न कुछ देगी, जिसके लिए सरकार की इच्छा नरेशों के साथ बात-चीत करने की है । इस समस्या के समाधान की यह तिहरी पेशकश है । चाहे नरेश अपनी निजी थैलियों को सरकार द्वारा समाप्त करने के निर्णय से सहमत हों अथवा नहीं उन्हें अन्तरिम भत्ता मिलेगा । हमारे इस दृष्टिकोण में अभी तक कोई अन्तर नहीं आया है (**व्यवधान**) नरेशों को यह अंतरिम भत्ता उनके आश्रितों और वृद्धों की स्थिति को देखते हुए मानवता के आधार पर दिया जायेगा जो उनके केवल व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं होगा ।

श्री मोरारजी देसाई के साथ भी भूतपूर्व नरेशों की वार्ता हुई थी । कुछ भूतपूर्व नरेशों तथा प्रधान मंत्री के बीच अनेक वार्ताएं हुई थी । परन्तु उनका दृष्टिकोण यह रहा है कि उन्होंने वार्ता करने के लिए कभी पहल नहीं की ।

प्रथम बैठक में उन्होंने बड़ी विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिए परन्तु बाद में वे नरेश इस बात पर कटिबद्ध हो गये कि सरकार को अपनी इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है कि यह निर्णय करने से पूर्व उनकी सलाह कभी नहीं ली गई और इसीलिए सरकार को अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए । यह सही है कि आरंभ में उन्होंने यह प्रश्न उठाया था ।

इसके बाद हम दिसम्बर 1967 में फिर एकत्र हुए और उस समय नरेशों के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें वही कानूनी और संवैधानिक स्थितियों तथा समझौतों के ऐतिहासिक अर्थ और राज्यशाही की ऐतिहासिक भूमिका आदि को दोहराया गया । निजी थैलियों के बारे में उनकी पेशकश तथा उनका रवैया बहुत आश्चर्यजनक है ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये वक्तव्य से सहमत नहीं हूं । मैं इस बारे में ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं कि इस

बारे में लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केवल नरेश और सरकार के प्रतिनिधि ही बातचीत कर सकते हैं।

श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा (सुरेन्द्र नगर) : मैंने कोई लोकतन्त्र विरोधी वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने केवल इतना ही कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय हमने भारत में रहना ही ठीक समझा। कश्मीर अधिमिलन तंत्र के द्वारा ही भारत में मिला है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : 1947 के पूर्व भी हम भारतीय थे न कि भारतीय राज्यों के व्यक्ति।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमें उस व्यक्ति पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है जो यहां उपस्थित न हो; और वह तो अब जिन्दा भी नहीं हैं। परन्तु यहां श्री वी० पी० मेनन की नौकरशाह के रूप में निन्दा की गई है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्री वी० पी० मेनन ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किये थे। परन्तु अब वित्त मंत्री जी ने उन्हें जो नौकरशाह कहा है यह अत्यन्त गैरज़िम्मेदार, लज्जाजनक और निरर्थक बात है। अतः वित्तमंत्री को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। उन्होंने श्री वी० पी० मेनन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख व्यक्तिगत रूप में दिए गये वक्तव्य का उल्लेख किया है।

डा० कर्णी सिंह : उन्होंने मेरे पिताजी से नहीं कहा था अपितु हजारों व्यक्तियों के सामने अपना वक्तव्य दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने भाषण के दौरान यह बातें कह सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने नरेशों को बताया है कि निजी थैलियां उनकी सम्पत्ति नहीं हैं अपितु वह तो कुछ राजनीतिक कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए एक प्रकार का भत्ता मात्र है। परन्तु नरेशों ने इस भत्ते को कभी ना समाप्त होने वाली सोने की खान का स्वामित्व मान लिया है।

श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा : यह सरासर गलतबयानी है। ये, यह गलत बयान करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने ही लोगों का शोषण कर रहा हूँ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनको शिकायत है कि बातचीत हुई ही नहीं थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह स्वयं बातचीत करना नहीं चाहते थे। हमारे दल के बम्बई अधिवेशन से पूर्व हमने नरेशों को बातचीत के लिए बुलाया परंतु उन्होंने दुबारा बातचीत करने के लिए कहा। उनसे बातचीत करने हेतु हम लगातार प्रयत्न करते रहें। अतः इससे यही पता लगता है कि वे कभी भी गंभीरता से बातचीत करना नहीं चाहते हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि हम उनसे कभी बातचीत करना नहीं चाहते थे। यहां तक कि इस विधेयक के पारित होने

के पश्चात भी सरकार अन्तरिम भत्तों के बारे में किसी प्रकार की बातचीत करना पसन्द करेगी ।

दूसरी बात जो श्री मोरारजी देसाई ने कही है कि यह विधेयक केवल धोका मात्र है क्योंकि अनुच्छेद 363 को समाप्त नहीं किया गया है । हमने इस बारे में श्री मोरारजी देसाई, जब वे मंत्रिमंडल में थे, से कई बार चर्चा की थी, परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं दिया था । उन्होंने इस अनुच्छेद के बारे में संवैधानिक कठिनाइयों का उल्लेख किया था । अतः अनुच्छेद 363 को ना हटाने में कोई बुराई अथवा अनौचित्य नहीं है । इसलिए इस अनुच्छेद का क्षेत्र कुछ समझौतों तक ही सीमित नहीं है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है । कुछ 'सनदें' भी हैं । इसका अभिप्राय केवल निजी थैलियों से ही नहीं है । अतः इस अनुच्छेद को निजी थैलियां समाप्त करने के लिए हटाया नहीं जा सकता । इसका बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र है ।

दूसरे, निजी थैलियों से सम्बन्धित समझौते, ठेके सम्बन्धी समझौते नहीं हैं । ये तो राजनीतिक समझौते हैं और ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते । यदि संविधान की समस्त योजना की ओर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन समझौतों, जो राजनीतिक समझौते हैं, के अधीन अधिकार स्वतः ही अस्थाई अधिकार हैं और इस लिए संविधान निर्माताओं का यह आशय था कि ये अस्थाई समझौते वाद योग्य न माने जाएं । यही मूल बात है । इसका यह भी आशय है कि संविधान निर्माताओं को यह भी आशा थी कि सम्भवतः किसी समय यह सभा अधिकारों में परिवर्तन करे । मैं नही समझता कि अब भी कोई व्यक्ति इस विधेयक को छल पूर्ण बता सकता है । इस बारे में मैं सदन में किसी की आलोचना नहीं करना चाहता परन्तु जो वक्तव्य श्री मोरारजी देसाई ने इस बारे में दिया है, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी । ये भी भूत पूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करना चाहते हैं । उन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में इसका वचन भी दिया था । । परन्तु अब क्या हो गया जो इस बारे में वे परिवर्तन करते हैं । यह केवल उनकी चाल है परन्तु इसमें किसी प्रकार का सामरिक महत्व नहीं है, अपितु केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं ।

डा० राम सुभाग सिंह : यह सही है कि हमने अहमदाबाद के अधिवेशन में इसका वचन दिया था । परन्तु क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने और उनके दल के नेताओं ने इस बारे में कितनी गलतियां की हैं और क्या क्या चालें खेली हैं ?

श्री यशवन्तराय चव्हाण : किन्तु आप सही चाल के लिये गलत चाल प्रयोग में नहीं ला सकते । यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि आज देश में एक नई और विकासशील बात होने जा रही है ।

सरदार पटेल के वक्तव्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे इस सदन के ही नहीं अपितु हम सब के महान नेता थे । उनका व्यक्तित्व बहुत महान था । उन्होंने जो कुछ भी किया वह इतिहास और समय का तकाजा था । और आज जो हम करने जा रहे हैं वह भी समय का ही तकाजा है । मुझे पूरा भरोसा है कि यदि

आज सरदार पटेल जीवित होते और इस सदन में होते तो वह इस विधेयक का अवश्य समर्थन करते।

सम्भवत: कल श्री वाजपेयी जी ने एक प्रश्न किया था कि नरेशों पर केवल 4 या 5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। परन्तु यह बात सही नहीं है, क्योंकि यह केवल आर्थिक प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त हम यहां नागरिकों के अधिकारों की भी बात कर रहे हैं। बताया गया है कि इसके बारे में यह एक समाजवादी मामला है; परन्तु नीजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने में कोई समाजवादी बात नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि क्या यह मामला लोकतंत्रीय विचारों से मेल खाता है कि कुछेक गिने-चुने लोग अनुपार्जित आय तथा पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त करें।

यहां कुछ लोग प्रजातंत्र के नाम में बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। क्या वे इस प्रकार का प्रजातंत्र चाहते हैं जहाँ एक आदमी केवल अनुपार्जित आय ही नहीं अपितु कर मुक्त आय भी प्राप्त करे ? जो व्यक्ति नरेशों की हिमायत में बोल रहे हैं उन्हें गरीबों कीं बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

कुछ लोग प्रगतिशील होने का दावा करते हैं। परन्तु इसका अंतिम निर्णय तो जनता ही करेगी।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मंत्री महोदय ने बताया है कि भूतपूर्व नरेशों के साथ किए गए करार राजनीतिक समझौते हैं। मैं इससे सहमत हूँ। परन्तु वास्तविक प्रश्न यह है कि राजनीतिक समझौते क्यों किए गए।

बताया गया है कि यदि ये राजनीतिक समझौते नहीं किए जाते तो देश एकता के सूत्र में नहीं बन्ध पाता। इसका मुख्य कारण यह भी है कि सरदार पटेल इनको विनाश की खाई से बचाना चाहते थे। स्थिति की यही वास्तविकता है। यह कहना कि यह कार्य बहुत अभूतपूर्व है और यदि ऐसा नहीं होता तो देश में एकता नही रह पाती, बिल्कुल गलत है। यह राजाओं के साथ एक राजनीतिक समझौता था, दीर्घकाल तक देश पर शासन किया जा सके। राजा भी यह जान गये थे कि उनका पतन निकट है। अत: इस अभूतपूर्व कार्य को ठीक अथवा गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आज सरकार संविधान में संशोधन ला रही है। क्योंकि देशवासी इस बात को और अधिक नहीं चाहते। परन्तु यदि आप इस मामले में गम्भीर होते तो संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 366 के खण्ड 22 को हटाना चाहते हैं, परन्तु सरकार इस खण्ड के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का भी उपयोग कर सकती थी और इस मामले को संसद में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रपति एक कार्यकारी आदेश के द्वारा यह कह सकते थे कि वह अमुक व्यक्ति को अमुक राज्य का नरेश नहीं मानते। इस बारे में किसी प्रकार के विशेषाधिकार और निजी थैलियों का प्रश्न नहीं उठता।

आज जब कांग्रेस सरकार अपने आपको प्रगतिशील घोषित करते हुए इस सम्पूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है तो सरकार के कथन की ईमानदारी और सत्यता पर अविश्वास नहीं होता। इसके पीछे कोई विशेष है। पता लगा है कि सरकार नरेशों को कुछ सान्त्वना मुआवजा देना चाहती है और वह भी बड़े नरेशों को कम और छोटे नरेशों को कुछ अधिक देने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी बताया गया है कि दो वर्ष तक बात चीत होती रही परन्तु परिणाम निष्फल रहा। अतः ऐसा लगता है इसके पीछे राजनीतिक चाल है, क्योंकि विधेयक पारित करने के पश्चात् सरकार नरेशों से बात करना चाहेगी और यह केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही। सम्भवतः उस समय यह जो राजनीतिक समझौता किया गया था वह केवल नरेशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया था। यही कारण है कि 1947 के उपरान्त इतने अधिक नरेश कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गये। आज भी यह मामला राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उठाया गया है जिससे सत्तारूढ़ दल को नरेशों का समर्थन मिल सके। इसके अतिरिक्त कोई आर्थिक उद्देश्य भी लगता है। बातचीत के पश्चात् प्रत्येक नरेश के साथ अलग अलग समझौता किया गया था। परन्तु कितने धन की निजी थैलियां दी जाएं, इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं था। बल्कि अफवाह फैली हुई थी कि जिस नरेश के पास जितना अधिक धन था उसे उतने ही अधिक धन की निजी थैली दी गई। आज भी नरेशों को सान्तवना मुआवजा राजनीतिक समर्थन के आधार पर ही नहीं दिया जाता अपितु, उस नरेश द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को दिये जाने वाले धन के आधार पर भी दिया जाता है। **(व्यवधान)**

अतः अनुच्छेइ 366 के खण्ड 22 को हटाने में कोई बुद्धि भत्ता नहीं है। क्योंकि इस का उपयोग तो बाद में किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को हटाने का सरकार का केवल यही उद्देश्य है कि वह परस्पर अधिक लाभ वाली शर्तों पर नरेशों के साथ राजनीतिक समझौता करना चाहती है।

इन सब बातों के अतिरिक्त एक बात बहुत अच्छी है कि इस विधेयक के माध्यम से विशेषाधिकार समाप्त कर दिये जायेंगे। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी कि सरकार राजनीति सौदा करके इससे लाभ उठायेगी हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

अतः आज सरकार भूतपूर्व नरेशों की निजी-थैलिया तथा विशेषाधिकार समाप्त करने जा रही है और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सम्पत्ति के रूप में मानते हुए रद्द कर दिया तो फिर जनता को मालूम हो जायेगा कि संविधान जैसी चीज क्या है। अतः इस देश में, इस संविधान के अन्तर्गत कोई भी प्रगतिशील कार्य नहीं हो सकता, और इसलिए इस सम्पूर्ण संविधान को ही समाप्त करना होगा। क्योंकि इसके बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि नरेश राज्यों के सर्व शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हैं अपितु इस देश के साधारण लोग ही सर्व शक्ति प्राप्त हैं। इसलिए यह समझौते पावन नहीं हैं और यही कारण है कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

यह बात भली प्रकार से विदित है कि यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही पारित किया जायेगा, फिर भी जनता सरकार के हथकंडों को तोड़ फैंकेगी और सफलता देश के लोगों को ही मिलेगी।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I am glad to have an opportunity to express my views on this historical occasion. Even in the pre-Independence period, we were of the view that after abolition of Jagirdari and removal of princes, no compensation would be paid. We are not saying all this for the first time. Though everybody has a right to have his own views, but we have been demanding this for long. The sanctity of agreement is meant only for the rich and not for the poor.

I fully agree with Shri Chavan that now time has come when we have to bring about basic changes through democratic ways and means. We should have courage to bring about socialistic pattern of society based on equality. At another occasion, I had urged in this house that princes should surrender their privy purses voluntarily. We have not been able to fulfil our obligations to raise the standard of living of the poor even after twenty years of independence. The poor and the backward people living in villages have not been able to have even two square meals a day. It is the demand of the day as well as test of this house whether we are on the right track to change the present social and economic set-up. If it is so, we must pass this bill.

Now a days, the Naxalite violence is the order of the day. The Naxalities are demanding land for the poor landless people, if we do not change the land system in a democratic and peaceful, we would be facing the poor and helpless people to adopt the naxalite ways. If we have the support of the masses, there would be no need of violence at all.

Sardar Patel was, of course, a great leader of the nation, through he did not like the policy of socialism. Now the Government is committed to bring about socialism in the country. We would have to change ourselves with the changing times.

We had not urged the Congress Party to adopt the ten-point programme. Now it is being opposed. I have read Shri Morarji Desai's speech with great care and I was very much surprised to find that now Shri Desai speak of sanctity. Was there no sanctity when we were fighting for the worker's cause ?

I would like to remind Shri Morarji Desai who is one of the followers of Gandhiji that when Gandhiji was asked whether any compensation would be paid to the Zamindars, when Zamindari system would be abolished, he had clearly stated that no compensation would be paid to them. The present social set up can not be changed, if compensation is paid to them, of course, some kind of rehabilitation compensation should be paid to them, so that they are not displaced.

The abolition of privy purses is not a question of four or five crores of rupees. It is, in fact, a question of principle. We have to see as to how our social set up can be changed.

Whatever Sardar Patel had done at that time was done in keeping in view certain objectives, but now there are certain compulsions of the time. Now we have to see whether we can bring about changes in our social set-up through this constitution or not. There are certain Directive Principles in the constitution and the judges of the Supreme Court should interpret the provisions of the constitution keeping in view the spirit and objectives of the constitution. If this Bill is not passed by this House, election should be held to the new Constituent Assembly.

We have not been able to fulfil the assurances of welfare of the people even after twenty years of Independence. The members of Congress (O) should not forget the old assurances given by them to the people of India. We have to show to the people that we are strivings to bring basic changes in the country. The double dealing would have to be done away with, if democracy is to be upheld in the country.

An elderly Member said that the Ministers have also got certain privileges. Every body can become a Minister tomorrow, whereas none can be a prince. If we want to bring about basic changes through democratic means, we should support this Bill and vote in favour of the Bill.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : तीन वर्ष पूर्व जब मैंने इस संसद में प्रवेश किया, तो मैंने अपने आपको संसद अथवा मन्त्रि मण्डल में किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं माना। मैं विराट जनता का प्रतिनिधि हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे परिवार का वंशज हूँ जिसने भारत के क्षेत्रफल को विस्तृत किया। मुझे खेद है कि कुछ वक्ताओं ने नरेशों की देशभक्ति पर सन्देह प्रकट किया है।

जहाँ तक नरेशों की निजी थैलियों का सम्बन्ध है, यह सच है कि दृढ़ समझौते के परिणामस्वरूप ही वे अस्तित्व में आईं। शताब्दियों पूर्व शंकराचार्य ने कहा था : "कालः क्रीड़ति गच्छति आयः।" समय परिवर्तन का जनक है। संभवतः बीस वर्ष पूर्व जो वस्तु पावन समझी जाती थी। वह अब पवित्र नहीं रह गई है। सम्पूर्ण विश्व में नवीन विचारों का प्रसार हो रहा है। परिवर्तन की इस श्रृंखला से संघर्ष करना अत्यन्त कठिन होगा।

अगर वांछित परिवर्तन को समझौते के द्वारा किया जाता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। यह अत्यधिक खेद की बात है कि इस निर्णय की घोषणा होने के तीन वर्ष पश्चात् भी कोई समझौता न हो सका। अब किसी पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं। अन्तरिम व्यवस्था करने के लिए सरकार बचन बद्ध है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के भाषणों में स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत किया गया है। अन्तरिम व्यवस्था के बारे में बातचीत करने की काफी गुंजाइश है। इन निजी थैलियों के धन से अनेक आश्रितों और रिश्तेदारों का पालन पोषण होता है, अतः सरकार ने अंतरिम व्यवस्था करने का निश्चय किया है।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मेरी निजी थैली पर भी इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। मेरे विचार में यह विधेयक मेरे प्रिवी पर्स पर भी लागू होगा। परन्तु मैं इस सदन में यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर कानूनी विशेषज्ञ भी यह कहें कि इस विधेयक का मेरे प्रिवी पर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भी मैं स्वेच्छा से उसे छोड़ दूँगा।

जैसा कि कुछ वक्ताओं ने संकेत किया कि इस मामले में सम्मान अंतर्निहित है। भौतिक वैभव की अपेक्षा सम्मान कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है "तेन त्येक्तेन भुंजी था।" परित्याग में भी आनन्द प्राप्त किया जा सकता है।

महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह और मेरे स्वयं के पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह के स्वर्णिम कृत्यों मेरे अतीत को कोई भी मिटा नहीं सकता, भले ही नरेशों को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार मिलें या न मिलें।

आज हम इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और इस समय परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहे हैं। आज का अशान्त वातावरण प्रसव वेदना का प्रतीक है, जिससे एक नवीन

समाज की पुनर्रचना होगी, जिसमें नरेश और कृषक को एक उच्चस्तर के जीवनयापन का सुअवसर प्राप्त होगा ।

नरेशों ने 1947 और 1949 में एक ऐतिहासिक पार्ट अदा किया था । अब मैं नरेशों से अनुरोध करता हूँ कि समय की मांग को पहचानते हुए, वे अपना पार्ट अदा करें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे आशा है कि डा० कर्ण सिंह की अपील को कम से कम नरेश तो स्वीकार करेंगे ही और वे विधेयक का समर्थन करेंगे ।

इस विधेयक द्वारा संविधान के ऊपर लगे कलंक को दूर किया जा रहा है । इन अनुच्छेदों के कारण हमारे गणतन्त्र में दो मित्र नागरिकताओं का जन्म हो गया था । कुछ व्यक्तियों को केवल विशिष्ट स्थिति ही प्राप्त नहीं थी, बल्कि वे अनर्जित आय भी प्राप्त कर रहे थे और उन्हें कतिपय विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जो देश के सामान्य नागरिक को प्राप्त नहीं थे । एकीकरण के समय परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण समझौते करने पड़े और नये संविधान का निर्माण हुआ । राज्यों के पुनर्गठन और राजप्रमुखों की समाप्ति के बाद संविधान में इन अनुच्छेदों के जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर ने 1964 में यह अभिमत व्यक्त किया था कि कानून के समक्ष समानता के मौलिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए दण्ड संहिता की धारा 87 ख को सदैव के लिए जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है । उन्होंने यह भी कहा था कि 26 जनवरी, 1950 के बाद के लेनदेन आदि के लिए भूतपूर्व नरेशों को सुरक्षा प्रदान की जाय या नहीं इस प्रश्न की केन्द्रीय सरकार को जाँच करनी चाहिए ।

निजी थैलियों और विशेषाधिकारों का जारी रखना अलोकतन्त्रीय और असंवैधानिक था । यह सरकार, जो जनता को दिये गये वचन को अब पूरा करने जा रही है, पहले संकोच प्रदर्शित करती रही, और जनता की माँग के बावजूद भी उसने कोई विधेयक पेश नहीं किया । सरकार ने यह विधेयक इसलिए पेश नहीं किया है कि वह अचानक ही प्रगतिशील अथवा समाजवादी हो गई है, बल्कि राज्य सभा में सर्व सम्मति से संकल्प पारित होने की वजह से सरकार को यह विधेयक पेश करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

संगठन कांग्रेस प्रिवी पर्स समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है । अपने भाषण में श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि प्रिवी पर्स समाप्त करने के लिए वह सिद्धान्त रूप में सहमत हैं । यह विधेयक प्रिवी पर्स को सिद्धान्त रूप में ही समाप्त कर रहा है । अब उनका यह कहना है कि जिस तरीके से इसे समाप्त किया जा रहा है, वह तरीका उन्हें पसन्द नहीं है । इसका मतलब यह हुआ कि उनका समाजवाद कुछ इस प्रकार का है कि उससे पूँजीवाद का पोषण होता है । अगर इस विधेयक का प्रारूप कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता कि प्रिवी पर्स कभी भी समाप्त न होते, तो शायद वह इसका समर्थन करते ।

प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों के बारे में कुछ भी पावनता नहीं है । यह मूल अधिकार नहीं है और न ही यह सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार है । यह तो संविधान में प्रदत्त एक राजनैतिक

निर्णय था। पेंशन तो उसे दी जाती है, जो सरकार के साथ सहयोग करे और राजनैतिक पेंशन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कोई भी समझौता सर्वोच्च और सार्वभौम नहीं होता। श्री मोरारजी देसाई के इस कथन पर मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि नरेशों की देशभक्ति के बिना देश का एकीकरण होना सम्भव नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि जनता के आन्दोलन और क्रान्ति के बिना भूतपूर्व नरेश कभी भी सरदार पटेल से समझौता न करते। हैदराबाद और जूनागढ़ के शासक क्या देश भक्त थे ? पाकिस्तानी छापामारों के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य को हमारी सहायता लेनी पड़ी। भूतपूर्व शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। हाँ, कुछ नरेशों ने भविष्य की ओर आशा की दृष्टि से देखा और उस प्रक्रिया में मदद की। इसके लिए हम उन्हें काफी प्रिवी पर्स अदा कर चुके हैं। अब उन्हें स्वेच्छा से इनका त्याग कर देना चाहिए।

परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण सरकार और राजाओं दोनों को ही समझौता करना पड़ा। श्री मोरारजी देसाई और धरंगधरा के महाराजा ने यह कहा कि संविधान और संसद शासकों के आत्म सम्मान का अभिरक्षक है। सच बात तो यह है कि राष्ट्रीय सम्मान की (क) सर्वोपरि है।

श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा कि यह कार्य स्वेच्छा से किया जा सकता था और इसके लिए वह कोशिश भी कर रहे थे। मगर त्यागपत्र देने के बाद भी वह समझौते के लिए प्रयास कर सकते थे।

1953 में पं० नेहरू ने 100 नरेशों को अपने अपने प्रिवी पर्स में स्वेच्छया कमी करने के लिए पत्र लिखा, मगर कोई भी स्वेच्छया कमी के लिए तैयार नहीं हुआ। अब उसी के लिए पं० नेहरू की पुत्री प्रयास कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे राजनैतिक प्रयोजन है। इस प्रकार की बातचीत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

पं० नेहरू ने स्वयं कहा था कि ये समझौते उस समय किये गये थे जबकि सभी प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखना था। हम सभी उस समय इस बात के लिए उत्सुक थे कि संविधान का निर्माण सभी के सहयोग से हो। इसलिए, सब प्रकार के व्यक्तियों के साथ कुछ न कुछ समझौते किये गये। परिस्थियों की अनिवार्यता के कारण भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौते करने पड़े और नरेशों की देशभक्ति के कारण नहीं। इसलिए, उनके प्रति कृतज्ञ होने का कोई प्रश्न ही नहीं। भूतपूर्व नरेशों को अन्तरिम भत्ता देने की क्या तुक है ? सरकार इस मामले में अनमने रूप से कार्य कर रही है। यह सरकार नरेशों के समर्थकों का समर्थन नही खोना चाहती। प्रधान मंत्री ने नरेशों को इस आशय का पत्र लिखा कि छोटे नरेशों को इकट्ठी राशि दी जायगी और अन्य को अन्य प्रकार से। राज कोष से जितना व्यय करना पड़ेगा इन सब बातों पर सरकार ने इस सदन का विश्वास प्राप्त नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनैतिक खिलवाड़ करने के लिए सरकार इस हथियार का उपयोग करेगी। नरेशों के साथ बातचीत करने की क्या आवश्यकता है ? क्या किसानों की जमीन पर कब्जा करने और उनको क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर सरकार ने कभी किसानों से बातचीत की है ? सरकार को सदन का और पार्टियों के नेताओं का विश्वास

प्राप्त करना चाहिए और राष्ट्रीय हित में जो भी उचित हो, वह करना चाहिए। यह विधेयक, हमारे संविधान के ऊपर लगे कलंक को दूर करने के लिए एक अच्छी शुरूआत करने का सूचक है।

बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उसका विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन ही किया। उन्होंने कुछ कानूनी कमियों की ओर संकेत किया था, जिन्हें बाद में दूर कर दिया गया। मेरे मन में न्यायपालिका के विरुद्ध कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा अब भी यह विश्वास है कि न्यायाधीश हमारे संविधान और स्वातन्त्र्य के अभिरक्षक है। अगर लोकतन्त्र को इस देश में जीवित रखना है, तो न्यायपालिका को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर रखना होगा।

अगर हम संविधान में यह व्यवस्था करते हैं कि मुआवजे की रकम न्यायनिर्णित नहीं की जा सकती, तो इस पर मोरारजी देसाई को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका यह कहना है कि अगर अनुच्छेद 363 को समाप्त कर दिया जाय, तो वह इस विधेयक का समर्थन कर सकते है। इस प्रकार वह मुकदमेबाजी का रास्ता खोलना चाहते हैं। इस प्रकार जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हम प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे।

संगठन काँग्रेस और शासक काँग्रेस दोनों ही अपराधी हैं एक कम है तो दूसरी ज्यादा। संगठन काँग्रेस के नेता एक अच्छे उपाय का विरोध करके और अपने वचन को तोड़कर स्वयं की राजनैतिक हत्या कर रहे हैं। लेकिन हम यह संघर्ष करते रहेंगे कि कोई भी मुआवजा भूतपूर्व शासकों को नहीं दिया जाय, क्योंकि यह सम्पत्ति का अधिकार नहीं है। एकाधिकार जैसी अन्य जीर्ण शीर्ण परम्पराओं को समाप्त करने के लिए भी क्या मुआवजा दिया जायेगा ?

इसलिए, मैं प्रधानमन्त्री से यह अनुरोध करूँगा कि वह एक स्पष्ट वक्तव्य दें कि भूतपूर्व नरेशों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी और न ही उन्हें कोई मुआवजा ही दिया जायेगा। 15 अक्तूबर को इस विधेयक को कार्यान्वित किया जायगा। अगर सरकार निश्चय नहीं कर पाती है, तो संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए, जिससे जनता भी जान सके कि हम किस प्रकार प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने जा रहे हैं।

डा० कर्णी सिंह (बिकानेर) : मैं आज उच्च स्तर का भाषण करना चाहता हूँ। इस विवादग्रस्त मामले पर पिछले दो दिनों में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ व्यक्तियों के लिए यह महज एक और विधेयक है। परन्तु हम लोगों के लिए हजार वर्षों का इतिहास है। यह हमारी परम्परा और संस्कृति का प्रश्न है और हम इस विधेयक का घोर विरोध करते हैं।

शासन दल की ओर से डा० कर्णसिंह को हाइड्रोजन बम की तरह पेश किया गया। उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया। मैं उनके विचारों की सराहना करता हूँ। परन्तु उनमें और मुझमें केवल इतना अंतर है कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ।

प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि आज के दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं इस महान् सदन से यह अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय ऐतिहासिक तथ्यों की महान् पृष्ठ भूमि को दृष्टि में रखते हुए निर्णय लें। इस प्रश्न में राणा प्रताप, शिवाजी झाँसी की रानी और अन्य शासक परिवारों की परम्परा अंतर्निहित है।

इस सदन में प्रिवी समाप्ति के प्रश्न पर पिछले तीन वर्ष से चर्चा की जा रही हैं। सदन की सभी पार्टियों के संसद सदस्यों ने न्याय की खातिर हमारे पक्ष का समर्थन किया है और हम उनके कृतज्ञ हैं।

मुझे इस बात पर खेद है कि महामानव श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री ही अपने पिता द्वारा 20 वर्ष पूर्व किये गये निर्णयों को समाप्त कर रही है।

कुछ सदस्यों ने इस बात का भी संकेत किया कि अगर यह विधेयक पारित नहीं होता है, तो नये चुनाव कराये जायेंगे। यद्यपि हमारा निर्धन देश नये चुनावों पर करोड़ों रुपया व्यय करने की स्थिति में नहीं है, परन्तु हमें चुनावों का भय नहीं है। परन्तु यह धमकी केवल इस विधेयक को पारित कराने के लिए एक धमकी मात्र है।

भूतपूर्व नरेशों को केवल एक मोहरा बनाया जा रहा है। प्रिवी पर्स सम्बन्धी सारा विवाद राजनीति से प्रेरित है। यह पात्र एक स्टन्ट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह माँग उठाई गई कि प्रिवी पर्स को लाभ का पद घोषित किया जाय। इसका कारण यह है कि कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। राजाओं ने चुनावों में जीतकर काँग्रेस को सत्ताच्युत कर दिया, इस वजह से यह विवाद खड़ा किया गया है।

1967 के चुनावों से पूर्व अगर यह माँग उठाई जाती है तो बात कुछ समझ में आ सकती थी। 1967 के चुनावों में श्री चह्वाण के उम्मीदवार को 70 वर्षीय कोल्हापुर की राजमाता ने हरा दिया, इस वजह से नरेशों के प्रभाव और गरिमा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री चह्वाण का नरेशों के प्रति रवैया असम्मानजनक था आज के प्रजातन्त्र के युग में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के पैरों को चूमने के लिए तैयार नहीं हो सकता। श्री चह्वाण से भेंट के दौरान नरेशों की ओर से यह कहा गया कि वह मुआवजा देने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उनकी सरकार की स्थिति डांवाडोल है। जब संविधान प्रदत्त गारंटी को वह मिटाने जा रहे हैं, फिर उनके वचन का क्या भरोसा ?

यह भी कहा गया कि भूतपूर्व नरेशों के पास काफी पैसा है और वे राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या सरकार को जो सुविधा और संरक्षण प्राप्त हैं उसका कोई मुकाबला कर सकता है ? अगर श्रीमती गान्धी आज सत्ताच्युत हो जायें, तो उन्हें दुबारा सत्ता में आने में बीस वर्ष लग जायेंगे। आज जो सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में हैं, उसका मुकाबला 279 नरेश मिलकर भी नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री दबाव डालने के उद्देश्य से निर्दलीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाती रही हैं। क्यों ? क्या यही लोक तंत्र है रबात के बारे में चर्चा के समय मैं भी उनका समर्थन करता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। परन्तु बाद में उन्होंने तो यही समझ लिया कि हम उसके गुर्ग हैं। एक-एक करके वह निर्दलीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाती हैं क्या इसी का नाम लोक तंत्र हैं। प्रत्येक निर्दलीय सदस्य को भी यह खूब सोचना चाहिये कि वह कांग्रेस में शामिल हो कि निर्दलीय ही रहे क्योंकि प्रत्येक निर्दलीय कांग्रेस के उम्मीदवार के विषय ही चुनाव लड़कर आया है।

कहा जाता है कि नरेशों का अब कोई अर्थ या उपयोग नहीं रहा। परन्तु मैं श्री चह्वाण से पूछना चाहता हूँ कि फिर भी नरेश लोग इतने लोकप्रिय क्यों हैं ?

पिछली जनवरी में मेरे चुनाव क्षेत्र में गोली चलने की घटनायें हुई तथा हम ने श्री चह्वाण को वहां जाकर स्थिति को देखने का अनुरोध किया। परन्तु वह नहीं गये और नहीं राजस्थान के मुख्यमन्त्री भी वहां गये। मैं वहां गया था। इसी लिये हम नरेश लोगों में लोकप्रिय हैं क्योंकि हम छोटे बड़े प्रत्येक के साथ मिल बैठते हैं। परन्तु सरकार हमारी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहती है।

हम नरेशों को समाप्त करने का केवल यही एक उपाय है कि सरकार देश को एक बहुत अच्छा प्रशासन दें परन्तु सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा क्षेत्रवाद के कारण नरेशों को और अधिक अवधि तक बनाये रखेगा। अतः जब तक कोई अच्छी सरकार न बनेगी नरेशों को भुलाया नहीं जा सकेगा।

रियासयों के एकीकरण के समय हमने यह मांग की थी कि सभी राज्यों को विकास के समान अवसर दिये जायें। हमारे पांचों राज्यों के लिये हमने एक समान भाई-भाई के जैसे अधिकार तथा अवसर मांगने थे परन्तु मुख्य मन्त्रियों ने अपना क्षेत्रवाद दिखाया तो फिर नरेशों को क्यों दोष दिया जाता है।

श्री नहाटा ने नरेशों के अत्याचारों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को गोली मारी गई क्या जेलों में भी सड़ा कर मारा गया। परन्तु क्या सब लोग नहीं मानते कि स्वाधीनता के पश्चात् से इस सरकार ने कितनी बार गोलियां चलाई हैं। नरेशों को मत केवल इसी लिये मिलते हैं कि वे लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। प्रधान मंत्री का प्रभाव इस लिए बना हुआ है क्योंकि वह सत्तारूढ़ है। और वह सत्तारूढ़ भी मुख्यतः इसलिये हैं कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री हैं।

डा० कर्णीसिंह ने कहा है कि उनके पिता देश को एक करने में बड़ी सहायता की। मुझे गर्व है कि उनके पिता तथा मेरे पिता गहरे मित्र थे परन्तु मैं उन्हें स्मरण करादूं कि मेरे पिता बीकानेर को भारत में मिलाने में प्रथम थे तथा उनके पिता ने अपने राज्य के सम्बन्ध में विलंब किया। वे इस कार्य में आतम व्यक्ति थे। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिये।

इस विधेयक को यहां करके सरकार ने एक साथ कई चालें खेली हैं। साथ ही इस पर बड़ा नोट भी दिया जा रहा है। जबकि देश में कई अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्यायें हैं जिनकी

ओर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिये। नरेश लोग देशभक्त नागरिक हैं, चीनी एजेन्ट नहीं हैं, परन्तु फिर भी सरकार सबसे पहले उन्हें ही नष्ट करने पर तुली है। सरकार नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त करने के शोर से जनता का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मामलों की ओर से हटाना चाहती है। यह सरकार की कूटनीति है। सरकार इन महत्वपूर्ण मामलों की ओर पहले ध्यान क्यों नही देती ? श्री नेहरू ने संसद में वायदा किया था कि उनका सर्वप्रथम काम चीन से भारतीय भूमि को छुड़ाना होगा और वह दिन भी कदाचित नेहरू का जन्म दिवस था। क्या सरकार ने उस प्रण का खयाल रखा ? अब तो आप उस ओर प्रयत्न करने का साहस तक भी नहीं रखती। दूसरी ओर सोवियत संघ भी मानचित्रों द्वारा एक प्रकार का भारत पर आक्रमण-सा कर रहा है। सरकार इन सब बातों को भुलाने के लिये जनता को नरेशों के मामले की ओर उलझाये रखना चाहती है। वस्तुस्थिति तो यह है कि भारत सोवियत संघ का गुर्गा बनता जा रहा है। दिन पर दिन हमारे देश की गुटनिरपेक्षता की नीति समाप्त होती जा रही है और हम सोवियत संघ की बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं। न जाने हमारे लोकतन्त्र का क्या होगा।

फिर काश्मीर की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री काश्मीर के शेष भाग को पाकिस्तान से कब मुक्त करायेगी ? परन्तु लगता है कि नरेशों को समाप्त करने का कार्य ही उन्हें सर्वाधिक महत्व प्रतीत होता है।

देश में नित्य प्रति ही गोली चलने के समाचार आते हैं। क्या लोकतन्त्र में सार्वजनिक जनता पर, मानवता पर, गोलियां चलाई जानी चाहियें ? सरकार आंकड़े पेश करें कि गत 20 वर्षों में उसने कितनी बार गोलियां चलाई हैं। ऐसी समाजवादी सरकार के बिना भी हमारा काम चल सकता है।

देश की एक अन्य भयंकर समस्या जनसंख्या में वृद्धि होना है। सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चे पैदा होते हैं। यदि यह समस्या हल न की गई तो देश को लोगों को कहां से खाना-पीना तथा अन्य आवश्यक चीजें मिल सकेंगी। परन्तु सरकार तो सब काम को छोड़ बस नरेशों के पीछे पड़ी है।

देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय खून बहाना वर्जित था और मेरे पिता तथा जोधपुर के महाराजा ने विभाजन के समय 15 लाख मुसलमानों को सुरक्षित बचकर जाने दिया था। रियासतों की फौजें इस कार्य पर लगाई गई थीं। नरेशों ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति की जान की रक्षा की जाएगी। आज सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिये। सरकार की इस बारे में असफलता एक गंभीर बात है। प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रीगण इस बारे में प्रकाश डालें कि वे किस प्रकार अल्पसंख्यकों की रक्षा का आश्वासन देंगे। क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस ऐसा वक्तव्य देगी कि आगामी चुनावों में साम्प्रदायिकता को आधार नहीं बनाया जाएगा ?

देश में अराजकता स्थिति बढ़ती जा रही है तथा नक्सलपंथियों के उपद्रवों की समस्या है। अन्तर्राज्य सीमा विवाद हैं। बेरोजगारी तथा खाद्य सम्बन्धी समस्यायें हैं। देश में अभाव की स्थिति । श्री चव्हाण इस ओर ध्यान दें। क्या नरेशों की निजी थैलियां बन्द कर देने से ये

समस्यायें हल हो जायेंगी ? जबकि वस्तुत: तो स्थिति यह है कि नरेशों की थैलियों से दो लाख लोगों की जीविका चलती है। नरेश लोग इस धन से मौज नहीं उड़ाते बल्कि हजारों लोगों को जीविका देते हैं। हम नरेश लोग अपनी आय से अधिक आय कर तथा सम्पत्ति कर अदा कर रहे हैं। नरेशों की निजी थैलियां बंद होने से जो हजारों स्त्रियां तथा पुरुष बेरोजगार होंगे उनको क्या प्रधान मंत्री रोजगार उपलब्ध करा देंगी ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*]

मेरे पिता को 17 लाख रुपये की थैली मिलती थी। उनकी मृत्यु के बाद 7 लाख रुपये सरकार कर के रूप में ले लेती थी। मैंने सरदार पटेल को जब यह कहा कि इन 7 लाख रुपयों को वह बीकानेर के गरीब लोगों की भलाई में लगादे तो उन्होंने सखेद कहा कि उक्त धन तो भारत की संचित धनराशि में जमा होगा यही कानून है। इस प्रकार 300 व्यक्तियों को अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ा। और किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। आज यदि आप सदस्य लोग इस विधेयक पास करते हैं तो ये दो लाख लोग भी बेसहारा हो जायेंगे।

डा० राजेन्द्र प्रसाद, जिन्हें लोग एक ऋषि तथा एक महान व्यक्ति समझते हैं, उन्होंने भी नरेशों के बारे में क्या विशेष रूप से मेरे पिता के बारे में कहा था कि भारत की एकता नरेशों की शुभकामनाओं तथा विलय के लिये उनकी शीघ्र स्वीकृति के कारण स्थापित होने की है। संविधान के गठन में मेरे पिता की सेवाओं का जिक्र करते समय उन्होंने मेरे पिता की बड़ी सराहना की थी। मुझे गर्व है कि मैं महाराजा सादूल सिंह जी का पुत्र हूं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि सिक्किम तथा भूटान के नरेशों की स्थिति हमसे कुछ भिन्न है परन्तु कहे तथ्यों के अनुसार वे हमारे देश के नरेशों से कुछ नीचे की श्रेणी में आते हैं। परन्तु वे आज गद्दी पर बैठे हैं। क्या सरकार सिक्किम तथा भूटान के विलय के बारे में भी योजना बना रही है ? सरकार तो बस अपने ही वफादार नागरीकों पर कुल्हाड़ा चलाना जानती है। एक ओर तो प्रधान मंत्री सिक्किम तथा भूटान के नरेशों का स्वागत करने हवाई अड्डे को दौड़ती है परन्तु दूसरी ओर अपने ही देश के नरेशों—वफादार नरेशों को ठोकर मारती हैं। कैसा न्याय है यह ?

जहां तक नरेशों का सम्बन्ध है, उनका वास्ता गृह-कार्य मन्त्रालय से पड़ता है। परन्तु वही मन्त्रालय कुछ सहानुभूति दिखाने की बजाये हमारे विरुद्ध पड़ गया है। हमें ठुकरा दिया गया है, दुत्कार दिया गया है। हम श्री चव्हाण को अपना संरक्षक समझते थे परन्तु उन्होंने ही नरेशों को तबाह करने तथा नीचा दिखाने का प्रयास किया।

समाचार पत्रों ने अपने चित्रों तथा व्यंग चित्रों द्वारा नरेशों को पैसे का लालची दिखाया है। परन्तु मैं पैसे की तनिक भी परवाह नहीं करता। हम तो सिद्धान्तों की बात कहते हैं तथा उनके लिये लड़ते हैं। यहां द्विपक्षीय समझौते के सिद्धांतों का प्रश्न है। सरकार को भी अपने वचनों का पालन करना चाहिये। सदा ही नरेशों को सरकार की त्रुटियों को खमियाना भुगतना पड़ता है। सरकार का यह कहना भी गलत है कि हम नरेश समय के साथ साथ नहीं चल रहे हैं।

आप भूतपूर्व रियासतों के लोगों से पूछिये कि निजी थैलियां बनी रहनी चाहिये या कि नहीं। यदि वे लोग कहेंगे कि नहीं, तो हम तनिक भी आपत्ति नहीं करेंगे। परन्तु आप इन रियासतों के बाहर के लोगों से क्यों पूछते हैं ? उनको तो कुछ असर नहीं पड़ता।

जहां तक विशेषाधिकारों की बात है आप चाहते हैं कि देश में विशेषाधिकार रहित समाज बने। परन्तु संसदसदस्यों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं उनका क्या होगा ? उन्हें 2000 रुपये के किराये के बंगले का केवल 200 रुपये देना पड़ता है। ऐसे कई विशेषाधिकार हैं।

आयकर मुक्त आय के बारे में भी उल्लेख किया गया है संसदसदस्यों को 51 रुपये प्रति दिन मिलते हैं जिन पर आय कर नहीं लगता जबकि अनेक नरेश ऐसे भी हैं जिनके कुल प्रीविपर्स हमारी आयकर-मुक्त आय से भी कम हैं।

इस प्रकार अनेक ऐसे विशेशाधिार बने हैं। संभव है समय के साथ ये भी समाप्त हो जायें। परन्तु मेंने यह अनुभव किया है कि इस सभा में एक विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया गया है। हमें बोलने की स्वतन्त्रता है तथा यहां सभा में हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी कहें तो हम पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती। नरेशों के विरुद्ध भी गृहकार्य मन्त्रालय की अनुमती के बिना कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती। यद्यपि यह अनुमति बड़ी सुगमता से मिल रही है। ये बातें भी बयान में रखी जानी चाहियें।

लोकतन्त्र में परिवर्तन आ रहा है और यह स्वाभाविक भी है। यहाँ सदन ने भी बड़े उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना है ताकि देश के सभी सामान्य तथा असहाय व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा हो सके।

किसी भी देश को ईमानदारी, गौरव तथा प्रण मर्यादा की प्रतिष्ठा बनाने में हजारों वर्ष लगते हैं तथा देश के भीतर के वातावरण का बाहर भी प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी राष्ट्र द्वारा अपना वायदा तोड़ना बड़ा खतरनाक है। वायदे से मुकर जाना इतना ही बुरा है जितना किसी का ऋण लेकर दीवालिया होकर देने से इन्कार कर देना।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Britishers divided the country not only in two parts-India and Pakistan-but in three parts. The third part was that of Indian States. The British Political department tried their best to create a separate Rajasthan of ex-rulers. A conference of ex-rulers was held in Tajmahal Hotel of Bombay in April, 1947, under the Chairmanship of ex-Bhopal ruler, in which a proposal was put forward to form a separate organisation of former States. Shri Shardul Singh, the then Maharaja of Bikaner was the first person to boycott that a conference. He tried to create a healthy atmosphere in the country. When British Political Department tried to create a separate unit of States, Sardar Patel through his statesmanship created an atmosphere in which all the ex-rulers agreed to accede to India. Thus Sardar Patel succeeded in bringing to sought the mechinations of the Britishers.

Four issues, namely, the constitutional, financial, moral and political are involved in the abolition of privy purses and privileges of ex-rulers. Controversial matters such as this should be referred to the Supreme Court for judicial review before any discussion or decision is taken thereon to me that the Government has losts its confidence in the judiciary of the country.

This Bill seeks to abolish the privy purse and other privileges of the ex-rulers, but it is incomplete as no alternative arrangement has been made. The Governments wants to hang a sword of Damocles over the read of the princes to pressurise them into refraining from taking any decision jeopardising the interests of the ruling party in the next elections.

So far as financial aspect of this question is concerned, only an amount Rs. 4 crores is involved in the matter. The Government has not been able to check the shooting prices. The reel value of the privy purses has already gone down to one-fourth of the original value. Sardar Patel had himself stated in the constituent Assembly that some of the rulers of former States had contributed Rs. 77 crores in cash. The Maharaja of Gwalior alone contributed a sum of Rs. 52-1/2 crores in cash. Even the interest on this amount would be much more than what the government has paid to the princes as privy purse. An expenditure of Rs. 4 crores on privy purses is pinching to the government, but the supporters of this Bill forget that about Rs. 4,000 crores have been spent during the last 23 years on Kashmir alone and still that problem has not been solved. The Britishers had entered into treaties and paid with thirteen princely famities in 1801, 1823, 1846 and in 1866. A sum of Rs. 22-1/2 lakhs is being spent annualy from the consolidated Fund of India. The government should have also included the abolition of those liabilities which have been continuing sinhe the Bitish regime.

The counrry was facing a very critical movent in its history in 1947. If the rulers had acted against the interests of the country, they would have created great difficulties for the county. But they acted in the interests of the country and merged their states with the Indian Union. If the Government wanted to revoke a pact it should revoke Nehru Liaqut pact or Tashkent Pact but not that one entered into by Sardar Patel with the ex-rulers. The Govt. has not been able to protect the territory given by ex-rulers, but had lost a portion of it to Pakistan.

The government's action in revoking the agreements with the rulers would reduce the credit worthiness of the government in international world. We have made so many agreements in regard to foreign aid etc. The government's behaviour in this matter would creat doubts about the *bona fides* of the government.

What will be situation if government also stops the pension now being given to retired army personnel, who had served the British government. This government wants to resile from the assurances given by late Shri Sardar Patel, but why can't it do so in regard to the assurances of Pt. Nehru regarding official language ?

The government did not think of abolishing the privy purses and privileges during the last 22 years. But when congress suffered reverses in the 1967 elections in certain states the government decided to abolish privy purses and other priveleges of the ex-rulers Unfortunately some such persons have infiltrated in the congress organisation, who do not believe in the principles of congress and are bent upon destroying the congress.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सदन के विभिन्न वर्गों ने इस विधेयक का व्यापक समर्थन किया है। दो विरोधी पार्टियों द्वारा इतना अधिक विरोध करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

एक भाषण में बड़े शानदार शब्दों का प्रयोग किया गया, परन्तु उसमें कोई सार नहीं था। धरंगधरा के महाराजा के भाषण में भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं था, क्योंकि वह तो राजसी परिवार से सम्बन्ध ही रखते हैं। विरोधी पक्ष की एक पार्टी ऐसी भी है, जिसके किसी कथन अथवा कृत्य पर आश्चर्य करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने इस विधेयक से सम्बन्धित सभी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया है। सर्वोच्च न्यायालय को इसे सौंपने के बारे में भी हमने कानूनी सलाह ली है। सर्वोच्च विधि विशेषज्ञों की यह राय है कि संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से वर्तमान विधेयक ठीक है और इसलिये सर्वोच्च न्यायालय को इसे सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जिस प्रकार भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लिया, उसी प्रकार श्री मोरारजी देसाई भी विरोधी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। उनके विचार एक पक्षीय हैं।

यह भी कुछ सदस्यों ने कहा कि उस समय राजाओं के साथ समझौते के कारण हमें सहायता मिली। मगर, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर राजाओं ने उस समय अन्य कोई मार्ग अपनाया होता, तो जनता की प्रतिक्रिया कुछ और ही होती और स्थिति को उस समय काबू में कर पाना मुश्किल होता। संभव है कि इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं, परन्तु इससे कुछ समस्याओं का समाधान भी हो जाता।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि प्रिवी पर्स समाप्ति के बारे में राजनीति से प्रेरित होकर कार्यवाही की गई है। मेरे विचार में श्री चव्हाण 1963 में कार्य समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि सर्वप्रथम इस मामले पर विचार किया गया था। वर्ष प्रति वर्ष, मास प्रति मास, पार्टी के अन्दर इस बात के लिए ज़ोरदार मॉग उठाई जाती रही थी कि 1967 के चुनावों से भी काफी पहले इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु कुछ व्यक्ति जानबूझ कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।

यह भी कहा गया कि ये समझौते संविधान बनाये जाने के पूर्व किये गये थे और संविधान ने तो केवल इन समझौतों को केवल अनुवर्ती सहमति ही दी थी। इसलिए, संविधान के अनुच्छेदों को हटा देने के बाद भी ये समझौते लागू रहेंगे। ये समझौते किस प्रकार के हैं—इसकी गलतफहमी होने की वजह से ही यह विचारधारा बनी है। ये व्यक्तियों के बीच के समझौते नहीं हैं। ये तो राजनैतिक समझौते थे, जिनकी वजह से राष्ट्रपति ने संविधान के अन्तर्गत मान्यता दी थी। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि किसी शासक को मान्यता देने अथवा मान्यता वापस लेने का अधिकार है और विलय समझौते राष्ट्रपति द्वारा सतत मान्यता देते रहने तक ही लागू रहेंगे। यह भी सुझाव दिया गया कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किये बिना ही प्रीवीपर्स को समाप्त किया जा सकता था। विलय समझौते की शर्तों के अनुसार, सरकार ऐसा करने में भी समर्थ है। मगर, सरकार ने विचार विमर्श के लोकतांत्रिक तरीके के द्वारा परिवर्तन करना बेहतर समझा और इसीलिये इस सदन के माध्यम से जनता की सामूहिक राय को जानना चाहा। सरकार द्वारा एक विशिष्ट बहुमत द्वारा इस विधेयक को पारित कराने की इच्छा इस बात का द्योतक है कि हम प्रजातन्त्र के महानतम आदर्शों के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं।

यह भी कहा गया कि भूतपूर्व शासकों द्वारा न्यायालय की शरण लिये जाने पर रोक लगाई जा रही है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के समझौतों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये यह संसद ही सर्वोपरी संस्था है, न कि अदालतें। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि इन समझौतों को न्यायालयों के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाय।

यह प्रश्न भी उठाया गया कि अनुच्छेद 363 को लागू रखने से एक सामान्य नागरिक के अधिकारों से भी नरेश वंचित हो जायेंगे। यह एक विडम्बना ही है। नरेशों को एक सामान्य नागरिक के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। राजनैतिक समझौतों की वजह से जो विशिष्ट विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में ही प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इस विधेयक को लेकर राजनैतिक लाभ उठाने के अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। हम पर यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ राजाओं ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, इस वजह से प्रिवी पर्स समाप्त किये जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि अन्तरिम व्यवस्था करते समय राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की जायेगी। अन्तरिम भत्तों की व्यवस्था करने का प्रश्न भी संसद के समक्ष पेश किया जायगा और उस पर विचार प्रकट करने का सभी को पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। हमने जो सिद्धान्त स्वीकार किया है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

परम्परा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मगर, हम केवल परम्परा के सहारे जीवित नहीं रह सकते। जीवन में दिन प्रति दिन और क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक जीवन में जीर्णशीर्ण परम्पराओं के लिए कोई स्थान नहीं।

यह भी कहा गया कि केरल को विशेष हवाई जहाज भेजे गये। हमने पहले भी कहानियां सुन रखी है कि विभिन्न राज्यों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए हवाई जहाज भेजे गये। मगर, वे जहाज कहाँ से आते हैं, कौन उन्हें उड़ाता है और वे कहां गायब हो जाते हैं—पता नहीं।

मेरा भी यह विश्वास है कि सदस्य बिना किसी दबाव के, जैसा वे उचित समझें, मतदान करें। मेरी यह भी इच्छा है कि राजा और उनके मित्र भी इसी विचारधारा का अनुसरण करते और हमारे सदस्यों पर दबाव डालने की कोशिश न करते। (व्यवधान)

रियासतों के अन्दर रहने वाली जनता के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। आज और कल, जो सर्वाधिक कटु भाषण दिये गये, वे उन व्यक्तियों द्वारा दिये गये, जो दुर्भाग्यवश रियासतों में रह चुके है। हमें याद है कि हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर क्या क्या अत्याचार किये जाते थे। यह सब बातें विस्तार से बताने का यह अवसर नहीं है।

आज जब हम परम्परा की चर्चा करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सामंतवादी परम्परा को जारी रखना चाहते हैं? विश्व में कहीं भी यह परम्परा जारी नहीं रह सकी है। जहां शिक्षा और जागृति नहीं है, वहीं पर यह परम्परा जारी रह सकती है। जहां शिक्षा और जागृति है, वहां अन्याय और असमानता के विरुद्ध विद्रोह होना अवश्यंभावी है।

न्याय की भी बहुत चर्चा की गई। न्याय की बात को बहुत गलत सन्दर्भ में पेश किया गया है। न्याय किसके लिए? हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय न हो। परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि लाखों लोगों को भी न्याय प्राप्त हो। यह एक निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है।

राजनीति भी दो विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों को साथी बना देती है। हमारे विचार पूर्णतया स्पष्ट हैं। हम कुछ नीतियों और तरीकों के विरुद्ध हैं। हम किसी व्यक्ति के

इसलिए विरुद्ध नहीं हैं कि वह साम्यवादी है। मगर उनका दल अतिवादी साम्यवादी दल के साथ मिल सकता है।

संविधान के निर्माताओं ने सभी प्रकार की सम्भावनाओं की ओर दूरदर्शिता की दृष्टि से नहीं देखा। हमने संविधान में पहले भी संशोधन किये हैं। हमें अपना संविधान इस प्रकार बनाना चाहिए जो हमारी जनता की आवश्यकताओं और महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। आवश्यकता तो इस बात की है कि जनता के हित में क्या करना आवश्यक है। हमारा दल ही इस विधेयक को लाने का इच्छुक नहीं रहा है ; बल्कि अन्य दल भी, जो साम्यवादी नहीं है, इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह सुनकर बड़ा अजीब लगा कि उन्हें बरबाद करने की कोशिश की जा रही है। इस कदम से वे सुदृढ़ हो सकेंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर प्राप्त होगा। यह राष्ट्र जो विभिन्न प्रकार की जातियों और विशेषाधिकारों की वजह से विभाजित है, इस प्रकार के कदम से लोकतन्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख यह रहा है कि जनता की इच्छा को सर्वोच्च सत्ता माना जाय। इस सिद्धांत को मानने का अर्थ यह नहीं है कि हम व्यक्ति के खिलाफ हैं, हम तो एक प्रणाली के खिलाफ हैं। विधेयक को स्वीकार करने के लिए वकालत करने में कुछ विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे मन में कोई विद्वेष की भावना नहीं हैं, क्योंकि हम तो एक सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम देश को एक विशिष्ट दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यह विधेयक ऐतिहासिक महत्व का है और हमें समय के साथ आगे बढ़ना होगा। व्यक्तियों का मूल्यांकन उनकी समृद्धि अथवा पद के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि अन्य प्रस्तावों को रद्द कर दिया जायगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्री ललित नारायण मिश्र यहां उपस्थित हैं। राज्य सभा के सदस्यों को यहाँ उपस्थित नहीं रहना चाहिए। वे पीछे बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या अब भी कोई राज्य सभा के सदस्य मंत्री यहां उपस्थित हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत उनसे बाहर जाने को कहा जाय, परन्तु यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा, अगर वे सदन से चले जाएं। ...(व्यवधान)

अब काम की बात पर आइए। विचारार्थ प्रस्ताव के बारे में कुछ प्रस्ताव आए हैं। कुछ प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय को विधेयक भेजने के बारे में हैं और कुछ जनता में प्रचार हेतु। मैं उन्हें पहले रखूंगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का प्रस्ताव अनियमित है।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी पेचीदगियों में अब मत जाइए। सदन के समय इसे रखना बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का प्रस्ताव सं० 4 श्री इमाम के नाम है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जब सारा प्रस्ताव ही अनियमित है, तो आप हमसे उस पर मतदान करने के लिए कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मतभेद है, इसलिए मैं इस पर मतदान कराने जा रहा हूँ। **(व्यवधान)** मैंने पत्र पढ़ लिया है।

प्रश्न यह है :

> "कि भारत संघ की भूतपूर्व सरकार और संविधान सभा द्वारा भूतपूर्व राजाओं को दिये गये आश्वासनों और उनके साथ किये गये समझौतों की समाप्ति करने के बारे में संसद की सक्षमता के बारे में राय जानने से लिए विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सं० 13, 14 और 15 भी संशोधन सं० 4 की भांति हैं, अतः उन पर मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मुझे संशोधन सं० 5 पर बोलने की अनुमति देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही दो दिन चर्चा कर चुके हैं और प्रधान मंत्री के भाषण के बाद मुझे संशोधनों पर मतदान कराना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 1 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : संशोधन सं० 2, 5, 20 और 21 भी इसी प्रकार के हैं। अतः उन पर मतदान कराने की आवश्यकता नहीं।

अब प्रवर समिति को सौंपने का श्री कँवर लाल गुप्त का संशोधन है।

अध्यक्ष द्वारा संशोधन सं० 7 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 7 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय संशोधन सख्या 10, 12 आर 22 भी प्रवर समिति को सौंपने के बारे में हैं, अतः उनको अब लेने की जरूरत नहीं।

यह संविधान संशोधन विधेयक है, अतः इसे विचारार्थ लेते समय मत-विभाजन करना होगा।

व्यवस्था रखिए। लांबी को खाली कर दीजिए। प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में 336 और विपक्ष में 155

'Ayes' 336 'Noes' 155.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

Clause 2

श्री शान्तिलाल शाह : मैं अपना संशोधन सं० 30 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 30 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 30 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का यह परिणाम** निकला है

पक्ष में 339 और विपक्ष में 152

'Ayes' 339, 'Noes' 152.

खण्ड 2 सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

---

* घोषित मतविभाजन के आँकड़े मशीन और मतगणकों द्वारा दर्ज मतों के आंकड़ों के आधार पर हैं । तदुपरांत फोटोग्राफ द्वारा नियमित पड़ताल से यह पाया गया था कि (i) सर्वश्री प० ला० बारूपाल, प० मु० सईद, मोलदू प्रसाद, शिवशकरन और इसहाक सम्भली जिन्होंने मतगणक के द्वारा पक्ष में मतदान किए थे, के मत मशीन द्वारा पहले ही पक्ष के लिए दर्ज कर लिए गए थे ; और (ii) श्री तु० राम जिन्होंने मतगणक द्वारा पक्ष के लिए मतदान दिया था, का मत मशीन द्वारा पहले ही विपक्ष के लिए दर्ज कर लिया गया था । अतः मतविभाजन का सही आंकड़ा यह हैं : पक्ष में 331, विपक्ष में 154 अध्यक्ष महोदय ने इसके अनुसार 3-9-1970 को एक घोषणा की । (देखिए लोक सभा वाद-विवाद दिनांक 3-9-1970,...)

** घोषित मत विभाजन से आंकड़े मशीन और मतगणक द्वारा दर्ज मतों के आंकड़ों के आधार पर हैं । तदुपरांत, फोटोग्राफ द्वारा नियमित पड़ताल से यह पाया गया था कि (एक) श्रीमती गंगा देवी और सर्वश्री प० ला० बारूपाल, चिंतामणि पाणिग्रही, गुलाम

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : नए खण्ड 2क के लिए दो संशोधन हैं ।

श्री नारायण दाँडेकर (जामनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 और 29 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

Amendments nos. 18 and 29 were put and negatived

खण्ड 3

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

लोकसभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम * यह है :

पक्ष में-336; विपक्ष में-153

'Ages'-336; 'Nocs-153

खण्ड 3 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मुहम्मद बख्शी, मोलद प्रसाद, शिवशंकरन, इसहाक सम्भली और क० मि० मधुकर, जिन्होंने मतगणक के द्वारा पक्ष में मतदान किये थे, के मत मशीन द्वारा पहले ही पक्ष के लिए दर्ज कर लिए गए थे ; और (दो) श्री गं० च० दीक्षित, जिन्होंने मतगणक द्वारा पक्ष के लिए मतदान दिया था, का मत मशीन द्वारा पहले ही विपक्ष के लिये दर्ज कर लिया गया था, अतएव, मतविभाजन के सही आंकड़े यह हैं : पक्ष में 331 और विपक्ष में 151 ।

* घोषित मतविभाजन के आंकड़े मशीन और मत-गणक द्वारा दर्ज मतों के आंकड़ों के आधार पर हैं, तदुपरांत, फोटोग्राफ द्वारा नियमित पड़ताल से यह पाया गया था कि सर्वश्री प० ला० बारूपाल, चिंतामणि पाणिग्रही, मोलदू प्रसाद, शिवशंकरन, इसहाक सम्भली और क० मि० मधुकर, जिन्होंने मतगणक द्वारा पक्ष में मतदान किये थे, के मत मशीन द्वारा पहले ही पक्ष के लिए दर्ज कर लिए गए थे । अतएव मतविभाजन के सही आंकड़े यह हैं :—पक्ष में 330 ; विपक्ष में 153 ।

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There is doubt in the correctness of the figures of Votes. At the last division, the ruling party got 339 votes and now it has come to 336.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 1क के अन्तःस्थापन के लिए एक संशोधन है। क्या कोई प्रस्तुत कर रहा है ?

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 26 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 1 को लेते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी का एक संशोधन है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

पृष्ठ 1 Lines 3 and 4 (पंक्तियां 3 और 4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"Short title and Commencement	1. (I) This Act may be called the constitution (twenty fourth Amendment) Act, 1970. (2) It should come into force on the 15th day of October 1970"
संक्षिप्त शीर्षक और उसका आरम्भ	1. (ii) यह अधिनियम संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1970 जाना जाये। (2) यह 15 अक्टूबर 1970 से लागू होगा।) (संख्या 11)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ 1 Lines 3 and 4 (पंक्तियां 3 और 4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"Short title and Commencement	1. (I) This Act may be called the constitution (twenty fourth Amendment) Act, 1970. (2) It should come into force on the 15th day of October 1970"
संक्षिप्त शीर्षक और उसका आरम्भ	1. (ii) यह अधिनियम संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1970 जाना जाये। (2) यह 15 अगस्त 1970 से लागू होगा।) (संख्या 11)

संशोधन स्वीकृत हुआ

The Amendment was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मतविधान का परिणाम* यह है—पक्ष में 338 और विपक्ष में 152.

'Ayes'—338 ; 'Noes'—152.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये"

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूँ "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Prime Minister calls it a historical Bill. But I want to say that it will spell disaster for the country. She is going to erase the facts of history.

If the Prime Minister and the Finance Minister say that they would give relief to the rulers during transitional period then I would ask the rulers not to trust them. They must go to the Supreme Court. I warn the Prime Minister that Shri Ramamurti, Shri Dange, Shri Joshi will betray her.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

---

* घोषित मतविभाजन के आंकड़े मशीन और मत-गणकों द्वारा दर्ज मतों के आंकड़ों के आधार पर हैं। तदुपरांत, फ़ोटोग्राफ द्वारा नियमित पड़ताल से यह पाया गया था कि सर्वश्री विद्या चरन शुक्ल, प० ला० बारूपाल, चिन्तामणी पाणिग्रही, मोलदू प्रसाद, शिवशंकरन, इसहाक सम्भली और क० मि० मधुकर, जिन्होंने मतगणक द्वारा पक्ष में मतदान किए थे, के मत मशीन द्वारा पहले ही पक्ष के लिए दर्ज कर लिए गए थे। अतएव मतविभाजन के सही आंकड़े यह हैं :—पक्ष में 331 ; विपक्ष में 152।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम* है : पक्ष में 339 ; विपक्ष में 154.

'Ayes'—339 ; 'Noes'—154.

यह विधेयक, संशोधित रूप में, समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार, 3 सितम्बर 1970/भाद्र 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Tuursday, the 3rd September, 1970/Bhadra 12, 1892 (Saka)

———

* घोषित मतविभाजन के आंकड़े मशीन और मतगणक के द्वारा दर्ज मतों के आंकड़ों के आधार पर हैं। तदुपरांत फोटोग्राफ द्वारा नियमित पड़ताल से यह पाया गया था कि सर्वश्री विद्या चरन शुक्ल, प० ल० बारूपाल, चिंतामणि पाणिग्रही, मोलहू प्रसाद, शिव-शंकरन, इसहाक सम्भली और क० मि० मधुकर, जिन्होंने मतगणक द्वारा पक्ष में मतदान किये थे, के मत मशीन द्वारा पहले ही पक्ष के लिए दर्ज कर लिए गये थे। अतएव मत-विभाजन के सही आंकड़े यह हैं : पक्ष में 332 ; विपक्ष में 154.

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.